लोक-सभा
वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ४१, १९६०/१८८२ (शक)

२१ मार्च से २ अप्रैल १९६०/१ से १३ चैत्र १८८२ (शक)

2nd Lok Sabha

Preservation Unit
Fumigated
On 18-5-9...
Parliament Library

दसवां सत्र, १९६०/१८८२ (शक)

(खण्ड ४१ में अंक २१ से ४० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय सूची

[द्वितीय माला, खंड ४१—अंक ३१ से ४०—२१ मार्च से २ अप्रैल, १९६०/१ से १३ चैत्र १८८२ (शक)]

अंक ३१—सोमवार, २१ मार्च, १९६०/१ चैत्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९५९ से ९६१, ९६४, ९६७, ९६९ से ९७१, ९७४, ९७७ से ९८१ और ९८३ . . . . ३२७९–३३०२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १० ३३०३-०४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९६२, ९६३, ९६५, ९६६, ९६८, ९७२, ९७३, ९७५, ९७६, ९८२ और ९८४ से ९९६ . . ३३०४–१५

अतारांकित प्रश्न संख्या १२६१ से १३०७ . . ३३१५–३५

निधन सम्बन्धी उल्लेख . . . ३३३५

स्थगन प्रस्ताव

बैंक कर्मचारियों की हड़ताल ३३३६-३७

चीन के प्रधान मन्त्री की भारत यात्रा के बारे में वक्तव्य . . . ३३३७

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३३३७

प्राक्कलन समिति

बहत्तरवां प्रतिवेदन ३३३८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

लुधियाना में कपड़े के कारखानों का बन्द होना . . . ३३३९

अनुदानों की मांगें—

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय ३३३९–८६

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के बारे में आधे घंटे की चर्चा . . ३३८६–९०

दैनिक संक्षेपिका ३३९१–९६

पृष्ठ

अंक ३२—मंगलवार, २२ मार्च, १९६०/२ चैत्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९९७, ९९९, १००१, १००२, १००४ से १००६, १००८ से १०१२, १०१४ और १०१५ . . . ३३९७–३४४२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९९८, १०००, १००३, १००७, १०१३ और १०१६ से १०३७ . . ३४२३–३४

अतारांकित प्रश्न संख्या १३०८ से १३५७ . . ३४३५–३४५७

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ३४५७-५८

प्राक्कलन समिति—

अठहतरवां प्रतिवेदन ३४५८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

शाहदरा में छोटे पैमाने के अलुमीनियम कारखानों का बन्द होना . ३४५९

अनुदानों की मांगें ३४५९–३५२५

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय ३४५९–३५०६

परिवहन तथा संचार मंत्रालय ३५०६–२५

दैनिक संक्षेपिका . . . ३५२६–३०

अंक ३३—बुधवार, २३ मार्च, १९६०/३ चैत्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०३८ से १०४२, १०४४ से १०४७, १०५० से १०५२ और १०५४ . . . . . ३५३१–५३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४३, १०४८, १०४९, १०५३ और १०५५ से १०६८ . . . . . . ३५५३–६२

अतारांकित प्रश्न संख्या १३५८ से १४०६ और १४०८ से १४११ ३५६२–८९

स्थगन प्रस्ताव के बारे में—

दक्षिण अफ्रीका की घटनायें ३५८९–९१

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३५९१–९२

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

साठवां प्रतिवेदन ३५९२

पृष्ठ

अनुदानों की मांगें—

परिवहन तथा संचार मंत्रालय . . ३५६२-३६५०

दैनिक संक्षेपिका . ३६५१-५५

अंक ३४—गुरुवार, २४ मार्च, १९६०/४ चैत्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०६९ से १०७३ और १०७५ से १०८० ३६५७-७८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०७४, १०८१ से १०९० और १०९२ से १०९५ ३६७८-८५

अतारांकित प्रश्न संख्या १४१२ से १४५० ३६८५-३७०१

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

बनारस के निकट विमान दुर्घटना . . ३७०१-०२

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३७०२

प्राक्कलन समिति—

सततरवां प्रतिवेदन ३७०२

अनुदानों की मांगें ३७०३-५९

परिवहन तथा संचार मन्त्रालय ३७०३-१०

गृह कार्य मन्त्रालय ३७११-५९

दैनिक संक्षेपिका ३७६०-६३

अंक ३५—शुक्रवार, २५ मार्च, १९६०/५ चैत्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०९६ से १०९८, ११००, १११६, १११९, ११०१, ११०३ से ११०७, १११४, १११५ से १११८ . ३७६५-९१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०९९, ११०२ और ११०८ से १११३ . . ३७९१-९५

अतारांकित प्रश्न संख्या १४५१ से १४८५ . . . . ३७९५-३८१०

दक्षिण अफ्रीका के लगां नामक स्थान पर गोलीकाण्ड के बारे में सभा पटल पर रखे गये पत्र ३८१०-१३

पृष्ठ

सभा का कार्य ३८१३

अनुदानों की मांगें—

गृह-कार्य मन्त्रालय . . . . . . ३८१३—४१

ग़ैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

साठवां प्रतिवेदन ३८४१-४२

अन्दमान और निकोबार द्वीपों के नाम बदलने के बारे में संकल्प ३८४२—४६

तीसरी पंचवर्षीय योजना में पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास के बारे में संकल्प ३८४६

दैनिक संक्षेपिका . . . . ३८६८—७२

अंक ३६–सोमवार, २८ मार्च, १९६०/८ चैत्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११२० से ११२३, ११२९, ११२६, ११३२, ११३४, ११३७ से ११४०, ११४२, ११४३, ११४५ और ११४६ . . ३८७३—९९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११२४, ११२५, ११२७, ११२८, ११३०, ११३१, ११३३ ११३५, ११३६, ११४१ और ११४४ . . . ३८९९—३९०३

अतारांकित प्रश्न संख्या १४८६ से १५४१ . . ३९०४—२८

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के बारे में ३९२९

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३९२९–३०

प्राक्कलन समिति—

उनासीवां प्रतिवेदन . . ३९३०

लोक लेखा समिति—

पच्चीसवां प्रतिवेदन ३९३०

विधि व्यवसायी विधेयक—

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन ३९३१

समिति के लिये निर्वाचन—

राष्ट्रीय खाद्य तथा कृषि संगठन सम्पर्क समिति . . . ३९३१

बम्बई पुनर्गठन विधेयक—पुरःस्थापित ३९३१–३२

धार्मिक न्यास विधेयक—पुरःस्थापित ३९३२

पृष्ठ

दक्षिण अफ्रीका में पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने के बारे में संकल्प . ३६३२—४०

अनुदानों की मांगें . . . ३६४१—८५

वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय

दैनिक संक्षेपिका . . . . ३६८७—६१

अंक ३७—बुधवार, ३० मार्च, १६६०/१० चैत्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११४७ से ११४६, ११५१ से ११५५, ११५७ से ११६० और ११६२ से ११६४ . . . . ३६६३—४०१८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११५०, ११५६, ११६१ और ११६५ से ११८३ ४०१८—२६

अतारांकित प्रश्न संख्या १५४२ से १५८४ और १५८६ से १६०४ ४०२६—४६

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के बारे में . . . ४०४६—५०

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ४०५०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

इकसठवां प्रतिवेदन . . ४०५०

प्राक्कलन समिति—

इक्यासीवां प्रतिवेदन . ४०५०

भारत-पाकिस्तान वित्तीय वार्ता के बारे में वक्तव्य . . ४०५१

अनुदानों की मांगें—

वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय . . . ४०५१—४१०६

भारतीय लोक प्रशासन संस्था के बारे में आधे घण्टे की चर्चा . . ४१०६—०७

दैनिक संक्षेपिका . . . . . . ४११२—१६

अंक ३८—गुरुवार, ३१ मार्च, १६६०/११ चैत्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११८४ से ११८६, ११८८ से ११६१, ११६३ से ११६७ और १२०४ . . . ४११७—४३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११८७, ११६२, ११६८ से १२०३ और १२०५ से १२१५ . . . . ४१४३—५३

पृष्ठ

अतारांकित प्रश्न संख्या १६०५ से १६४६ और १६५१ . ४१५३—७३

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ४१७४

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . ४१७५

लोक लेखा समिति—

छब्बीसवां प्रतिवेदन . ४१७५

प्राक्कलन समिति—

चौहत्तरवां प्रतिवेदन . . . ४१७५

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—

उन्नीसवां प्रतिवेदन ४१७५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

बोकारो में इस्पात का कारखाना . ४१७६

अनुदानों की मांगें—

वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय . . ४१७६—८८

नियम का निलम्बन . ४१८९–९०

बम्बई पुनर्गठन विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव ४१९१—४२०५

दैनिक संक्षेपिका ४२०६—११

अंक ३९—शुक्रवार, १ अप्रैल, १९६०/१२ चैत्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२१६ से १२२५, १२२७, १२२९ और १२३१ से १२३४ . . . . . ४२१३—३७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२२६, १२२८ और १२३५ से १२४२ ४२३७—४०

अतारांकित प्रश्न संख्या १६५२ से १६८५ . ४२४१—५९

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ४२६०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

अनुसूचित जाति के लोगों को कुएं से पानी लेने से रोकना ४२६०

तारांकित प्रश्न संख्या ३४८ के उत्तर की शुद्धि . ४२६१

बम्बई पुनर्गठन विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . . ४२६१—८३

पृष्ठ

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

इकसठवां प्रतिवेदन ४२८३

न्यायालय अवमान विधेयक—श्री बि० दास गुप्त का—पुरःस्थापित . ४२८३

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक .

(धारा ७३ का संशोधन)—वापस लिया गया—

विचार करने के लिये प्रस्ताव . . . ४२८४—९२

कैथोलिक चर्च परिसर और पादरी संघ (राजनीतिक गतिविधि पर प्रतिबन्ध) विधेयक—

विचार करने के लिये प्रस्ताव ४०९२—४३००

दैनिक संक्षेपिका . ४३०१—०४

अंक ४०—शनिवार, २ अप्रैल, १९६०/१३ चैत्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२४४, १२४६, १२४७, १२४९ से १२५१, १२५४ से १२५६, १२५८, १२६० और १२६१ . ४३०५—२६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२४३, १२४५, १२४८, १२५२, १२५३, १२५७, १२५९ और १२६२ से १२६६ . . . ४३२७—३२

अतारांकित प्रश्न संख्या १६८६ से १७१० और १७१२ से १७१६ ४३३२—४७

स्थगन प्रस्ताव के बारे में—

सहारा में फ्रांस द्वारा दूसरा आणविक परीक्षण ४३४६

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . ४३४६–४७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

मालगाड़ी से मोटर टायरों का लूटा जाना . ४३४७—४९

सभा का कार्य . . ४३४९

अनुदानों की मांगें—

सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय . ४३५०—४४०२

दैनिक संक्षेपिका . . . ४४०३—०५

नोट :—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा

गुरुवार, ३१ मार्च, १९६०

११ चैत्र, १८८२ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तिब्बत से आये गैर-तिब्बती शरणार्थी

†*११८४. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री अ० मु० तारिक :
श्री भक्त दर्शन : }

क्या **प्रधान मंत्री** १६ नवम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या २९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिब्बत से आये शरणार्थियों में पाये गये ४० गैर-तिब्बती व्यक्तियों की पहचान और पूर्व-चरित्र के बारे में जांच-पड़ताल पूरी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) और (ख). जी हां लगभग ५० व्यक्तियों के बारे में पहचान हो गयी है कि वह मूल-चीनी हैं।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या उनके कहीं आने जाने पर कुछ रोक लगायी गयी है ; और यदि हां, तो वह रोक किस प्रकार की है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : साफ है कि सबसे पहली रोक जो उन पर लगायी जानी थी वह यह थी कि इस बात का पता लगाने के लिये कि वह कौन है, उन्हें कमो-बेश हिरासत में रखा गया था ।

†मूल अंग्रेजी में

94 (Ai) LSD--

फिलहाल, इन सभी तिब्बती शरणार्थियों को शिविरों में रखा जाता है, साधारणतया वे सारे भारत में घूमते नहीं फिरते। मुझे ज्ञात हुआ है कि इनमें से कुछ चीनी कलकत्ते में हैं लेकिन या तो उन्हें हमसे सम्पर्क रखना पड़ता है और या हम उनके साथ सम्पर्क रखते हैं। इरादा यह है, कि जहां तक विशेष रूप से इन लोगों का संबंध है, इन्हें भारत से बाहर भेज दिया जाय।

श्री अ० मु० तारिक : मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो लोग पकड़े गये और उन से पूछगछ की गई तो क्या उससे हुकूमत का यह विचार हुआ कि कुछ लोग कुमितांग गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और वहां के जासूस हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : यह तो एक ऐसा मामला है कि मेरे लिये इन सवालों का जवाब देना मुनासिब नहीं मालूम होता। बहुत सी बातें मालूम हुईं, कहीं कहीं कुछ मालूम हुआ लेकिन अब एक दो टुकड़ों का जवाब दे दूं तो ठीक नहीं होगा।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या इस बात का पता लगाया गया है कि आखिर इन लोगों का तिब्बतियों के साथ आने में उद्देश्य क्या था ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : यह वही सवाल हो गया। अब अलग अलग आदमियों के अलग अलग उद्देश्य होते हैं।

श्री ब्रजराज सिंह : इन चीनियों को क्या तिब्बती शरणार्थियों से अब अलग कर दिया गया है और अलग कर दिया गया है तो यह कहां रक्खे जा रहे हैं और इनको हिन्दुस्तान से बाहर भेजने की जैसे कि प्रधान मंत्री महोदय ने कहा एक योजना है तो मैं जानना चाहता हूं कि इनको कब तक बाहर भेज दिया जायगा ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझे ठीक मालूम नहीं लेकिन मेरे खयाल से उसी इलाके में कहीं अलग रक्खे गये थे। इनमें से एक, आध जैसे मैंने कहा वहां से भाग गये थे और पकड़े गये, पकड़े जाने से मेरा मतलब कोई गिरफ्तार करके रखने से नहीं था लेकिन उनके बारे में यह मालूम हो गया था कि वे भाग कर कलकत्ते में आ गये हैं और गवर्नमेंट उन पर नजर रखती रही और देखती रही कि वे वहां पर क्या करते हैं। अब वे कब भेजे जायेंगे यह मैं नहीं कह सकता, कोई खास तारीख तो मुकर्रर नहीं है लेकिन जब कोई माकूल इंतजाम हो जायगा और आसानी से उनको भेजा जा सकेगा तो वे भेज दिये जायेंगे।

डा० राम सुभग सिंह : क्या यह पचासों चीनी तिब्बत से ही हिन्दुस्तान आये थे और यदि हां तो इन लोगों को फर्स्ट चैक पोस्ट पर नोटिस किया गया था या नहीं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं ठीक से समझा नहीं।

†**डा० राम सुभग सिंह** : क्या ये पचासों चीनी तिब्बत से भारत में आये; यदि हां, तो क्या पहली भारतीय चौकी पर ही इन्हें पहचान लिया गया था ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : यह तो सब जैसे तिब्बत के शरणार्थी आ रहे थे उन्हीं गोलों में आये और अलग अलग आये। उसी रास्ते से और उसी सिलसिले में आये। बाद में जांच पड़ताल हुई तो यह पाया गया कि यह तिब्बती लोग नहीं हैं और उसके बाद उनसे बातचीत वगैरह हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री अ० मु० तारिक : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हुकूमत को इस बात का इल्म है कि हिन्दुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बहुत से लोग जो कि असल में तिब्बती नहीं हैं लेकिन चूंकि उनकी शक्ल तिब्बती लोगों से मिलती जुलती है इस वास्ते वे तिब्बती रेफ्यूजीज में मिल जाते हैं और अगर यह दुरुस्त है तो गवर्नमेंट ने इसके लिये क्या ऐक्शन लिया है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जहां तक शक्ल मिलने का ताल्लुक है तो वह तो हिन्दुस्तान की सरहद पर जायें तो बहुत से लोग ऐसे वहां पर रहते हैं जिनकी कि शक्ल उनसे मिलती है खासकर काश्मीर में ऐसे लोग मिलते हैं ।

†**श्री ब्रजेश्वर प्रसाद** : यह चीनी वापस चीन जाना चाहते है या नहीं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : अब यह तो अलग-अलग राय होगी लेकिन यह ज़ाहिर है कि जहां से वे आये हैं वहां वे नहीं जाना चाहते ।

†**श्री हेम बरुआ** : विशेष रूप से घटना का और इस बात का भी ध्यान रखते हुये कि तिब्बती शरणार्थी या तिब्बत से शरणार्थियों का प्रायः रोज ही तांता लगा रहता है, विशेष रूप से मिस्मारी में, क्या सरकार ने इनकी जांच के लिये कड़ी कार्यवाही की है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : शरणार्थियों की जांच के लिये हमेशा ही कार्यवाही की जाती रही है। मूलतः जब वे बड़ी संख्या में आये थे तब तो यह काम करना ही था, बाद में भी यह किया जा रहा है। अब उनकी संख्या उतनी ज्यादा नहीं है । वे संघर्ष करते आते हैं, तब उनकी जांच की जाती है ।

†**श्री ब्रजेश्वर प्रसाद** : क्या भारत सरकार की नीति इन चीनियों को उनकी मर्जी के खिलाफ वापस भेजने की है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं कोई निश्चित उत्तर तो नहीं दे पाऊंगा क्योंकि यदि वे हमारी हिदायतें नहीं मानते तो हम कम से कम उन्हें भारत के बाहर—कहां, यह मैं नहीं कह सकता,—भेजने के लिये तो स्वतंत्र होंगे । हम यह थोड़े ही होने दे सकते है कि लोग यहां आते जायें और यहीं रहने की जिद करने लगें ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : प्रधान मंत्री ने अभी यह बताया कि इन शरणार्थियों को शिविरों में रखा गया है । इन गैर-तिब्बती शरणार्थियों को तिब्बती लोगों के साथ ही रखा गया है या अलग ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं इसका उत्तर दे चुका हूं ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि इन चीनियों को चीन वापिस भेजने के बारे में क्या चीन सरकार से कोई पत्र व्यवहार किया गया है और यदि किया गया है, तो चीन सरकार से उस बारे में क्या उत्तर प्राप्त हुआ है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जी नहीं । हमें तो दिलचस्पी इस बात में है कि वे हिन्दुस्तान के बाहर जायें लेकिन कहां जायें यह उनकी खुशी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय जूट मिल संघ के करघे

+

†*११८५. { श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय जूट मिल संघ के कितने प्रतिशत करघों पर पिछले पांच वर्ष में सीलें लगाई गई हैं ;

(ख) सील लगा देने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या कुछ प्रतिशत करघों पर से हाल के कुछ महीनों में सील हटा ली गई है ; और

(घ) क्या उन सभी की सील हटा लेने की कोई योजना है ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

इंडियन जूट मिल्स एसोसियेशन के १६५५ से सील-बन्द पड़े करघों की प्रतिशत संख्या दिखाने वाला विवरण

वर्ष		सील बन्द पड़े करघों की प्रतिशत संख्या
१६५५		१२¹/₂
१६५६	१–१–५६ से ८–१–५६	१२¹/₂
	६–१–५६ से १६–२–५६	१०
	२०–२–५६ से १५–७–५६	५
	१६–७–५६ से १६–६–५६	७¹/₂
	१७–६–५६ से ३१–१२–५६	१२¹/₂
१६५७		१२¹/₂
१६५८		१२¹/₂
१६५६	१–१–५६ से १–३–५६	१२¹/₂
	२–३–५६ से २१–६–५६	१४
	२२–६–५६ से २३–८–५६	१२¹/₂
	२८–८–५६ से ३१–१२–५६	१०
१६६०	१–१–६० से आज तक	१०

(ख) उत्पादन की मांग के अनुसार समायोजित करने के लिये ।

(ग) २४ अगस्त, १६५६ के बाद से २¹/₂ प्रतिशत करघों पर से सील हटा ली गयी थी ।

†मूल अंग्रेजी में

(घ) सील हटाने की कोई विशिष्ट योजना तो नहीं है, फिर भी सरकार मांग के अनुरूप अधिक उत्पादन का ही निरंतर प्रयास करती रहती है।

†श्री स० चं० सामन्त : क्या वैज्ञानिक व्यवस्था करण के रूप में कुछ कारखानों पर सील इस वजह से लगा दी गयी थी कि वह आर्थिक दृष्टि से लाभ प्रद नहीं थे?

†श्री कानूनगो : जी नहीं, वैज्ञानिक व्यवस्थाकरण का सील लगाने से कोई संबंध नहीं है। सील बीच-बीच में लगा ही दी जाती है और यह कार्य १९४९ के बाद से चल रहा है। यह तो निर्यात संबंधी मांगों के अधिक या कम होने पर निर्भर करता है कि मिलों के पास कितना काम है।

†श्री स० चं० सामन्त : क्या पिछले पांच वर्षों में सील उस क्षेत्र के श्रम-संबंधी झगड़ों के कारण लगायी गयी थी?

†श्री कानूनगो : जी नहीं।

†श्री हेडा : सील-बंद करघों की सील हटाते समय क्या इस बात का ध्यान भी रखा जाता है कि उन्हीं क्षेत्रों के करघों को खोला जाय जिन में जूट पैदा होती है, जैसे उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश और बिहार के?

†श्री कानूनगो : कलकत्ते के बाहर शायद ही कोई मिल होगी। यदि कलकत्ता अथवा पश्चिम बंगाल के बाहर कोई मिल हो तो वह इस में नहीं आती।

†श्री कासलीवाल : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस वर्ष जूट के उत्पादन में काफ़ी कमी रह गयी है, क्या इसका प्रभाव इस वर्ष करघों पर सील लगाने या उनकी सील हटाने पर पड़ेगा?

†श्री कानूनगो : यदि कच्चा माल कम हो तो हमें कच्चे माल का आयात करना पड़ेगा जो हम आम तौर पर करते हैं। लेकिन सील लगाने अथवा हटाने के संबंध में मुख्य ख्याल इस बात का रखा जाता है कि निर्यात विषयक मांग कितनी है, क्योंकि उत्पादन का ८० प्रतिशत भाग निर्यात के बाजार में बिकता है, घरेलू बाजार में नहीं।

†श्री रामनाथन् चेट्टियार : क्या सील पाकिस्तानी जूट मिलों से होड़ के कारण लगायी जाती है?

†श्री कानूनगो : जी हां विभिन्न अन्य देशों की, जिन में जूट बुनने की क्षमता बढ़ती जा रही है, होड़ भी इसका एक कारण है।

†श्री तंगामणि : पांच वर्ष से भी अधिक अवधि में केवल २½ प्रतिशत का ही अन्तर देखने में आता है, अर्थात. १२½ प्रतिशत से १० प्रतिशत। सील हटाने का कार्य इसी गति से चल रहा है। इस अवधि में कितने प्रतिशत की सील हटाई जायगी? क्या सरकार के पास कोई प्रस्ताव है?

†श्री कानूनगो : इस समय सील-बन्द किये गये करघे १० प्रतिशत होते हैं। उन पर से सील हटाने का प्रश्न निर्यात बाजार की मांग पर निर्भर करेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा में कागज मिलें

†*११८६. श्री प्र० के० देव : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालाहांडी जिले में केसिंगा स्थान पर स्थापित होने वाली कागज़ मिल को हटा कर कोरापट जिले में सिंहपुर रोड स्थान पर ले जाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) उक्त कागज़ मिल उत्पादन कब आरम्भ करेगी ; और

(घ) उक्त कागज़ मिल की स्थापना के लाइसेंस की अवधि कितनी बार बढ़ाई जा चुकी है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी हां।

(ख) केसिंगा में बिजली का न मिल सकना।

(ग) लगभग ३ वर्ष में।

(घ) दो बार।

†श्री प्र० के० देव : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उड़ीसा सरकार मछकुंड जल-विद्युत् परियोजना में से, जो आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा की मिली-जुली परियोजना है, अपने अंश की बिजली का उपयोग करने में असमर्थ रही है, केसिगा में बिजली की कमी कैसे रह गयी जब कि मच्छकुंड परियोजना से ट्रांसमिशन लाइन वहां तक बढ़ा कर लाई जा सकती थी ?

†श्री मनुभाई शाह : आरम्भ में ट्रांसमिशन लाइन केसिंगा तक नहीं पहुंच पाई थी। अब उड़ीसा सरकार ने आवश्यक बिजली देने का आश्वासन दे दिया है।

†श्री प्र० के० देव : क्या कागज मिल से निकलने वाली गन्दगी के विनियमन के बारे में लाइसेंस में कुछ विशिष्ट शर्त्त रखी गयी है ताकि कागज़ मिल से निकलने वाली गंदगी नागवल्ली नदी को, जो आन्ध्र प्रदेश के रायगादा और नगरों के लिये पीने के पानी का एक मात्र स्त्रोत है, गंदला न कर सके ? मैं यह प्रश्न अपने अनुभव के कारण पूछ रहा हूं क्योंकि सम्बलपुर नगर के निवासियों को पीने का अच्छा पानी नहीं मिलता क्योंकि उड़ीसा की कागज़ मिलों ने उनके पानी को गंदला कर दिया है।

†अध्यक्ष महोदय : शान्ति शान्ति—उन्हें इस प्रकार अपने प्रश्न का विस्तार नहीं करना चाहिये। साफ़ है कि वह यह जानना चाहते हैं कि इस प्रकार का कुछ उपबन्ध है या नहीं।

†श्री मनुभाई शाह : स्थिति यह है कि अधिनियम के अधीन किसी कागज़-मिल के लिये कोई उपबन्ध अथवा शर्त्त नहीं है। लेकिन यह सदैव स्पष्ट कर दिया जाता है कि लोक स्वास्थ्य के लिये बाधक कोई काम न किया जाय, और यदि ऐसा कार्य हो चुका हो तो उस में सुधार किया जाय।

†श्री महन्ती : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि दो बार लाइसेंस की अवधि बढ़ाई जा चुकी है, यह अवधि बढ़ाने की मंजूरी किन परिस्थितियों में दी जाती है ?

†श्री मनुभाई शाह : प्रश्न के मुख्य भाग में मैं बता चुका हूं कि कुछ समय तक यह योजना बिजली के न मिलने के कारण रुकी रही। लेकिन अब, राज्य सरकार और संबंधित

†मूल अंग्रेजी में

फ़र्म के प्रयासों के फलस्वरूप इस योजना को फिर से आरम्भ कर दिया गया है। मशीनों और संयंत्र के लिये आर्डर दे दिये गये हैं। ज़मीन ले ली गयी है और हमें शीघ्र ही उत्पादन आरंभ हो जाने की आशा है।

†श्री संगण्णा : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बिजली सस्ती दरों पर दी जायगी और यदि यह मिल सिंहपुर रोड़ में खुली तो दर और भी कम हो जायगी, क्या मिल को अंतिम रूप से सिंहपुर रोड में ही रखने का निश्चय कर लिया गया है ?

†श्री मनुभाई शाह : यह सब स्पर्द्धा के ही विभिन्न पहलू हैं। यह ठीक है कि थोड़ी बहुत स्पर्द्धा है, प्रत्येक क्षेत्र इस बात का इच्छुक है कि अमुक का स्थान बदल दिया जाय, आदि। आर्थिक दृष्टि से लाभ प्रदता और बिजली की उपलब्धता का ध्यान रखते हुए उस के संबंध में अंतिम रूप से निर्णय कर लिया गया है।

†श्री रघुनाथ सिंह : मेरे निर्वाचन क्षेत्र समेत लाइसेंसों के लिये कितने आवेदन-पत्र इस समय विचाराधीन हैं ?

†श्री मनुभाई शाह : माननीय सदस्य को मैं उनके निर्वाचन क्षेत्र की बाबत तो नहीं बता सकता। लेकिन सभा को यह जान कर हर्ष होगा कि देश में मौजूदा कागज़ मिलों की संख्या २२ है। हमने देश में ४४ और कागज़ मिलों के लिये लाइसेंस और आयात की व्यवस्था कर दी है। इन के अलावा हाल ही में ३४ के संबंध में अनुमोदन किया जा चुका है जिन के लिये आयात लाइसेंस अभी नहीं दिये गये हैं। हमने तृतीय योजना की क्षमता प्रायः ७००,००० टन प्रति वर्ष तक पहुंचा दी है।

धान की हाथ से कुटाई

†*११८८. श्री विभूति मिश्र : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में धान की हाथ से कुटाई विकसित करने की योजना बनाई है ;

(ख) हाथ से कुटाई की योजना किस सीमा तक सफल हुई है ; और

(ग) क्या हाथ से कुटाई की योजना को चावल मिलों से कुछ रुकावट पड़ रही है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख). धान की हाथ से कुटाई का उद्योग उन उद्योगों में से हैं जिनका खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने अखिल भारतीय पैमाने पर विकास किया है। इस उद्योग के विकास संबंधी कार्यक्रम में धान खरीदने और उसका स्टाक जमा करने के लिये ऋणों, उपकरणों के निर्माण और वितरण, गोदामों के निर्माण, आदि की व्यवस्था की गयी है। बिक्री की सहूलियत के लिये ३७ नये पैसे प्रतिमन की एक उत्पादन-राजसहायता दी जाती है। यह कार्यक्रम अभी क्रियान्विति

†मूल अंग्रेजी में

की आरंभिक अवस्था में है और उत्पादन, जो १९५५–५६ में ५ लाख मन था वह, अब बढ़कर, १९५८–५९ ; ११ लाख मन से भी अधिक हो गया है।

(ग) हाथ से कुटाई की योजना अभी उस अवस्था में नहीं पहुंची है जिस से चावल मिलों के बिना काम चलाया जा सके। फिर भी, नयी चावल मिलें लगाने का चावल मिलिंग उद्योग अधिनियम द्वारा विनियमन किया जाता है। बताया जाता है कि इस अधिनियम के और भी कड़ाई से लागू किये जाने से हाथ से कुटाई के उद्योग का हित होगा।

श्री विभूति मिश्र : इस स्टेटमेंट से मालूम होता है कि सरकार इस उद्योग को बढ़ाना चाहती है। इस स्टेटमेंट में यह दिया हुआ है :

> †"इस उद्योग के विकास सम्बन्धी कार्यक्रम में धान खरीदने और उसका स्टाक जमा करने के लिये ऋणों, उपकरणों के निर्माण और वितरण, गोदामों के निर्माण, आदि की व्यवस्था की गयी है।"

मैं जानना चाहता हूं कि इन चीजों पर सरकार ने अब तक कितना खर्च किया है ?

श्री मनुभाई शाह : यही तो इसमें बताया गया है। यह प्रोग्राम हिन्दुस्तान के लिए नया नहीं है, यह काम तो सनातन काल से चला आ रहा है, इसको और बढ़ावा देने के लिये यह प्रोग्राम रखा गया है, और स्टेटमेंट में बताया गया है कि जैसे जैसे यह प्रोग्राम बढ़ता जाएगा इसको ज्यादा सहायता दी जाएगी, पैसे की कमी की वजह से यह रुकेगा नहीं।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि सरकार जो अपनी फौजों में और अपने आदमियों को राशन सप्लाई करती है उसमें कितना हेंड पाउंडेड राइस खर्च करती है ?

श्री मनुभाई शाह : इसका तो परसैंटेज हमारे पास नहीं है। लेकिन यह सवाल तो अपनी पसन्द का भी है। हम कानूनन किसी को इसे काम में लाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते लेकिन हमारा प्रयास है कि छोटी इंडस्ट्री की चीजों को सरकारी खरीदों में ज्यादा बढ़ोत्तरी दी जाए।

†**सरदार अ० सिं० सहगल** : हाथ से कुटे चावल की कीमत मिलों में कुटे चावल की कीमतों की तुलना में कैसी बैठती है, और इन कीमतों को मिल में कुटे चावल के मूल्यों की बराबरी पर लाने का क्या कोई प्रस्ताव है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : भिन्न भिन्न क्षेत्रों के चावलों की किस्मों में इतना अन्तर होता है कि तुलना करना कुछ कठिन है। लेकिन मैं यह कह सकता हूं : कि हाथ से कुटा चावल मिल के कुटे चावल की तुलना में स्वयं अपने भरोसे टिक सकता है और लोग भी हाथ से कुटे चावल के अत्यधिक पौष्टिक गुणों को प्राथमिकता देते हैं। देश के कुछ भागों में वह बड़े लोक-प्रिय हैं और प्रश्न यह है कि एक ओर तो इसके अधिक पुष्टिकर गुणों और दूसरे रोजी देने की इसकी क्षमता को ध्यान में रखते हुए इसे और भी लोकप्रिय बनाया जाय।

†**श्री सम्पत** : किस राज्य में हाथ से कुटे चावल की सब से अधिक खपत होती है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : हमारे पास इस प्रकार के आंकड़े नहीं हैं लेकिन आम तौर पर यह कहा जाता है कि बिहार तथा उड़ीसा में बड़े पैमाने पर हाथ से कुटाई की जाती है, और कुछ हद तक राजस्थान में भी। दक्षिणी क्षेत्र भी अब क्रमशः हाथ से कुटा चावल अपनाते जा रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री न० रा० मुनिस्वामी : क्या यह सच नहीं है कि हाथ से कुटे चावल के लिये इतना प्रोत्साहन देने के बावजूद चीनी मिलें लगाने के लाइसेंस देने से या तो मना कर दिया जाता है या लाइसेंस नियमित रूप से नहीं दिये जाते ?

†श्री मनुभाई शाह : प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में मैंने ठीक इसी बात का उत्तर दिया था। नयी चावल मिलें लगाने का प्रश्न चावल मिलिंग उद्योग अधिनियम द्वारा विनियमित होता है। इस मामले में दो रायें हैं। एक विशेष क्षेत्र तो मिल में कुटा चावल मांगता है, दूसरा क्षेत्र ज्यादा हाथ का कुटा चावल लेता है। इसलिये इस उद्योग के विकास के विनियमन का कार्य सम्बन्धित राज्यों के जिम्मे ही छोड़ दिया गया है ? लेकिन नीति के रूप में हमारी रुझान निश्चित रूप से हाथ से कुटा चावल के ही पक्ष में होगी।

†श्री नंजप्पा : हाथ से कुटाई के लिये, विशेष रूप से व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिये पत्थरी और लकड़ी की चक्कियां प्राप्त करने के लिये राज्यों के स्तर पर क्या व्यवस्था की गयी है ?

†श्री मनुभाई शाह : इस प्रश्न में इनकी प्राप्ति का प्रश्न मुश्किल से ही उठेगा। यह वसूली का प्रश्न है। सभा को तो वसूली सम्बन्धी नीति का पता है।

†श्री नंजप्पा : यह आसान नहीं है।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि हैंड पाउंडेड राइस में ज्यादा विटामिन होते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार अपनी फौजों आदि में और राष्ट्रपति भवन में इस चावल का इस्तेमाल करती है या नहीं ?

श्री मनुभाई शाह : जहां तक सिद्धान्त का सवाल है यह सब कोई जानते हैं कि हैंड पाउंडेड राइस मे ज्यादा विटामिन होते हैं, और जापान में तो, जो कि सब से ज्यादा चावल खाने वाला देश है, लोग हैंड पाउंडेड राइस को बहुत ज्यादा पसन्द करते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे लोगों को भी इस बात का ज्यादा पता लगे और वह इसका ज्यादा इस्तेमाल करें। लेकिन हम लोगों को इसे इस्तेमाल करने के लिये मजबूर नहीं कर सकते, हमें उनकी चाइस का भी ध्यान रखना होता है। हम एजूकेशन से उनको यह बात बतला सकते हैं।

दिल्ली में विस्थापित व्यक्तियों को दूसरी जमीनों का दिया जाना

†*११८६. पंडित ठाकुर दास भार्गव : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे विस्थापित व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन्होंने १५ अगस्त, १९५० से पूर्व सरकारी जमीन पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया था और जिन्हें सरकार ने बेदखल तो कर दिया था लेकिन उनके व्यवसाय अथवा नौकरी के स्थान के निकट जमीन विकसित हो जाने के पश्चात् जमीन देने के लिये "पात्रता की पर्चियां" दे दी थीं

(ख) ऐसे विस्थापित व्यक्तियों की संख्या कितना है जिन्हें दिसम्बर, १९५५ के बाद से अपने व्यवसाय अथवा नौकरी के स्थान के पास वाले क्षेत्र में दूसरी जमीन आदि देदी गई है ;

(ग) शेष विस्थापित व्यक्तियों को अपने व्यवसाय अथवा नौकरी के स्थान के पास वाले क्षेत्र में बदले में दूसरी जमीन आदि देने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

†मूल अंग्रेजी में

(घ) ऐसे विस्थापित व्यक्तियों की जमीनें देने के कार्य में शीघ्रता कराने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई अथवा की जाने वाली है ?

†निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) : (क) ४२४।

(ख) से (घ). विस्थापित व्यक्तियों को अपने व्यवसाय अथवा नौकरी के स्थान के पास यथासंभव दूसरी जमीन आदि समय समय पर दी जाती रही है। उनमें से ऐसे व्यक्तियों की, जिनके पास 'पात्रता की पर्चियां" हैं, संख्या तत्काल उपलब्ध नहीं है। क्योंकि पात्र सभी विस्थापित व्यक्तियों को उनके व्यवसाय अथवा नौकरी के स्थान के पास जमीन आदि देना मुश्किल से ही संभव था क्योंकि अनधिकृत कब्जा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में किया गया था इसलिये अन्य पुनर्वास वाली बस्तियों में जमीन आदि देने का भी प्रस्ताव किया गया था। उन बस्तियों में, जो उनके व्यवसाय अथवा नौकरी के स्थान के निकट नहीं थीं, प्रस्तावित जमीन आदि बहुत से अनधिकृत कब्जाधारियों को मंजूर नहीं थी। अब सरकार का विचार इस समस्या का निबटारा इस गृह-निर्माण और गन्दी बस्तियों को हटाने की आम समस्या का अंग मान कर ही करने का है। अवशिष्ट समस्या के अन्त में प्रगति पर कड़ी नजर रखने के लिये एक समिति नियुक्त करने का विचार है।

†पंडित ठाकुर दास भार्गव : मेरा प्रश्न पात्रता की पर्चियों के बारे में था। मैं जानना चाहता था कि कितने व्यक्तियों को, जिन के पास पात्रता की पर्चियां हैं, अभी जमीनें आदि नहीं दी गयी हैं ?

†श्री क० च० रेड्डी : उत्तर में मैंने स्थिति स्पष्ट कर दी है। यह साफ़ है कि हमारे पास उन व्यक्तियों की पूरी जानकारी नहीं है जिन्हें पात्रता की पर्चियां दी गई थीं, उनमें से कितनों ने वास्तव में दूसरी जमीन प्राप्त कर ली है, आदि। यह जानकारी इस कारण से तत्काल उपलब्ध नहीं है कि भूतपूर्व भाग 'ग' राज्य दिल्ली इस विषय का भारसाधक था। उस समय पुनर्वास हस्तांतरित विषय था और भाग 'ग' राज्य दिल्ली उसके बारे में कार्यवाही करता था। आवास तथा किराया अधिकारी ने यह पात्रता की पर्चियां दी थीं। अब इस समस्या का निबटारा सामान्य आधार पर किया जा रहा है। आम समस्या के साथ पात्र विस्थापित व्यक्तियों की समस्या भी हल हो जायेगी।

†श्री अन्सार हरवानी : क्या यह सच है कि पुराने किले में रहने वाले विस्थापित व्यक्तियों को अब तक दूसरी जगह नहीं दी गई है ?

†श्री क० च० रेड्डी : मैं पिछले एक अवसर पर स्पष्ट कर चुका हूं कि इस के सम्बन्ध में अब पुनर्वास मंत्रालय कार्यवाही करता है। मेरे मंत्रालय का अब उससे सिवाय इसके और कुछ भी सम्बन्ध नहीं है कि एक समय हमने पुराने किले में अनधिकृत कब्जा करने वालों को बदले में दूसरा स्थान देने का प्रस्ताव किया था, उस समय उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया और हमारी जिम्मेदारी वहीं खतम हो गयी। पिछले बार एक दफे आपने यह निदेश दिया था कि पुनर्वास मंत्रालय, मेरे मंत्रालय और अन्य सम्बन्धित लोगों को इस प्रश्न के बारे में विचार कर यह निर्णय करना होगा कि क्या किया जाये।

†श्री दी० चं० शर्मा : मंत्री महोदय ने कहा है कि एक समिति नियुक्त की जायगी। यह विभागीय समिति होगी या सरकारी और गैर-सरकारी व्यक्तियों की समिति होगी और यह कार्य करना कब आरम्भ करेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री क० च० रेड्डी : मैंने साफ़ कहा है कि एक समिति नियुक्त करने का विचार है। मैंने यह नहीं बताया कि उसके सदस्य कौन-कौन होंगे। उस दिन जब ठाकुर दास भार्गव जी द्वारा पूछे गये कुछ प्रश्नों के उत्तर दिये गये थे तो उन्होंने समिति नियुक्त करने का सुझाव दिया था। हमने उस सुझाव को कमोबेश मंजूर कर लिया है और हमारा एक समिति नियुक्त करने का विचार है। यह एक प्रभावपूर्ण समिति होगी जो प्रभावपूर्ण ढंग से इस प्रश्न के बारे में कार्यवाही करेगी—भले ही वह विभागीय समिति हो या अन्य कोई समिति।

†श्री अजित सिंह सरहदी : उस स्थान के, जहां वे बसे थे, निकट दूसरे स्थान की उपलब्धता के सम्बन्ध में विस्थापित व्यक्तियों के चुनाव के बारे में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है?

†श्री क० च० रेड्डी : १५ अगस्त, १९५० को ही सीमा माना गया है। १५ अगस्त, १९५० से पहले कब्जा करने वाले ही पात्र विस्थापित व्यक्ति हैं, अन्य सभी पात्र नहीं हैं।

†पंडित ठाकुर दास भार्गव : क्या यह सच नहीं है कि आश्वासनों में दिये उपबन्धों के अनुसार इन व्यक्तियों को अपनी जमीन अथवा मकान उस समय तक छोड़ना नहीं चाहिये था जब तक कि उन्हें पात्रता की पर्चियां न दे दी जायं?

†श्री क० च० रेड्डी : जी हां, यदि किसी ने छोड़ दिया हो तो मुझे पता नहीं।

†पंडित ठाकुर दास भार्गव : मंत्री महोदय के विभाग द्वारा एक संसदीय समिति को, जो इसकी जांच कर रही थी दी गयी सूचना के अनुसार ही स्थिति यह है कि ४५४ विस्थापित व्यक्तियों में से केवल १०० के लिये व्यवस्था की गयी है। क्या वे यह व्यवस्था करने की कृपा करेंगे कि उसी समिति—विनियमन समिति—को उन व्यक्तियों को सहायता देने का अधिकार दे दिया जाय जो कई वर्षों से अपने घरों से बाहर हैं?

†श्री क० च० रेड्डी : हम इसकी जांच करेंगे।

†श्री स० मो० बनर्जी : अब क्योंकि समिति नियुक्त हो गयी है, क्या उन इलाकों में रहने वाले व्यक्तियों को उस समय तक बेदखल नहीं किया जायगा जब तक समिति इस मामले पर विचार नहीं कर लेती?

†श्री क० च० रेड्डी : मैं पिछले एक अवसर पर इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं। मैंने कहा है कि इस संबंध में दिये गये आश्वासनों का पालन किये बिना पात्र विस्थापित व्यक्तियों को बेदखल नहीं किया जायगा।

†श्री भा० कृ० गायकवाड़ : क्या सरकार को पता है कि सरकार ने शरणार्थियों के लिये पृथक अनुसूचित जातियों की बस्तियों का निर्माण किया है जो सरकारी नीति के विरूद्ध है, जो उनके व्यवसाय और नौकरी के स्थान से दूर हैं, जैसे नयी दिल्ली की रामपुरी बस्ती, लाजपतराय कालोनी, और कालकाजी कालोनी, जिनका विशेष रूप से भंगियों की बस्तियों के रूप में निर्माण किया गया है?

†श्री क० च० रेड्डी : यह प्रश्न संभवतः पुनर्वास मंत्री से पूछा जाना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

नाभिकीय क्षेत्र में भारत-डेन्मार्क सहकारिता

+

†*११९०. { **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री प्र० गं० देव :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : }

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नाभिकीय क्षेत्र में भारत-डेन्मार्क सहकारिता का प्रस्ताव किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सहकारिता का स्वरूप क्या है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) और (ख) जी हां, डेन्मार्क अणुशक्ति आयोग के सभापति, प्रोफेसर नील्स बोहर ने, जो हाल ही में भारत थे, अणुशक्ति के शांतिपूर्ण प्रयोगों के बारे में डेन्मार्क और भारत के बीच सहयोग का प्रस्ताव किया है, और इस विषय में बातचीत करने के लिये डा० भाभा को डेन्मार्क बुलाया है।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : सहयोग का आधार क्या है ?

†**श्री सादत अली खां** : अणुशक्ति के शांतिपूर्ण प्रयोगों में विदेशी मित्र राष्ट्रों का सहयोग देना सरकार की नीति है।

†**श्री त्यागी** : क्या नाभिकीय अनुसंधान के मामले में डेन्मार्क बहुत आगे बढ़ गया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : तुलना करना सदा ही बड़ा कठिन है। किन्तु इस विषय में प्रोफेसर नील्स बोहर विश्व भर में संभवतः सब से विख्यात वैज्ञानिक हैं। संसार में उनके क्या स्थान हैं, इसके बारे में कोई सन्देह नहीं है। जहां तक वास्तविक कार्य तथा उपकरण का संबंध है, डेन्मार्क मे ी समझ में अधिक उन्नतिशील राष्ट्रों में से नहीं है। किन्तु सैद्धांतिक दृष्टि से अवश्य है। वैज्ञानिक मामलों में हमारा सहयोग इस बात पर आधारित नहीं कि अमुक देश ने कितनी उन्नति कर ली है। किन्हीं अर्थों में डेन्मार्क बहुत ही उन्नत देश है क्योंकि उसने युग का सब से बड़ा वैज्ञानिक पैदा किया है। वस्तुतः वे क्या कर रहे हैं, मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। इस प्रकार के आदान प्रदान से हमें हमेशा लाभ हो सकता है।

†**श्री प्र० गं० देव** : इसके प्रशिक्षण के लिये बदले में कितने भारतीय विद्यार्थी भेजे गये हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : किस देश से ?

†**श्री प्र० गं० देव** : डेन्मार्क से।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं ठीक नहीं कह सकता कि अभी तक कोई गया है, मुझे बल्कि इसमें सन्देह है।

†**श्री हेम बरुआ** : नाभिकीय क्षेत्र में डेन्मार्क और भारत के बीच इस सहयोग का उद्देश्य क्या यह है कि कुछ संयंत्र स्थापित किये जायें अथवा उनकी क्षमता पुनः निर्धारित की जाये, अथवा इस क्षेत्र में अनुसंधान के परिणामों का परस्पर विनिमय किया जाये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री जवाहरलाल नेहरू : इस सहयोग का मुख्य उद्देश्य यह है कि इस क्षेत्र में जो जानकारी प्राप्त हो वह एक दूसरे को दी जाये, एक दूसरे को यह बताया जाये कि इस क्षेत्र में और क्या-क्या काम हो गये हैं, दोनों देशों के वैज्ञानिकों को एक दूसरे के देशों को भेजा जाये ताकि वे यह देख सकें कि स्वयं उनके लिये क्या किया जा रहा है, एक दूसरे को सामान व उपकरण उपलब्ध किया जाये और अन्त में संयुक्त परियोजनायें चलाई जायें। इस समय मेरे विचार में डेन्मार्क के साथ किसी भी संयुक्त परियोजना का सुझाव नहीं है। मुख्यत: ये ही तीन बातें हैं, जिनका मैंने उल्लेख किया।

†श्री महन्ती : क्या यह सच है कि इसी काम के लिये इस बीच एक ब्रिटिश प्रतिनिधि मंडल भारत आया हुआ है और क्या यह भी सच है कि भारत सरकार इस देश में नाभिकीय शक्ति के विकास के लिये अमरीका और फ्रांस की सरकारों से भी बातचीत कर रही है, यदि हां, तो इस क्षेत्र में सरकार कौन सा दृढ़ आधार अपनाने जा रही है ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : अमरीका, ब्रिटेन, सोवियत संघ तथा अन्य देशों के यह प्रतिनिधि मंडल बड़े ही उच्च शक्ति प्राप्त प्रतिनिधि मंडल थे। अणु शक्ति के संबंध में हमने इतनी प्रगति करली है कि अन्य देशों को बड़ी दिलचस्पी पैदा होती है और जब कभी उनके प्रतिनिधि यहां आते हैं तो वे आश्चर्य प्रकट करते हैं कि हमने इतनी प्रगति कर ली है। यह सब आदान प्रदान चल रहा है और हम इस सहयोग का फायदा उठाना चाहते हैं। मैं विशिष्ट रूप से नहीं कह सकता कि इसका कब क्या रूप होगा।

अखबारों को विज्ञापन

†*११६१. श्री अजित सिंह सरहदी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी प्रदेश विशेष के अखबारों को विज्ञापन देने अथवा ऐसे अखबारों को विज्ञापन पाने योग्य अखबारों की श्रेणी में लाने से पहले विधान मंडल के प्रादेशिक सदस्यों से परामर्श कर लिया जाता है ; और

(ख) इस प्रकार के चुनाव के लिये क्या रीति अपनाई जाती है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा-सचिव (श्री शा० चं० जोशी)** : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) उन सभी समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं का ब्यौरा, जो भारत सरकार से विज्ञापन मांगते हैं, विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय में दर्ज हैं, तथा धन की मात्रा को देखते हुये और प्रत्येक विज्ञापन की आवश्यकताओं के अनुसार विज्ञापन देने के लिये उन समाचारपत्रों के बारे में विचार किया जाता है, जिनका स्तर अपेक्षा से गिरा हुआ नहीं होता। प्रत्येक विज्ञापन के लिये अलग-अलग समाचारपत्र काम में लाये जाते हैं अत: समाचारपत्रों की एक स्थायी सूची बनाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†श्री अजित सिंह सरहदी : किस स्तर के समाचारपत्र विज्ञापनों के लिये चुने जाते हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : मैंने बजट संबंधी वाद-विवाद के दौरान यह बताया है कि किन-किन स्तरों के आधार हम समाचार पत्रों का निर्णय करते हैं।

†श्री रघुनाथ सिंह: भारतीय भाषाओं के कितने समाचारपत्रों को इस समय विशेष दरें दी जा रही हैं और यदि विशेष दरें दी जा रही हैं, तो क्यों ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†डा० केसकर : यह बताना कठिन है। भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों को मेरी समझ में विशेष दरें नहीं दी जा रही हैं। अंग्रेजी अथवा भारतीय भाषाओं के पत्रों के लिये विज्ञापन की दरें उन्हीं दरों के अनुपात में निश्चित की जाती हैं जो वे वाणिज्यिक विज्ञापनों के लिये लेते हैं।

†श्री रघुनाथ सिंह : क्या दरें समाचारपत्र की बिक्री के आधार पर तय की जाती हैं अथवा किसी अन्य आधार पर ?

†डा० केसकर : मैं पहले ही बता चुका हूं कि दरें तय करने के सिद्धांत क्या हैं, अर्थात् उनकी बिक्री खूब है या नहीं, प्रकाशन ठीक समय पर होता है अथवा नहीं, किस वर्ग के लोग उसे पढ़ते हैं, आदि।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य केवल यह जानना चाहते हैं कि यह बिक्री पर आधारित है।

†डा० केसकर : अन्य बातों के साथ-साथ इसका विशेष ध्यान रखा जाता है।

†श्री वाजपेयी : खूब बिक्री का क्या तात्पर्य है ?

†डा० केसकर : खूब बिक्री का केवल समाचारपत्र की बिक्री से ही तात्पर्य नहीं है।

श्री जगदीश अवस्थी : क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि दैनिक पत्रों को जो विज्ञापन दिये जाते हैं और इसके अतिरिक्त जो मासिक, पाक्षिक या साप्ताहिक पत्रों को विज्ञापन दिये जाते हैं, इनके बारे में आपके जो नियम हैं क्या वे एक से हैं या उनमें अन्तर है ?

डा० केसकर : स्पष्ट है कि सब के लिये एक से नियम हो ही नहीं सकते हैं। जो दैनिक पत्र हैं उनके लिये जो रेट होगा वह एक होगा और मासिक या पाक्षिक या साप्ताहिक पत्रों के लिये रेट बिल्कुल दूसरा होगा।

†श्री अन्सार हरवानी : क्या बिक्री के बारे में ए० बी० सी० से परामर्श किया जाता है ?

†डा० केसकर : माननीय सदस्य स्वयं पत्रकार होने के नाते अच्छी तरह जानते हैं कि सभी पत्रिकायें तथा समाचारपत्र ए० बी० सी० से प्रमाणपत्र नहीं लेते। वे चार्टर्ड अकाउन्टेंट से प्रमाण पत्र ले सकते हैं।

†श्री वाजपेयी : क्या सरकार के पास अपनी कोई ऐसी व्यवस्था है जिस से वह यह पता लगा सके कि किसी पत्र की खूब बिक्री होती है अथवा नहीं ?

†डा० केसकर : ऐसे प्रश्न पैदा होते रहते हैं और हम यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कितनी बिक्री होती है। मैं यह मानता हूं कि इन चीजों का पता लगाने में कुछ कठिनाई है। हम यह काम समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार से कराना चाहते हैं किन्तु अभी तक हमने कुछ ही मामलों को छोड़ कर स्वयं समाचार पत्र द्वारा प्रस्तुत किये गये बिक्री के प्रमाणपत्रों को ही सामान्यत: स्वीकार कर लिया है।

†श्री सा॰ ना॰ गुप्त : इस बिक्री के अलावा और कौन सी बातों पर विचार किया जाता है जिनके आधार पर यह तय किया जाता है कि एक समाचारपत्र अथवा पत्र इस स्तर पर पहुंच गया है कि उसे सरकारी विज्ञापन दिये जा सकते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं दे रहा। जब स्तरों के बारे में प्रश्न पूछा गया था तो माननीय मंत्री ने अपने मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा के दौरान उत्तर में दिये गये अपने वक्तव्य का उल्लेख किया था। इसीलिये जब कि वे उनको दोहरा रहे थे, मैंने उन्हें रोक दिया था। इन मामलों पर हम सभा का समय नष्ट नहीं कर सकते।

राज्य व्यापार निगम

+

†*११६३. { श्री ना० रा० मुनिस्वामी :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के कोयला व्यापारियों ने राज्य व्यापार निगम द्वारा उनके लिये प्राप्त किये गये कोयले के घटिया किस्म के होने के संबन्ध में विरोध प्रगट करने के लिये १५ फरवरी, १९६० को या उसके आस-पास एक जलूस निकाला था ;

(ख) क्या कोयले की किस्म के बारे में भारत सरकार को दिल्ली कोयला विक्रेता संघ से कोई अभ्यावेदन मिला है ; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). हां, श्रीमान्।

(ग) राज्य व्यापार निगम दिल्ली राज्य प्रशासन के असिस्टेंट डाइरेक्टर सिविल सप्लाईज़ के परामर्श से शिकायतों की जांच कर रहा है।

†श्री न० रा० मुनिस्वामी : राज्य व्यापार निगम ने यह माल कहां से मंगवाया था ? क्या कोयला लेते समय उसकी किस्म की जांच कराने के लिये राज्य व्यापार निगम ने कोई व्यवस्था कर रखी है ? बुरे किस्म के कोयले को ठीक बताने से संबंधित लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†श्री कानूनगो : झगड़ा यह है कि कोयला कैसा था। राज्य व्यापार निगम ने वहां से कोयला मंगवाया था जहां सब से बढ़िया किस्म का कोयला मिलता है। लदान से पहले राज्य व्यापार निगम के इंस्पेक्टर उसकी जांच करते हैं।

†श्री न० रा० मुनिस्वामी : क्या राज्य व्यापार निगम ने विवादास्पद कोयले की जांच करा ली है और यदि हां, तो क्या उसने उस कोयले को स्टैन्डर्ड कोयले के रूप में स्वीकार कर लिया है ?

†श्री कानूनगो : राज्य व्यापार निगम द्वारा जो कोयला दिल्ली लाया गया था उसकी लदान के समय जांच कर ली गयी थी और वह ठीक बताया गया था। राज्य व्यापार निगम से इसलिये कहा गया क्योंकि अन्य स्रोतों से भी कोयला मंगाया जाता है।

†श्री न० रा० मुनिस्वामी : बुरे किस्म के कोयले के अलावा कम मात्रा में भी कोयला भेजा जाता है। जब कि सरकार यह जानती है कि दिल्ली में इतने कोयले की आवश्यकता है, भविष्य में इसकी कमी को दूर करने के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री कानूनगो : कोयला की मात्रा कम है अथवा ठीक, इस बारे में डाइरेक्टर आफ सिविल सप्लाईज विचार करेगा। राज्य व्यापार निगम तो केवल कोयला मंगवाने के लिये एक अभिकरण स्वरूप है।

†श्री दी० चं० शर्मा : क्या बुरे किस्म के कोयले के लिये भी अच्छे किस्म के कोयले का मूल्य लिया गया था? और यदि हां, तो उसका मूल्य कम क्यों नहीं किया गया?

†श्री कानूनगो : केवल उसकी किस्म के बारे में ही झगड़ा नहीं है। मूल्यादि बातों का निर्णय डाइरेक्टर आफ सिविल सप्लाईज द्वारा किया जाता है। जैसा मैंने पहले कहा राज्य व्यापार निगम तो एक अभिकरण स्वरूप है जो कोयला खान से दिल्ली तक कोयला मंगवा कर उसे डाइरेक्टर आफ सिविल सप्लाईज को दे देता है।

†श्री विद्या चरण शुक्ल : कितन तथा कितने मूल्य के कोयले के बारे में यह झगड़ा है और किन परिस्थितियों में राज्य व्यापार निगम को दिल्ली के उपभोक्ताओं को कोयले के संभरण का काम दिया गया?

†श्री कानूनगो : राज्य व्यापार निगम के व्यापार में घुसने का प्रश्न नहीं है। दिल्ली प्रशासन तथा खान और विद्युत् मंत्रालय के कहने पर राज्य व्यापार निगम इसके लिये तैयार हुआ। प्रतिदिन कोयले के १००० से १,२०० माल डिब्बे आ रहे हैं।

†श्री त्यागी : कोयले का संभरण करने के बदले में क्या राज्य व्यापार निगम कोई कमीशन लेता है और यदि हां, तो कितना?

†श्री कानूनगो : मुझे ठीक जानकारी नहीं है। शायद उन्होंने उतना ही लिया था जितना अपना खर्च किया था।

†श्री त्यागी : इस काम के बदले में जो कुछ वे लेते हैं क्या उसके लिये कोई प्रतिशत निश्चित है?

†श्री कानूनगो : मुझे कोई जानकारी नहीं है।

†श्री तंगामणि : क्या यह सच नहीं है कि दिल्ली के व्यापारियों को प्रतिमास जो १००० वैगन कोयला दिया जाता है, उस में से ३३० वैगन राज्य व्यापार निगम को नियत किये गये थे और बार बार अभ्यावेदन भेजने के बावजूद अच्छा कोयला नहीं मंगाया गया है और ३३० व्यापारियों ने कोयला लेने से इन्कार कर दिया है तथा वे हड़ताल की धमकी दे रहे हैं?

†श्री कानूनगो : यह बात डाइरेक्टर आफ सिविल सप्लाईज के सोचने की है। जैसा मैंने कहा, राज्य व्यापार निगम वितरण अथवा बिक्री के लिये जिम्मेवार नहीं है। राज्य व्यापार निगम केवल कोयला प्राप्त करने वाला अभिकरण है जो कि कोयला खान से दिल्ली कोयला मंगवाता है तथा डाइरेक्टर आफ सिविल सप्लाईज को देता है।

†श्री विद्या चरण शुक्ल : इस व्यापार में कितने बुरे कोयले का प्रश्न है तथा उसका मूल्य क्या है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री कानूनगो : यह राज्य व्यापार निगम तथा असिस्टेंट डाइरेक्टर आफ सिविल सप्लाईज के बीच चर्चा का विषय है ।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है कि जब से स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन के हाथ में कोयले का धंधा दिया गया है तब से पहले की अपेक्षा कोयले का भाव तेज़ हो गया है, अधिक हो गया है ?

श्री कानूनगो : हमारी जहां तक इनफार्मेशन है, यह है कि नहीं हुआ है । एस० टी० सी० का इस काम में आने का कारण यह हुआ कि क्योंकि दिल्ली प्रशासन ने देखा कि उनकी अनाज प्राप्त करने की नीति में व्यापारियों द्वारा बाधा पहुंचाई जा रही है क्योंकि वे कृत्रिम कमी पैदा कर देते थे और जिस से मूल्य बढ़ जाते थे । अतः दिल्ली प्रशासन ने उनके लिये कुछ कोयला मंगाने के लिये राज्य व्यापार निगम से प्रार्थना की ।

सिक्किम को सहायता

\+

†*११९४. { **श्री वाजपेयी** : **श्री भंजदेव** : **श्री मानवेन्द्र शाह** : }

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिक्किम सरकार ने अपने विकास कार्यक्रमों के लिये भारत से और भी सहायता मांगी है ;

(ख) भारत ने सिक्किम को अब तक कुल कितनी वित्तीय सहायता दी है ; और

(ग) इस सहायता से किन किन उद्योगों के लिये वित्त व्यवस्था की जा रही है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री जो० ना० हजारिका)** : (क) और (ख). भारत सरकार सप्तवर्षीय सिक्किम विकास योजना की सहायता कर रही है जिसका आज छठा वर्ष पूरा होता है । योजना के लिये ३०७ लाख रुपये देने का जो वचन दिया गया है, उस में से अब तक सिक्किम को २,५३,१५,००० रुपये दिये जा चुके हैं ।

इसके अलावा, भारत सरकार रस्से के लटकते हुए पुल की योजना को २९ लाख रुपये का ऋण देने को सहमत हो गई है । चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक २५·५ लाख रुपये दिये जा चुके हैं और अगले वित्तीय वर्ष के लिये बजट में ३·५ लाख रुपये का उपबन्ध किया गया है ।

सिक्किम सरकार ने कुछ योजनाओं के लिये, जो पहले योजना में सम्मिलित नहीं की गई थीं, अतिरिक्त धन देने के लिये प्रार्थना की है सरकार उनकी इस प्रार्थना पर विचार कर रही है ।

(ग) सिक्किम सरकार द्वारा योजना के अन्तर्गत चलाई गई कुछ महत्वपूर्ण परियोजनायें इस प्रकार हैं :—

(१) गंगटोक तथा लाचुंग में प्रदर्शन फार्म ;

(२) सिक्किम के लिये एक आधारभूत राष्ट्रीय विस्तार सेवा संगठन ;

†मूल अंग्रेजी में

(३) फल परिरक्षण तथा डिब्बों में भरने का कारखाना ;

(४) गंगटोक में एक पशु चिकित्सालय तथा सुअर पालन केन्द्र ;

(५) भूरक्षण एकक ;

(६) छोटी सिंचाई परियोजनायें ;

(७) गंगटोक तथा सिक्किम में जल-विद्युत् परियोजनाओं की स्थापना ;

(८) संचार के साधनों में सुधार ;

(९) गंगटोक में एक हाई स्कूल की स्थापना ;

(१०) सिंगटम तथा नामची में हस्पतालों की स्थापना ;

(११) क्षय रोग चिकित्सालय ।

†**श्री वाजपेयी** : माननीय प्रधान मंत्री की इस घोषणा को देखते हुए कि सिक्किम पर आक्रमण भारत पर आक्रमण समझा जायेगा, क्या सरकार ने सिक्किम को अपना सैनिक बल बढ़ाने के लिये कोई सहायता दी है ?

†**श्री रघुनाथ सिंह** : इस प्रश्न से यह कैसे उत्पन्न होता है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : क्योंकि भारत सरकार ने उसका उत्तरदायित्व लिया है, अतः सिक्किम के सैनिक बल को बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न केवल विकास कार्यक्रम के बारे में है ।

†**श्री वाजपेयी** : क्या यह देखने के लिये कोई कार्यवाही की गई है कि जो सहायता सिक्किम को दी जाती है, उसका उचित रूप में उपयोग किया जाता है ?

†**श्री जो० ना० हजारिका** : जी हां । हमारे राजनैतिक पदाधिकारी ने हमको बताया है कि प्रगति ठीक तरह से हो रही है ।

†**श्री हेम बरुआ**: माननीय सभासचिव ने जिस अतिरिक्त वित्तीय सहायता का उल्लेख किया, जिसके लिये किसी परियोजना का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, वह क्या सामान्य विकास योजना के लिये है अथवा उसकी आवश्यकता प्रतिरक्षा की वर्तमान स्थिति के कारण उत्पन्न हो गई है ?

†**श्री जो० ना० हजारिका** : सिक्किम सरकार ने ९६,२६,००० का अतिरिक्त अनुदान मांगा है । यह धन रोंगनी छू जलविद्युत् योजना, तांबे के निक्षेपों की खोज तथा सिक्किम रेडियो नामकी तीन परियोजनाओं के लिये दिया गया है । इसके अतिरिक्त चालू योजना के व्यय के समायोजन की भी योजना है ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : सिक्किम की सड़कों तथा सड़क परिवहन के लिये कितनी धन राशि नियत की गई है तथा सिक्किम को भारत के राजमार्गों से मिलाने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जहां तक सिक्किम की सड़कों का सम्बन्ध है, मैं नहीं कह सकता कि उसके लिये कितना धन दिया गया है तथा कितनी लम्बी सड़कें बनाई जायेंगी । किन्तु इस पर अपने देश की समस्त सीमा पर स्थित सड़कों के विकास की दृष्टि से विचार किया जा रहा है । यह उसका

†मूल अंग्रेजी में ।

एक महत्वपूर्ण पहलू तथा यह उसमें सम्मिलित है। स्वभावतः यह आवश्यक है कि उन सड़कों को भारत की अन्य सड़कों से मिला दिया जाये।

†**श्रीमती मफीदा अहमद** : वित्तीय सहायता के अतिरिक्त क्या सिक्किम सरकार ने अपने विकास कार्यक्रम को बनाने में भारत से कोई सलाह ली थी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इन विषयों पर हमेशा ही चर्चा की जाती है। जब कभी ऐसा प्रश्न पैदा होता है, तो उस पर पारस्परिक चर्चा की जाती है तथा सहयोग प्राप्त किया जाता है।

†**श्री ब्रजेश्वर प्रसाद** : क्या सिक्किम में हवाई अड्डा बनाने के लिये कोई सहायता दी गई है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या सिक्किम में हवाई अड्डे के निर्माण के लिये कोई धन राशि नियत की गई है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। क्या हवाई अड्डा बनाना आसान नहीं है। वस्तुतः छोटे छोटे हवाई अड्डे बनाये जा सकते हैं।

श्री भक्त दर्शन : अभी बताया गया कि जो सात वर्षीय विकास योजना बनाई गई थी, उस के छः वर्ष पूरे हो रहे हैं, लेकिन खर्चा अभी तक बहुत कम हुआ है उसके मुकाबले में। तो क्या गवर्नमेंट आशा करती है कि सात वर्षीय कार्यक्रम पूरी रफ्तार से चल सकेगा, और आगे के लिये क्या कोई सात वर्षीय योजना बनाई गई है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : यह कैसे उन्होंने कहा कि खर्चा कम हुआ है। ३०७ लाख में से २५३ लाख रु० खर्च हो चुके हैं। यह कोई बहुत कम तो नहीं है।

पुराने आयातक

†*११९५. **श्री हेम बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में विदेशी वस्तुओं के पुराने आयातकों पर किसी प्रकार का अंकुश रखा जाता है ;

(ख) यदि हां, तो इसके लिये क्या व्यवस्था है ;

(ग) क्या १९५८–५९ और १९५९–६० में पुराने आयातकों द्वारा मुनाफाखोरी की जाने की कोई घटना हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो इनकी संख्या कितनी है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). हां, श्रीमान्। सीमा शुल्क पदाधिकारी लाइसेंस से मंगाये गये सारे माल की यह देखने के लिये परीक्षा करते हैं कि लाइसेंस की शर्तों का अनुपालन हुआ है अथवा नहीं।

(ग) और (घ). ठीक ठीक संख्या उपलब्ध नहीं है। किन्तु जब कभी ऐसे मामलों की सूचना सरकार को दी गई, इनकी जांच की गई और इस हिदायत के साथ लाइसेंस दिये गये कि

†मूल अंग्रेजी में

सरकार के विशिष्ट अनुदेशों के अनुसार ही माल बेचा जाये अथवा उन पर एक विशेष प्रतिशत से अधिक लाभ न लिया जाये ।

†श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि आयात मंत्रणा परिषद् का उद्घाटन करते हुये श्री लाल बहादुर शास्त्री ने पुराने आयातकों को यह चेतावनी दी थी कि यदि वे कुछ चीजों में, जिनका संभरण कम है, मुनाफाखोरी करते रहेंगे तो सरकार राज्य व्यापार निगम का सहारा लेने के लिये बाध्य हो जायेगी ? यदि हां, क्या यह चेतावनी बिना किसी मामलों के वैसे ही दे दी गई थी ?

†श्री कानूनगो : जब एक चीज की सप्लाई कम है तो उसका अधिक मूल्य हो सकता है । प्रश्न आयात से सम्बन्धित है । उस सम्बन्ध में मैंने बताया कि ऐसे विशिष्ट मामलों की संख्या बहुत कम है । आयात के मामले में जो यह अधिक मूल्य लिये जा रहे हैं, उनको रोकने के लिये हमने सोचा है कि लाइसेंस में ऐसी शर्तें रखी जायें जिनको लागू किया जा सके तथा कानून के मुताबिक दण्ड दिया जा सके ।

†श्री च० द० पांडे : यह देखते हुए कि पुराने आयातक बहुत कम हैं, क्या सरकार उनकी संख्या बढ़ाने की संभावना पर विचार करेगी ताकि नये व्यक्ति आ सकें और एकाधिकार के लाभ को कई लोग बांट सकें ?

†श्री कानूनगो : अब एकाधिकार का कोई प्रश्न नहीं हैं क्योंकि पुराने आयातकों की संख्या बहुत है और उनको बहुत कम मात्रा में माल मिलता है । अतः इन परिस्थितियों में नवागुन्तकों को अनुमति देना संभव नहीं होगा ।

†श्री हेडा : क्या सरकार को ज्ञात है कि अब भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका केवल आयात करने से ही लगभग २०० से ३०० प्रतिशत का लाभ है ?

†श्री कानूनगो : यह इसलिये नहीं है कि इसके साथ कुछ शर्तें लगी हुई हैं और हम इसके बारे में सतर्क रहते हैं तथा हमें इसकी जानकारी है । हमें इस सम्बन्ध में कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं । यह ठीक है कि कुछ चीजों में जिनकी सप्लाई कम है, विशेषतः उपभोक्ताओं की वस्तुओं में अधिक लाभ की संभावना है ।

श्री राधेलाल व्यास : इम्पोर्ट लाइसेंस जिनको दिये जाते है वे चाहे अपने कागजों में यह दिखाते होंगे कि वे ज्यादा मुनाफा नहीं खाते हैं, लेकिन क्या यह बात सही नहीं है कि वे जो बिल देते है वे और होते हैं और जो कीमत लेते हैं वे और होती हैं ? और यदि यह सही है तो क्या मैं जान सकता हूं कि दूसरे प्वाइंट्स पर जहां उपभोक्ताओं को चीजें मिलती हैं चूंकि वे कई गुनी कीमत पर मिलती हैं इसलिये जिनको इम्पोर्ट लाइसेंस दि जाते हैं उन पर क्या यह शर्त रक्खी जायेगी कि बाजार में चीजें ठीक कीमत पर लोगों को मिलें ?

†श्री कानूनगो : यही मैंने कहा था । यह एक बहुत ही कठिन समस्या है क्योंकि माल कई हाथों से होकर गुजरता है । हम मूल स्थान पर ही इसको लागू करने की कोशिश करते हैं । इसके बाद उसे लागू करने के लिये हम अभी तक कोई ठीक कार्य-व्यवस्था नहीं कर पाये हैं ।

†श्री पु० र० पटेल : माननीय मंत्री ने यह बताया है कि आयात लाइसेंस तथा आयातित माल पर नियंत्रण रखा जाता है । क्या सरकार को मालूम है कि ये लाइसेंस बेचे जाते हैं और

†मूल अंग्रेजी में

लाइसेंसधारी के अलावा अन्य व्यक्ति माल मंगवाता है ? मैं यह और जानना चाहता हूं कि सरकार मूल्य नियत करने व नियंत्रित करने की पर्वाह क्यों नहीं करती जब कि आयातित माल देश में है ।

†**श्री कानूनगो** : मूल्य निर्धारण की समस्या बड़ी कठिन है । इसके लिये नियंत्रण की वह कार्यवाही करना आवश्यक होगा जो सरकार अभी करना नहीं चाहती । लाइसेंसों का व्यापार करना एक अपराध है । इसकी सूचना मिलने पर यह जांच के लिये पुलिस को सौंप दिया जाता है । हमें अनेक शिकायतें मिलती हैं और पुलिस उनकी जांच करती है । मेरा ख्याल है कि ऐसे २७ मामले हैं ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि सरकार का विचार उद्योग तथा विभिन्न वस्तुओं की आवश्यकता के लिये आयात का वार्षिक लाइसेंस देने का है ? यदि हां, तो क्या यह निश्चय करने से पहले उन व्यक्तियों की जांच करेगी जो श्री लाल बहादुर शास्त्री के अनुसार मुनाफाखोर हैं ?

†**श्री कानूनगो** : अधिकतर वास्तविक प्रयोगकर्ताओं को वार्षिक लाइसेंस देने का विचार है । ये लाइसेंस औद्योगिक उपक्रमों के लिये हैं जिनकी आवश्यकता अनेक बातों से विदित है ।

†**श्री पु० र० पटेल** : क्या सरकार को विदित है कि लाइसेंस लेते समय लाइसेंस लेने वालों को धन देना पड़ता है ?

†**श्री कानूनगो** : यह भ्रष्टाचार का अपराध है । इसकी रोकथाम के लिये काफी बड़ा विभाग है ।

†**श्री थानू पिल्ले** : क्या सरकार मूल्य नियंत्रित करने के बजाय जनता को यह बताने के लिये कि उसे उचित मूल्य कितना देना चाहिये, उचित मूल्य प्रकाशित करने पर विचार कर रही है ?

†**श्री कानूनगो** : श्रीमान्, यह एक सुझाव है ।

†**श्री हेम बरूआ** : क्या यह सच है कि चीनी, कागज और भेषजों के मामले में आयात द्वारा सुधार नहीं किया जा सका है ? यदि हां तो सरकार इन मामलों में क्या कार्यवाही करेगी ?

†**श्री कानूनगो** : कागज और भेषजों के मामलें में विपणन और मूल्य सम्बन्धी बातों की राज्य बहुत ही सतर्कतापूर्ण देख भाल कर रहे हैं और जहां तक हमारा सम्बन्ध है आयात प्रक्रम पर मुनाफा निश्चित कर दिया जाता है एवं हम इसकी जांच करते हैं कि मुनाफा बढ़े नहीं ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या यह सच है कि आजकल समझी जा रही कोई भी ऐसी कठिनाई दूर करने के लिये सुप्रसिद्ध आयातकर्ता राज्य व्यापार निगम के व्यापारी साझी के रूप में कार्य करेंगे ?

†**श्री कानूनगो** : कोई आवश्यक तो नहीं है । राज्य व्यापार निगम अपनी नीति के अनुसार सुप्रसिद्ध एजेंसियों के द्वारा कार्य करना चाहता है और सुप्रसिद्ध आयात-कर्ता एक एजेंसी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा में विस्थापित व्यक्ति

+

†*११९६. { **श्री संगण्णा :**
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :

क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा की पुनर्वास बस्तियों में रहने वाले विस्थापित व्यक्तियों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता कतई बन्द कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो उनके लिये इसके बदले क्या व्यवस्था की गई है ;

(ग) सहायता कब से बन्द की गई है ; और

(घ) उसके कारण क्या हैं ?

†पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) नहीं। पिछले दिनों ही राज्य सरकार से बातचीत हुई थी और कुछ निश्चय किये गये थे । विस्तृत नोट जो सभा सदस्यों को पहले ही परिचालित किया जा चुका है, पटल पर रखा जाता है । (**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २८**)

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

†श्री संगण्णा : विस्थापित व्यक्तियों पर अब तक कितना व्यय किया गया है ?

†श्री पू० शे० नास्कर : पटल पर रखे गये विवरण में ब्यौरा दिया है। मैं माननीय सदस्य का ध्यान इसकी ओर आकर्षित करता हूं ।

†श्री संगण्णा : क्या सरकार को विदित है कि उड़ीसा सरकार का पुनर्वास विभाग बन्द हो गया है ?

†श्री पू० शे० नास्कर : अपेक्षित जानकारी भी विवरण में दी है। यह इस वर्ष ३१ मार्च को बन्द होगा ।

†श्री प्र० के० देव : क्या इस उत्तर का सम्बन्ध उड़ीसा में दण्डकारण्य में बसे विस्थापित व्यक्तियों से है ?

†श्री पू० शे० नास्कर : दण्डकारण्य का प्रश्न एक भिन्न प्रश्न है। इसका सम्बन्ध चखतिया शिविर के व्यक्तियों से है ।

†श्री साधन गुप्त : विवरण से विदित होता है कि २५८ लाख रु० व्यय हुए है। क्या सरकार के पास यह दर्शाने वाले आंकड़े हैं कि २५८ लाख रु० की राशि में से कितने रु० विस्थापित व्यक्तियों को वास्तविक ऋण व अनुदान देने पर व्यय हुए और कितने रु० प्रशासन पर व्यय हुए ?

†श्री पू० शे० नास्कर : मैं यह बताने में असमर्थ हूं कि प्रशासन पर कितना व्यय हुआ । परन्तु मैं यह कह सकता हुं कि ९६ लाख रु० सहायता देने में और १६२ लाख रु० पुनर्वास पर व्यय हुए हैं । विभिन्न आंकड़े माननीय सदस्यों को परिचालित किये गये विवरण में दिये गये हैं ।

हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड

+

†*११९७. श्री भा० कृ० गायकवाड़ :
श्री परूलकर :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री तंगामणि :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार द्वारा १९५४ में बनाई गई वैज्ञानिकों की विशेषज्ञ समिति का एक निर्देश-पद यह भी था कि वह पेनिसिलीन परियोजना के उत्पादन एवं अनुसंधान सम्बन्धी पहलुओं की दृष्टि से प्राविधिक पक्ष की जांच करे और हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लिमिटेड के निदेशक मण्डल द्वारा अपनाई गई रीतियों की उपयुक्तता और उसकी प्राप्त सफलता के बारे में सरकार को अपना स्वतंत्र परामर्श दे ;

(ख) क्या यह सच है कि इस विशेषज्ञ समिति ने अपना अन्तिम प्रदितवेदन १९५६ में दिया था ;

(ग) क्या यह सच है कि तब से उसने कार्य नहीं किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (घ). एक विवरण पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) १९५४ में सरकार द्वारा बनाई गई वैज्ञानिक विशेषज्ञ समिति के मूल निर्देश पद निम्न हैं :—

"पेनिसिलीन परियोजना के प्राविधिक पक्ष की उत्पादन तथा अनुसन्धान सम्बन्धी पहलुओं से जांच करे और परयोजना की टेक्निकल उत्तमता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही के सम्बन्ध में समय समय पर सरकार को परामर्श दे ।"

(ख) हां, श्रीमान् ।

(ग) तथा (घ). जून १९५७ में सरकार द्वारा पुनरीक्षित किये गये निर्देश पद निम्न हैं :—

"समिति हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लिमिटेड को महत्वपूर्ण तथा बड़े प्राविधिक पदों सम्बन्धी उन विशिष्ट समस्याओं पर परामर्श देगी जो कम्पनी का निर्देशक मण्डल विशेष रूप से उसके पास भेजेगा ।"

१६५६ से एक कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं हुआ है। अतः १६५६ से इस समिति की कोई बैठक नहीं हुई है ।

†श्री भा० कृ० गायकवाड़ : क्या यह सच है कि पेनिसिलीन का उत्पादन तथा प्राविधिक पक्ष सन्तोषजनक नहीं है और इसी कारण उसकी बड़ी मात्रा रद्द कर दी गई थी ?

†श्री मनुभाई शाह : यह सर्वथा सच है। किस्म में निरन्तर सुधार हो रहा है । संभव है कि कुछ खेंप रद्द की गई हों। कोटि नियंत्रण बुरी चीजें नियंत्रण करने के लिए है।

†श्री तंगामणि : क्या इस विशेषज्ञ समिति को निर्देशिक मंडल ने जून १६५७ के बाद महत्वपूर्ण तथा बड़ी प्राविधिक बातों संबंधी कोई विशिष्ट समस्या भेजी है ?

†श्री मनुभाई शाह : प्रश्न के भाग (ग) और (घ) में इसका उल्लेख है। ऐसी कोई बात पैदा नहीं हुई है जो निर्देशक पूरी न कर सका हो। अतः कुछ भी निर्देश नहीं किया गया।

†श्री तंगामणि : क्या सरकार का विचार इस विशेषज्ञ समिति को बनाये रखने का है या बंद करने का है ?

†श्री मनुभाई शाह : जैसा कि माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है यह मामला विचाराधीन है । इस समिति को स्थायी रूप से बनाये रखने की कोई आवश्यकता दिखाई नहीं देती। सरकार समय समय पर एतदर्थ समिति बना सकती है। अतः मामला सक्रिय रूप से विचाराधीन है । अभी समिति काम कर रही है।

†श्री विद्याचरण शुक्ल : इस समिति के बनाने के चार वर्ष बाद किन परिस्थितियों में उसके मूल निर्देश पद संशोधित किये गये, क्या यह हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड के संबंध में की गई किसी अनुचित सिफारिश का परिणाम था ?

†श्री मनुभाई शाह : नहीं, श्रीमान् । वास्तव में कारखाने ने एक विभागीय एजेन्सी आरम्भ की और बाद में १६५५ में प्रशासकों, वैज्ञानिकों और टेक्निशियनों का एक सम्पूर्ण बोर्ड बनाया गया । अतः स्वाभाविक है कि समिति का, जिसने बोर्ड न होने पर कार्य करना आरम्भ किया था, बोर्ड बनने पर कोई संगत आधार न रहा।

†श्री विद्याचरण शुक्ल : विवरण में उल्लेख है कि रिपोर्ट १६५६ में प्रस्तुत की गई थी। समिति की सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई थी।

†श्री मनुभाई शाह : समिति ने १६५४, १६५५ और १६५६ में एक एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उनकी सारी सफारिशों की ध्यानपूर्वक जांच की गई है और उन में अधिकतर कार्यान्वित कर दी गई हैं ।

†श्री स० मो० बनर्जी : पहिले निर्देश पद थे कि :

> "पेनिसिलीन परियोजना के प्राविधिक पक्ष की उत्पादन तथा अनुसन्धान संबंधी पहलुओं से जांच करे और परियोजना की टेक्निकल उत्तमता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही के संबंध में समय समय पर सरकार को परामर्श दे।"

पुनरीक्षित निर्देश है कि :

> "समिति हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड को महत्वपूर्ण तथा बड़े प्राविधिक पदों संबंधी उन विशिष्ट समस्याओं पर परामर्श देगी जो कम्पनी का निर्देशक मंडल विशेष रूप से उसके पास भेजेगा ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

क्या पुनरीक्षित निर्देश-पदों के अन्तर्गत समिति बेकार न होगी क्योंकि निर्देशक कभी भी कोई बात उन्हें निर्देश न करेंगे ? इन शक्तियों के होते हुए इस समिति के होने से क्या लाभ ?

†**श्री मनुभाई शाह** : पहिले प्रश्न का उत्तर देते हुए मैं ने यही बात कही थी कि आज कल समिति से कोई लाभ नहीं है क्योंकि आज कल सक्षम बोर्ड परियोजना चला रहा है । अत: यह बात विचाराधीन है कि क्या ऐसी स्थायी समिति का कोई महत्व है । तदर्थ समिति कभी भी और किसी भी विशिष्ट समस्या के लिए नियुक्त की जा सकती है । परन्तु अभी समिति विद्यमान है ।

भारतीय राज्य-क्षेत्र प्रदर्शित करने वाले पाकिस्तानी टिकट

+

†*१२०४.
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री अ० मु० तारिक :
डा० राम सुभग सिंह :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री प्र० गं० देब :
श्री स० अ० मेहदी :
श्री रामी रेड्डी
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २३ मार्च, १९६० को पाकिस्तान दिवस से पूर्व पाकिस्तान ने चार नये डाक टिकट और प्रथम दिन के लिफ़ाफ़े (फ़र्स्ट डे कवर) यह दिखाने के लिये निकाले हैं कि पाकिस्तान के संबंध में कश्मीर, जूनागढ़ और मंगरोल राज्यों की स्थिति क्या है ; और

(ख) क्या इस संबंध में कोई विरोध पत्र भेजा गया है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) पाकिस्तान के डाक तथा तार विभाग ने २३ मार्च, १९६० को ६ पाई, २ आने, ८ आने और एक रुपये के चार डाक टिकट जारी किये । टिकट जारी करने वाले पर्चे में निम्न उल्लेख था :

"जम्मू तथा काश्मीर में जनमत निर्णय का प्रश्न विश्व गोष्टी के समक्ष बारह वर्ष से है । पाकिस्तान के डाक तथा तार विभाग ने कुछ निश्चयात्मक डाक टिकट जारी किये जिनमें जम्मू तथा काश्मीर की और भारत तथा पाकिस्तान की ठीक स्थिति दर्शाई गई है । जूनागढ़ और माणावदर की भी ठीक स्थिति दिखाई गई है ।"

(ख) जम्मू तथा काश्मीर, जूनागढ़ और माणावदर भारतीय संघ प्रशासित राज्य क्षेत्र है जैसा कि सदन को विदित है । पाकिस्तान के डाक तथा तार विभाग द्वारा इन चार डाक टिकटों को

†मूल अंग्रेजी में

जारी करने से इन राज्य क्षेत्रों की स्थिति पर या इन राज्य क्षेत्रों पर भारत संघ की प्रभुत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता ।

भड़काने वाली इस अशुभ तथा प्रोपगंडा की क्रिया से भारत पाकिस्तान सम्पर्कों में एक नई चिढ़ उत्पन्न हो गई है । इसके संबंध में भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार को अपनी चिन्ता बता दी है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या हमारे विरोध का अब तक उत्तर प्राप्त हो गया है, और क्या भारत सरकार इस विषाक्त प्रोपगंडा को अप्रभावी बनाने के लिये ठीक स्थिति दर्शाने वाले वैसे ही टिकट जारी करेगी, क्योंकि ये टिकट सभी देशों में जायेंगे? इसके अतिरिक्त और क्या कार्यवाही की गई है?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है । मैं नहीं जानता कि उत्तर यदि कोई आया तो, कब आयेगा । परन्तु यहां पाकिस्तान के उच्च आयुक्त और कराची में पाकिस्तान प्राधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है ।

माननीय सदस्य के प्रश्न के दूसरे भाग से मैं नहीं समझ सका कि वह इस मामले में देश में हमसे क्या कार्यवाही कराना चाहते हैं । इस टिकट के जारी होने से देश में किसी पर भी प्रभाव नहीं पड़ेगा । मेरा विचार है कि यह बहुत ही अनुचित और आपत्तिजनक है । परन्तु मेरी समझ में नहीं आता कि इन टिकटों के बारे में किसी प्रोपगंडा की क्या आवश्यकता है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : पाकिस्तान के टिकट सारी दुनिया में जायेंगे और इनसे औरों को भ्रम पैदा हो सकता है क्योंकि हमारा विरोध वे सुनते नहीं हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : प्रश्न का मुख्य विषय यह है कि जो भी किया जा सकता है किया जाना चाहिये । परन्तु मैं ने बताया था कि हम किसी एक कार्य के लिये विशेष प्रोपगंडा नहीं कर सकते । विश्व डाक संघ के नियमों के अधीन कोई भी देश कोई भो टिकट जारी कर सकता है चाहे वह नियमों के अन्तर्गत ठीक हो या न हो । परन्तु उनके प्रोपगंडा के विरुद्ध विश्व का ध्यान किसी विशेष बात की ओर आकर्षित करने वाला हम क्या प्रोपगंडा करें । कदाचित उस पर कोई विश्वास नहीं करेगा या अन्यथा बहुत ही थोड़े व्यक्ति उसकी ओर ध्यान देंगे ।

†**श्री अ० मु० तारिक** : काश्मीर, जूनागढ़ और माणावदर भारत के भाग होने के कारण क्या भारत सरकार का विचार डाकखानों से यह कहने का है कि वे उनके पैकिटों तथा लिफाफों को स्वीकार न करें जिन पर वे टिकट लगे हैं और उन्हें अवैध पैकिटों के रूप में पाकिस्तान लौटा दें ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : नहीं । माननीय सदस्य देखेंगे कि ऐसे टिकटों की जांच करने के लिए हमें भारत में प्रत्येक डाकखाने में अनेक कर्मचारी रखने होंगे ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या ये राज्य क्षेत्र पाकिस्तानी टिकटों में सीपिया रंग में या तेज़ रंगों में दिखाये गये हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैंने स्वयं उन्हें नहीं देखा है और न ही मैं उत्तर दे सकता हूं ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : क्या भारत में इन टिकटों को आने दिया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैंने अभी बताया है कि पत्र बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। क्या माननीय सदस्य चाहते हैं कि प्रत्येक डाकखाने में प्रत्येक टिकट को उस शीशे से देखने के लिए जिससे वस्तु बड़ी दिखाई देती है विशेष कर्मचारी रखे जायें। वे छोटे टिकट हैं। जब तक कि आप का ध्यान उस ओर विशेष रूप से आकर्षित नहीं किया जाये और आपके पास वस्तु का बड़ा रूप दिखाने वाला शीशा न हो तब तक आप सामान्यतः उसे नहीं देख सकेंगे। कोई भी व्यक्ति पत्र पाने पर टिकट को नहीं देखता। यह संभव नहीं है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

बम्बई की सेक्सरिया काटन मिल्स

†*११८७. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई की सेक्सरिया काटन मिल्स का प्रबन्ध पिछले दो वर्ष से सरकार के हाथ में था ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी शर्तें क्या थीं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) तथा (ख). एक विवरण पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) हां, श्रीमान्। बम्बई सरकार सरकारी परिसमापक से २५ सितम्बर, १९५८ को पट्टा लेने के बाद दो वर्ष से मिल चला रही है।

(ख) पट्टे की मुख्य शर्तें निम्न हैं :

(१) सरकार परिसमापक को १ रु० मासिक नाममात्र का किराया देगी।

(२) सरकार इमारत, संयंत्र और मशीन, बायलर तथा अन्य यन्त्रों पर जो मिल के हाते में हैं, उनके लिखित मूल्य पर बट्टा देगी। यह बट्टा पट्टे की तारीख से और आय कर अधिनियम, १९२२ में उपबन्धित दर के अनुसार केवल उतने समय के लिए दिया जायेगा जितने समय के लिए सरकार ने पट्टा लिया है।

सरकार बड़ी या असाधारण मरम्मत पर और/या स्थानापन्न पर जो व्यय करेगी वह उसे बट्टे में से काट सकेगी परन्तु यह राशि सरकारी परिसमापक को दिये जाने वाले बट्टे की राशि तक या एक लाख रु० तक, जो भी राशि कम होगी, होगी। परन्तु ऐसा करने के लिए ५००० रु० से अधिक की मरम्मत के लिए सरकारी परिसमापक से पहिले अनुमति लेनी होगी।

(४) सरकार पहिले कर्मचारियों को कोई छटनी प्रतिकर नहीं देगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

(५) पट्टे की अवधि समाप्त होने पर या उससे पहिले निश्चित होने पर सरकार सरकारी परिसमापक को मिल उसी रूप में देगी जिसमें कि मिल पट्टा लेते समय था और बाद जो सुधार तथा वृद्धि की गई हों वे भी विद्यमान रहेंगे।

अमरीका से अनाजों का भेजना

†*११६२. { श्री अरविन्द घोषाल :
श्री दामानी :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका से अनाजों को भारत भेजने के विषय में वाशिंगटन के इंडिया सप्लाई मिशन और अमरीका के 'ट्रैम्प' शिपओनर्स (अनिश्चित रास्तों पर चलने वाले पोतों के मालिकों) के बीच कुछ विवाद है ; और

(ख) यदि हां, तो इस विवाद का स्वरूप क्या है और क्या वह हल हो गया है?

†निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) : (क) और (ख). नहीं, श्रीमान्। वाशिंगटन के इंडिया सप्लाई मिशन और अमरीका के 'ट्रैम्प' शिपओनर्स (अनिश्चित रास्तों पर चलने वाले पोतों के मालिकों) के बीच अमरीका से भारत अनाज लाने पर कोई विवाद नहीं है। पोतों के मालिक वाशिंगटन के इंडिया सप्लाई मिशन द्वारा भुगतान में प्रस्तावित परिवर्तन से सन्तुष्ट न थे। इस नये परिवर्तन के अनुसार भाड़े का भुगतान पोतों के भारतीय पत्तनों पर आने पर होगा जबकि अब तक भुगतान अमरीकी पत्तनों पर लदान होने पर होता रहा है।

पोत-मालिकों ने यह शर्त स्वीकार कर ली है।

राष्ट्रीय भवन-निर्माण संगठन

†*११६८. श्री हेम राज : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भवन-निर्माण संगठन ने गांवों में मकानों का निर्माण करने के लिये गावों में स्थानीय रूप से प्राप्त होने वाली सामग्री से कुछ पदार्थ तैयार किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका किस सीमा तक गांवों में प्रसार हुआ है और इससे गांव वालों को कितना लाभ हुआ है ; और

(ग) इस स्थानीय सामग्री से कितने मकानों का निर्माण किया गया है और उनकी लागत कितनी है ?

†निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) : (क) राष्ट्रीय भवन-निर्माण संगठन ने गांवों में गृह-निर्माण के लिए स्थानीय रूप में उपलब्ध सरकण्डों से बनाई गई तार से बंधी हुई चटाइयों का उत्पादन आरम्भ किया है। इस सामान के उत्पादन के लिए उत्तर

†मूल अंग्रेजी में

प्रदेश में एक कारखाना खोला गया है। आशा है कि वहां शीघ्र ही उत्पादन आरम्भ हो जायेगा।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते क्योंकि अभी सामान बाजार में नहीं आया है।

भारतीय खनिज रेत उद्योग

†*११९९. { श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :
श्री अ० मु० तारिक :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खनिज रेत उद्योग के वैज्ञानिक व्यवस्थाकरण और आधुनिकीकरण के लिये अमरीका के मेसर्स कार्पको रिसर्च एण्ड इंजीनियरिंग द्वारा दी गई रिपोर्ट पर सरकार ने विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ;

(ग) क्या इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के वित्तीय पहलुओं पर विचार कर लिया गया है ; और

(घ) इस संबंध में कितना व्यय होने का अनुमान है।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री सादत अली खां)** : (क) से (घ). अमरीका के मेसर्स कार्पको रिसर्च एण्ड इंजीनियरिंग के द्वारा दी गई रिपोर्ट त्रावनकोर मिनरल्स लिमिटेड के विचाराधीन है। तत्पश्चात सरकार कम्पनी की सिफारिशों पर विचार करेगी। अतः अभी और कोई जानकारी नहीं दी जा सकती।

उड़ीसा की हथकरघा सहकारी संस्थायें

†*१२००. **श्री चिंतामणि पाणि ही** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा की हथकरघा बुनकरों की सहकारी संस्थाओं को देय छूट (रिबेट) के संबंध में फरवरी, १९६० में बकाया छूट की राशि कितनी थी ; और

(ख) भुगतान में शीघ्रता कराने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) ३१ मार्च, १९५९ को २,९७,०९४ रु० छूट के बकाया थे। बाद के समय के लिये जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) ३१ मार्च, १९५९ तक बकाया राशि की पूर्ति के लिये धन देने पर आजकल विचार हो रहा है।

†मूल अंग्रेजी में

नांदेड़ की उस्मान शाही मिल्स

†*१२०१. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नांदेड़ की उस्मान शाही मिल्स की जांच करने के लिये नियुक्त की गयी समिति ने इस बीच अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो इस समिति की मुख्य उपपत्तियां क्या हैं ; और

(ग) इन सिफारिशों पर कार्यवाही कब तक आरम्भ हो जाने की संभावना है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) जांच पड़ताल समिति की रिपोर्ट एक गोपनीय लेख है । अतः समिति के निष्कर्ष बताना लोक हित में नहीं है ।

(ग) सरकार बम्बई सरकार के परामर्श से रिपोर्ट पर विचार कर रही है ।

एस्फाल्ट की नालीदार चादरें

†*१२०२. **श्री दामानी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भवन-निर्माण संगठन ने देश में छत बनाने के काम के लिये एस्फाल्ट की नालीदार चादरें बनाने और उनके उपयोग के बारे में अध्ययन किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) हां ।

(ख) देश में एस्फाल्ट की नालीदार चादरों का निर्माण आरम्भ करने की संभावना लोकप्रिय बनाने वाला परियोजना टिप्पण राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन ने परिचालित किया है । कुछ व्यक्तियों ने कारखाना स्थापित करने में अभिरुचि प्रदर्शित की है । राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन उन्हें इस मामले में सहायता दे रहा है ।

बेतिया के विस्थापित व्यक्तियों का अकर्म-वेतन बन्द करना

†*१२०३. **श्री सुबिमन घोष** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में बेतिया के ५०० या उससे भी अधिक विस्थापित व्यक्तियों का नकद अकर्म वेतन बन्द कर दिया गया है या मार्च, १९६० से बन्द कर दिया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उनके पुनर्वास के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) बेतिया कैम्प के अधिकांश विस्थापित व्यक्तियों को बिहार राज्य में ही पुनः बसाने के संबंध में प्रयत्न किये जा रहे हैं। जिन्हें उस राज्य में नहीं बसाया जा सकता उनसे दण्डकारण्य में कार्य/पुनर्वास का विकल्प दिया जायेगा। यदि वे दण्डकारण्य जाने के लिये राजी न हुये तो उन्हें छः महीनों के अकर्म वेतन के बराबर नकद अनुदान दे दिया जायेगा। बेतिया कैम्प को जून, १९६० के अन्त तक बन्द कर देने का निर्णय कर लिया गया है।

दण्डकारण्य प्राधिकार के कार्यालयों का हटाया जाना

†*१२०५. { **श्री मोहन नायक :**
डा० सामन्त सिंहार :
श्री महन्ती :
श्री संगण्णा :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : }

क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दण्डकारण्य प्राधिकार के अधीनस्थ मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पुनर्वास निदेशक, मुख्य शिक्षा अधिकारी, मुख्य सहकारिता अधिकारी और भूमि संरक्षण अधिकारी के कार्यालयों को कोरापट से हटाकर मध्य प्रदेश के किसी स्थान पर ले जाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इनके हटाये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के कार्यालय को कोरापट से हटा कर मध्य प्रदेश के किसी स्थान पर ले जाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) जी, नहीं। केवल (पुनर्वास) निदेशक तथा शिक्षा पदाधिकारी के दफ्तरों को कोरापट से कोंडागांव (मध्य प्रदेश) में स्थानान्तरित कर दिया गया है। विशेष पदाधिकारी (सहकारी समितियां) का दफ्तर प्रारम्भ में फरस गांव में था और उसे अब वापिस उसी स्थान पर ले जाया गया है।

(ख) ऐसा प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से किया गया है। इन पदाधिकारियों के लिये कार्य करने के लिये कोंडागांव तथा फरसगांव अधिक केन्द्रीय स्थान हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पूर्वी पाकिस्तान से प्रव्रजन

†*१२०६. **श्री बसुमतारी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी पाकिस्तान से आसाम को प्रव्रजन बढ़ता जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो १९५७ से १९५९ तक प्रव्रजन करने वालों की संख्या कितनी थी ?

†मूल अंग्रेजी में

†वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री जो० ना० हजारिका): (क) और (ख). जी, नहीं ।

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की अस्थियां

†*१२०७. { श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री शिव नंजप्पा :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री सै० अ० मेंहदी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान भारत में जापानी राजदूत के एक वक्तव्य की २३ फरवरी, १९६० के "स्टेट्समैन" में छपी उस खबर की ओर आकृष्ट किया गया है जिसका आशय है कि उनकी सरकार नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की अस्थियों को, जो इस समय टोकियो के निकट एक मन्दिर में रखी हुई हैं, भारतीय सरकार को सौंप देने को तैयार हैं ; और

(ख) क्या इस संबंध में कुछ कार्यवाही की जा रही है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) जी, हां ।

(ख) अभी तो कोई भी कार्यवाही करने का विचार नहीं किया है ।

अच्छा यही है कि इस कार्य में पहल नेता जी सुभाष चन्द्र बोस के परिवार की ओर से की जाये ।

कीनिया मे भारतीयों पर आक्रमण

†*१२०८. { श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री आसर :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मार्च, १९६० में कीनिया में अफ़्रीकियों ने कुछ भारतीयों को "पंगों" से मार डाला ;

(ख) यदि हां, तो इन घटनाओं का व्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का इस मामले में कुछ कार्यवाही करने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) जी, हां ।

(ख) घटनायें इस प्रकार से हुई थीं :—

(१) **११ मार्च**—कीनिया के हाइलैंड में न्येरी के निकट श्री प्यारे लाल मेलाराम बस्सों तथा उनके परिवार के लोगों पर, जब वह अपनी कार चला कर ले जा रहे थे, दो तीन अफ़्रीकियों ने

---

†मूल अंग्रेज़ी में

हमला कर दिया और उन्हें लूट लिया। उन अफ्रीकियों ने पंगा (एक प्रकार का बड़ा चाकू) से उनकी गर्भवती पत्नी और दो बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। वे स्वयं भी घायल हो गये और उनकी चार वर्ष की पुत्री को भी चेहरे तथा शरीर के अन्य अंगों पर कई स्थान पर चोट आयी। उस लड़की का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। पता चला है कि १७ मार्च को श्री बस्सों को उनके द्वारा अपराध स्वीकार किये जाने पर उनकी पत्नी तथा बच्चों की हत्या में उनके कथित सहापराधिता के लिये गिरफ्तार कर लिया गया था।

(२) **१३ मार्च**—नेरोबी से लगभग ६० मील दूर मचाकोस के निकट एक दुकान पर श्री हंसराज राय तथा उनकी पत्नी पर पंगों से आक्रमण कर दिया गया। उनमें से किसी को भी गहरे जख्म नहीं आये।

(३) **१४ मार्च**—नैरोबी में श्री यशभाई पटेल पर अफ्रीकियों ने आक्रमण किया और उनके कपड़े, जिन्हें वह पहने हुये थे, छीन कर भाग गये। श्री तेलूराम मंडल पर भी बाजार में आक्रमण करके उन्हें लूट लिया गया। हाथापाई के दौरान में उन पर एक पंगा से हमला भी किया गया।

(४) **१५ मार्च**—श्री रायसी हेगोन धन राशि मांगने वाले आक्रमण कारियों से अपने आप को बचाने के लिये यत्न करते हुये घायल हो गये थे।

(५) **१६ मार्च**—नैरोबी के दो एशियाई व्यक्तियों श्री प्रेम चन्द डी शाह और उस्मान अब्दुल रहमान पर अफ्रीकियों ने आक्रमण कर दिया और उनसे क्रमशः धन और घड़ी तथा जैकट छीन लिये। दोनों को पंगों का सामना करना पड़ा जिसके परिणामस्वरूप उनमें से एक को कुछ चोट आयी है। जो व्यक्ति श्री रहमान के साथ था, उसके पंगा का हैंडल पीठ पर लगा।

(ग) और (घ). स्पष्ट है कि भारत सरकार इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं कर सकती, क्योंकि ये घटनायें कीनिया के ब्रिटिश उपनिवेश में हुई हैं और वे व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं हैं। १३ मार्च को उच्चकोटि के एशियाई व्यक्तियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने कीनिया के राज्यपाल से भेंट की थी और राज्यपाल ने यह आश्वासन दिया है कि अपराधियों को दण्ड देने के लिये विधि और व्यवस्था को लागू करने का अधिक से अधिक यत्न किया जायेगा। ज्ञात हुआ है कि अभी तक लगभग ५० अफ्रीकियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

राष्ट्रपति नासर की भारत-यात्रा

†*१२०६. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री सै० अ० मेहदी :
श्री प्र० गं० देव : }

क्या **प्रधान मंत्री** १५ दिसम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ९०६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रपति नासिर की भारत-यात्रा के कार्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया गया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो वे भारत में कितने समय तक रहेंगे ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) और (ख). राष्ट्रपति नासिर की भारत यात्रा का कार्यक्रम सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २९**]

हीराकुद में भारी मशीनों का निर्माण

†*१२१०. **श्री प्र० के० देव** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई विदेशी फर्म भारी मशीनों के निर्माण के लिये हीराकुद में कोई विशाल कारखाना लगा रही है ;

(ख) किन मशीनों का निर्माण किया जायेगा ; और

(ग) वे बाजार में कब तक उपलब्ध हो सकेंगी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत मेसर्स लार्सन एण्ड टर्बो लिमिटेड, बम्बई को उड़ीसा राज्य में पश्चिमी जर्मनी की फर्मों के सहयोग से प्रारम्भ में ६,००० टन क्षमता वाले और अन्तोगत्वा १२,००० टन क्षमता वाले निम्न लिखित मशीनों का निर्माण करने के लिये एक उपक्रम की स्थापना करने के लिये लाइसेंस मंजूर किया गया है। उपक्रम वास्तव में कहां पर स्थापित होगा इसका अन्तिम निर्णय अभी फर्म द्वारा किया जाना है।

१. सम्पुंजन[1] तथा अयस्क तैयार करने के उपकरण
२. पेरने और स्क्रीन लेने के संयंत्र
३. कोक भट्ठियों के लिये उपकरण तथा उपोत्पाद बनाने का संयंत्र
४. उद्रग भट्ठी और इस्पात संयंत्र के लिये उपकरण
५. रसायनिक संयंत्र के लिये उपकरण जिसमें सीमेंट बनाने की मशीनें भी शामिल हैं
६. उर्वरक संयंत्र और संश्लिष्ट गैस के लिये उपकरण
७. तेल, तेल पदार्थों, कोलतार और बेन्ज़ोल का अर्क खींचने के लिये संयंत्र और शोधक कारखानों एवं पेट्रोल से बने रसायनों के लिये उपकरण
८. हीट एक्स्चेंजर्स और कन्डेन्सर्स
९. गैस निर्माण उपकरण
१०. हाइड्रोलिक उपकरण
११. लुग्दी, कागज़ और गत्ता तैयार करने के लिये मशीनें और उपकरण

---

†मूल अंग्रेज़ी में
[1]Sintering.

१२. रज्जुपथ और केबल्न क्रेनें

१३. औद्योगिक भट्ठियां

इस उपक्रम के नवम्बर, १९६० तक स्थापित किये जाने की संभावना है।

इंजीनियरिंग उद्योग

†*१२११. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंजीनियरिंग उद्योग में भारत और पश्चिमी आस्ट्रेलिया के बीच सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने के लिये आस्ट्रेलिया के राज्य मंत्री भारत आये थे ; और

(ख) यदि हां, तो बातचीत के परिणाम क्या हैं और किस प्रकार के सहयोग की परिकल्पना की गयी है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). जी हां। बातचीत विशदरूप से वाणिज्य तथा उद्योग के क्षेत्र में आपसी हित के मामलों के संबंध में की गई थी।

"तैरती प्रदर्शनी"

†*१२१२. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि "तैरती प्रदर्शनी" वाष्पपोत "ज्योति" को, जिसको प्रधान मंत्री ने २७ फरवरी, १९६० को नयी दिल्ली से पानी में उतारा था, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने क्या सहायता दी थी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: "तैरती प्रदर्शनी" एक ग़ैर-सरकारी उपक्रम है जिसका आयोजन विदेश व्यापार, बम्बई की भारतीय परिषद् की प्रेरणा पर किया गया था।

मांगी गई जानकारी बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

"तैरती प्रदर्शनी" के आयोजकों को जो सहायता दी गई उसमें निम्नांकित शामिल थे :—

(१) प्रदर्शनी में भाग लेने पर विचार करने के लिये निर्यात संवर्द्धन परिषदों, वस्तु बोर्डों, राज्य व्यापार निगम आदि से कहा गया था। इसी प्रकार वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय से भी कहा गया था।

(२) विदेश स्थित भारतीय मिशनों से यह निवेदन किया गया था कि वे शुल्क का भुगतान अदा कर वस्तुओं की बिक्री के बारे में सीमा शुल्क संबंधी विशेष

†मूल अंग्रेजी में

सुविधाओं की व्यवस्था करें और अत्यन्त प्रतिष्ठित व्यक्तियों, आयातकों और व्यापारियों को प्रदर्शनी दिखायें।

(३) बीसा जारी करने, विदेशी मुद्रा देने और सीमा शुल्क संबंधी सुविधायें आदि मंजूर के बारे में यथोचित मंत्रालयों से सिफारिश कर दी गई थी।

(४) विदेशों में आगन्तुकों को भारत के विकास कार्यों का ज्ञान कराने की दृष्टि से व्यवस्थापकों को प्रचार सामग्री जैसे फोटो और चार्ट आदि दिये गए थे। प्रदर्शनी में इस्तेमाल किये जाने के लिये "एक्सपोर्ट प्राडक्ट्स आफ इण्डिया" शीर्षक पुस्तिका की २,५०० प्रतियां व्यवस्थापकों को दी गई थीं।

कामगार प्रतिकर अधिनियम के अधीन मुआवजे का भुगतान

†*१२१३. **श्री त० ब० विठ्ठल राव :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कामगार प्रतिकर अधिनियम के अधीन देय मुआवजे के दर को बढ़ाने और ५०० रुपए तक मूल वेतन पानेवाले कर्मचारियों को इस अधिनियम के क्षेत्राधिकार के भीतर लाने का प्रस्ताव इस समय किस प्रक्रम पर है ; और

(ख) इस प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के लिये विधान कब बनाया जायेगा ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: (क) चूंकि प्रतिकर को एक मुश्त में दिये जाने की पद्धति के स्थान पर सामयिक भुगतान की पद्धति अपनाई जाने वाली है, जिसका भुगतान कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अभिकरण द्वारा किया जायेगा, इस कारण अधिनियम में काफी परिवर्तन करने होंगे। निगम के परामर्श से मामले की जांच की जा रही है।

(ख) ज्यों ही संशोधन के लिये प्रस्तावों पर अन्तिम निर्णय कर लिया जायेगा।

दण्डकारण्य परियोजना का प्रशासन

†*१२१४. { **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**
श्री विमल घोष : }

क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दण्डकारण्य परियोजना के प्रशासन के सिलसिले में कलकत्ते में पश्चिम बंगाल सरकार से नये सिरे से उच्चस्तरीय वार्ता हुई थी ; और

(ख) दण्डकारण्य परियोजना के प्रशासन में परिवर्तन के बारे में नये सिरे से उच्च-स्तरीय वार्ता किन बातों के कारण की गयी ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० श० नास्कर)** : (क) और (ख). पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास संबंधी मामलों पर बातचीत करने के लिए पश्चिमी बंगाल सरकार से समय-समय पर बातचीत की जाती है। राज्य सरकार से हाल में जो बात-चीत की गई थी उसे कोई विशेष महत्व देने की आवश्यकता नहीं है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

बेनामी कम्पनियों की रजिस्ट्री

†*१२१५. **श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री २४ नवम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४३७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समवाय अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार को बेनामी कम्पनियों की रजिस्ट्री रोकने का अधिकार देने के प्रश्न पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) और (ख). अन्य संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से मामला अभी विचाराधीन है।

त्रिपुरा में सहकारी समितियां

†१६०५. **श्री दशरथ देव :** क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री २० अगस्त, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ११७३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा के पुनर्वास केन्द्र की जिन सहकारी समितियों के सभापति तथा सचिव सरकारी कर्मचारी होते थे, उनके स्थान पर अब तक कितनी समितियों में उन पदों पर गैर-सरकारी व्यक्ति लगाये गये हैं ; और

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) :** (क) कोई नहीं।

(ख) त्रिपुरा के पुनर्वास केन्द्र की अधिकांश सहकारी समितियां १९५६–५७ से चालू हुईं अतः अभी से सभापति तथा सचिव के पदों से सरकारी पदाधिकारियों को हटाकर गैर-सरकारी व्यक्ति लगाना, जिन्होंने अभी पर्याप्त अनुभव प्राप्त नहीं किया है, ठीक नहीं है। तथापि, कार्यकारिणी समितियों के अधिकांश सदस्य गैर-सरकारी व्यक्ति हैं।

रोजगार व्यवस्था का सर्वेक्षण[1]

†१६०६. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या श्रम और रोजगार मंत्री ९ फरवरी, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ७ के उत्तर में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रम और रोजगार मंत्रालय तथा योजना आयोग के सहयोग से दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा किये गये रोजगार व्यवस्था के सर्वेक्षण के पूरे होने में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) उन्होंने क्या-क्या बातें मालूम की हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) और (ख). रिपोर्ट का प्रारूप तैयार कर लिया गया है और निदेश समिति उस पर सविस्तार विचार कर रही है। संक्षेप में उसके निष्कर्ष शीघ्र ही मिलने की आशा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Employment Pattern Survey.

दिल्ली में अंशकालिक काम

†१६०७. श्री दी० चं० शर्मा : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५९–६० में दिल्ली में कितने व्यक्तियों को अंशकालिक काम दिया गया ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : अप्रैल १९५९ से फरवरी १९६० तक की अवधि में दिल्ली के काम दिलाऊ दफ्तर द्वारा ९७ व्यक्तियों को अंशकालिक काम दिया गया ।

होशियारपुर (पंजाब) में छोटे पैमाने के उद्योग

†१६०८. श्री दी० चं० शर्मा : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब के होशियारपुर जिले में कितने छोटे पैमाने के उद्योगों को लघु उद्योग सेवा संस्था से सहायता मिल रही है ; और

(ख) क्या सहायता दी गई तथा कारखानों के नाम क्या-क्या हैं ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). विवरण संलग्न किया जाता है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३०]

लोक गीत

†१६०९. श्री दी० चं० शर्मा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५९–६० में आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र से कितने डोगरी लोक गीत तथा अन्य कार्य क्रम प्रसारित किये गये ?

†सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : १९५९–६० में आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र से छः डोगरी लोक गीत प्रसारित किये गये । दिल्ली से और कोई कार्यक्रम प्रसारित नहीं किया गया क्योंकि डोगरी कार्यक्रमों के लिये आकाशवाणी का केन्द्र जम्मू है ।

अखबारी कागज का आयात

†१६१०. श्री चं० चं० शर्मा : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निम्नलिखित को १९५९–६० में कितना अखबारी कागज मंगाने की अनुमति दी गई है ;

१. समाचार पत्रों का इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप ;
२. टाइम्स आफ इंडिया ग्रुप ;
३. हिन्दुस्तान; टाइम्स ग्रुप ;
४. स्टेट्समैन; और
५. हिन्दू ;

(ख) उपरोक्त अवधि के लिये प्रत्येक को कितनी मुद्रा स्वीकार की गई है ; और

(ग) उपरोक्त अवधि के लिये उपरोक्त अखबारों में से प्रत्येक के लिये नेपा द्वारा कुल कितना अखबार दिया गया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग). विवरण संलग्न किया जाता है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३१]

आंध्र प्रदेश में छोटे पैमाने के उद्योग

†१६११. **श्री इ० मधुसूदन राव**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आंध्र प्रदेश में छोटे पैमाने के उद्योगों के निगम को स्थापना में क्या प्रगति हुई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : लघु उद्योग निगम की स्थापना के बारे में राज्य सरकार से सिफारिश कर दी गई है। उनकी प्रस्थापनायों की प्रतीक्षा की जा रही है।

दैनिक पत्रों की कुल बिक्री

†१६१२. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अंग्रेजी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के सब से अधिक बिक्री वाले दैनिक पत्रों की (सभी संस्करणों सहित) कुल बिक्री क्या हुई ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : १९५८ के बारे में जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न किया जाता है। वर्ष १९५९ के आंकड़े एकत्र व संकलित किये जा रहे हैं।

विवरण

भाषा	कुल औसत बिक्री, १९५८
अंग्रेज़ी	१,५५,०१५
हिन्दी	७१,७७१
असमिया	४,२९५
बंगाली	७८,१३५
गुजराती	३०,२१२
कन्नड़	२५,८८०
मलयालम	५६,६७१
मराठी	६०,१६५
उड़िया	१२,८७७
पंजाबी	५,५८१
तामिल	१,१६,७८६
तेलुगु	५४,८५२
उर्दू	१८,६८०

आन्ध्र प्रदेश में श्रमिक कल्याण

†१६१३. **श्री मं० वें० कृष्ण राव** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ में आंध्र प्रदेश राज्य में श्रमिक कल्याण के कामों को कार्यान्वित करने के लिये उस राज्य को कितना धन नियत किया गया है ; और

(ख) किन-किन कामों के लिये धन नियत किया गया है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) ३९.५ लाख रुपये ।

(ख) इसमें श्रमिक कल्याण केन्द्रों, शिल्पकार प्रशिक्षण तथा जन शक्ति और रोजगार सेवा की व्यवस्था सम्मिलित है ।

आन्ध्र प्रदेश में हथकरघा उद्योग

†१६१४. **श्री मं० वें० कृष्ण राव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आन्ध्र प्रदेश में हथकरघा उद्योग के विकास के लिये १९६०-६१ में हथकरघा उपकर निधि से कितनी वित्तीय सहायता मांगी गई है तथा कितनी देने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : राज्य सरकार, योजना आयोग तथा इस मंत्रालय के प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक में यह अस्थायी रूप से तय कर लिया गया है कि वर्ष १९६०-६१ में हथ करघा उद्योग के विकास के लिये आन्ध्र प्रदेश को केन्द्रीय सहायता अधिक से अधिक ८७.०० लाख रुपये (ऋण के रूप में ३३.०९ लाख रुपये तथा अनुदान के रूप में ५३.९१ लाख रुपये) दी जा सकेगी ।

आन्ध्र प्रदेश में औद्योगिक बस्तियां

†१६१५. **श्री मं० वें० कृष्ण राव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आंध्र प्रदेश में विभिन्न औद्योगिक बस्तियों के संबंध में इस बीच आगे क्या प्रगति हुई है तथा उनका विकास किन-किन अवस्थाओं में है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनूभाई शाह)** : विवरण संलग्न किया जाता है ।

विवरण

आन्ध्र प्रदेश में औद्योगिक बस्तियों के संबंध में की गई प्रगति का ब्योरा इस प्रकार है :—

१. सनातनगर में औद्योगिक बस्ती

३३ शेड पूरे हो चुके हैं और उनमें ३० नियत कर दिये गये हैं तथा उन पर कब्जा कर लिया गया है । ३ शेड विभागीय एककों के लिये रख लिये गये हैं । २० शेडों में काम आरम्भ हो गया है और २६ और शेड बनाये जा रहे हैं । उनमें से १२ की नींव पड़ चुकी है । २ शेडों की छतों के आधार बन गये हैं तथा १२ शेडों की छतें भी पाट दी गई हैं । २५ शेडों में बिजली का प्रबन्ध कर दिया गया है और पानी का प्रबन्ध सभी ३३ शेडों में कर दिया गया है । ८ एककों में १.६२ लाख रुपये के उत्पादन की सूचना मिली है । इस बस्ती में लगभग २५० व्यक्ति काम में लगे हुये हैं ।

२. विजयवाड़ा में औद्योगिक बस्ती

१८ शेड बन गये हैं तथा दे दिये गये है । ११ पर कब्जा किया जा चुका है तथा ३ में काम शुरू हो गया है । ४ शेड और बन रहे हैं तथा उनमें से दो की नींव पड़ चुकी हैं और अन्य २ शेडों के स्तम्भ बनाये जा चुके हैं । १५ शेडों में बिजली का प्रबन्ध किया जा चुका है । ३ एककों में ४९,००० रुपये के उत्पादन का समाचार मिला है । इन एककों में ५२ व्यक्ति लगे हुये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

३. विशाखापटनम् में श्रौद्योगिक बस्ती

२७ शेड बन चुके हैं तथा अस्थायी रूप से दिये जा चुके हैं। उनमें से १० पर कब्जा किया जा चुका है और एक में काम शुरू हो गया है। ४ शेड और बन रहे हैं और उन में से, २ की खिड़कियां बन चुकी हैं और अन्य दो शेडों की छत्तों के आधार बन गये हैं। १३ शेडों में बिजली का प्रबन्ध कर दिया गया है तथा २७ शेडों में पानी का प्रबन्ध कर दिया गया है।

४. सभलकोट में श्रौद्योगिक बस्ती

२४ शेड बन चुके हैं तथा १४ दिये जा चुके हैं। ८ पर कब्जा किया जा चुका है और २ एककों में के पांच शेडों में काम शुरू हो गया है। १४ शेडों में बिजली पानी का प्रबन्ध कर दिया गया है इन दो औद्योगिक एककों का, जो ५ शेड घेरे हुये हैं, मासिक उत्पादन २०,३०० रुपये का है और इनमें ४७ व्यक्ति काम में लगे हुये हैं।

५. नन्दयाल म औद्योगिक बस्ती

१० शेड बन चुके हैं और उनमें से ७ अस्थायी रूप से दिये जा चुके हैं।

६. वारंगल में औद्योगिक बस्ती

भारत सरकार ने अभी तक इस बस्ती को मंजूर नहीं किया है। तथापि, यह खबर मिली है कि इसमें १६ शेड बन चुके हैं तथा अस्थायी रूप से दिये जा चुके हैं। ६ शेड और बन रहे हैं। दो की नीवें पड़ चुकी हैं तथा शेष चार के स्तम्भ बनाये जा चुके हैं।

कच्छ और सौराष्ट्र में नमक के कारखाने

†१६१६. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री १९ नवम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या २५६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कच्छ तथा सौराष्ट्र में नमक के कारखानों को हुई हानि का क्या इस बीच अनुमान लगा लिया गया है तथा उन्हें ऋण तथा अनुदान के रूप में सहायता दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन कारखानों से कितनी-कितनी सहायता दी गई है?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). कच्छ तथा सौराष्ट्र में नमक के कारखानों को हुई हानि का अनुमान लगा लिया गया है। यह निश्चय किया गया है कि हानि की मात्रा को तथा उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुये उन्हें कोई सहायता नहीं दी जानी चाहिए।

हंगरी के साथ व्यापार

†१६१७. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री २४ नवम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४४८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत और हंगरी के बीच व्यापार करार के शिष्टाचार पर हस्ताक्षर करने के बाद उस देश के साथ व्यापार के बारे में अनुमान लगाया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ख). १९५९ के उत्तरार्ध में जितना व्यापार हुआ वह पिछले वर्ष की उसी अवधि में हुये व्यापार के मुकाबले अधिक था ।

तेल तथा तिलहन का निर्यात

†१६१८. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री पांगरकर : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २७ नवम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न ६०४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि वनस्पति तेल, तिलहन तथा खली के निर्यात के लिये एक केन्द्रीय संगठन बनाने का प्रश्न किस अवस्था में है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : इस विषय पर विचार किया जा रहा है

पानी में फैलाने योग्य डी० डी० टी०

†१६१९. **श्री अ० कि० देव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, पूना द्वारा किये गये अनुसंधान के परिणामस्वरूप पानी में फैलाने योग्य तथा 'पेस्ट' के रूप में डी० डी० टी० का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन आरम्भ किया जा सकता है;

(ख) ऐसा उद्योग स्थापित करने के लिए कितने धन की आवश्यकता होगी; और

(ग) क्या देश में इस के उत्पादन के लिए लाइसेंस के हेतु कोई प्रार्थना-पत्र मिला है, अथवा सरकार इस का उत्पादन सरकारी क्षेत्र में करना चाहती है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां । भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली की सहायता प्राप्त अनुसंधान योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, पूना ने तेल से बने पेस्ट के रूप में पानी में फैलाने योग्य डी० डी० टी० तैयार करने की एक प्रक्रिया तैयार की है और वह भारतीय पेटेंट संख्या ५६७१६ के अन्तर्गत आती है ।

(ख) राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, पूना के कथनानुसार ६० प्रतिशत टेक्निकल डी० डी० टी० से युक्त २५० पाउंड डी० डी० टी० का पेस्ट प्रतिदिन तैयार करने की क्षमता वाले कारखाने पर लगभग १५,००० रुपये की लागत आयगी ।

(ग) यह प्रक्रिया राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम को इसके वाणिज्यिक आधार पर उत्पादन के लिए दे दिया गया है । इस समय इस का उत्पादन सरकारी क्षेत्र में आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । राष्ट्रीय अनुसन्धान विकास निगम को अभी तक गैर सरकारी क्षेत्र से लाइसेंस के लिये कोई आवेदनपत्र नहीं मिला ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नीम का तेल

†१६२०. श्री प्र० के० देव : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, पूना में हुए अनुसंधान के परिणामस्वरूप शुद्ध किये गये नीम के तैल का उत्पादन वाणिज्यिक पैमाने पर किया जा सकता है;

(ख) इसके उत्पादन के हेतु उद्योग की स्थापना करने के लिए कितने धन की आवश्यकता होगी; और

(ग) देश में इसके उत्पादन के लिए क्या लाइसेंस प्राप्त करने के हेतु कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है अथवा क्या सरकार इसका उत्पादन सरकारी क्षेत्र में करना चाहती है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) हां, श्रीमान् । इसकी प्रक्रिया कई पेटेंटों के अन्तर्गत आती है ।

(ख) यह अनुमान है कि प्रति दिन लगभग १५ टन तेल शुद्ध करने का कारखाना लगभग २ लाख रुपये में स्थापित हो सकता है ।

(ग) इसके बनाने के लिए कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है और न शुद्ध किये हुए तेल को सरकारी क्षेत्र में बनाने का विचार है ।

कार्डियोएक्टिव ग्लाइकोसाइड्स फ्रॉम डिगीटालिस[1]

†१६२१. श्री प्र० के० देव : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हृदय के रोगों में लाभदायक 'कार्डियोएक्टिव ग्लाइकोसाइड्स फ्रॉम डिगीटालिस' के अन्तर्गत आने वाली कितनी औषधियां वर्ष १९५८-५९ और १९५९-६० में अब तक बाहर से मंगाई गईं तथा उन पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय हुई;

(ख) क्या केन्द्रीय औषधि अनुसन्धान संस्था, लखनऊ में किये गये अनुसंधान के परिणाम-स्वरूप देश में इन औषधियों का उत्पादन वाणिज्यिक पैमाने पर किया जा सकता है;

(ग) उनके उत्पादन के लिए उद्योग की स्थापना में कितना धन लगेगा; और

(घ) देश में इनके उत्पादन के लिए क्या लाइसेंस प्राप्त करने के हेतु कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है अथवा क्या सरकार इनका उत्पादन सरकारी क्षेत्र में करना चाहती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Cardioactive Glycocides from Digitalis.

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (घ). 'कार्डियोएक्टिव ग्लाइकोसाइड्स फ्रॉम डिगीटालिस' के अन्तर्गत आने वाली कुछ दवाइयों के वर्ष १९५८-५९ और १९५९-६० (अप्रैल--नवम्बर) में किये गये आयात के आंकड़े नीचे दिये जाते हैं :—

		१९५८–५९	१९५९–६० (अप्रैल––नवम्बर)
अलकालायड्स ऑफ डिगीटालिस	मात्रा	४६५८ पौंड	..
'Alkaloids of Digitalis'	मूल्य	११,००० रुपये	..
डिगेटेलाइन—जर्मन तथा उससे बनी औषधियां . .	मूल्य	२०,०० रुपये	
डिगीटेलिन नाटिराल्ले 'Digitalin natiralle' और उससे बनी औषधियां . .	मूल्य	३,००० रुपय	६,००० रुपये
टिंक्चर आफ डिगेटेलिन 'Tincture of Digatnulin'	मूल्य	३,००० रुपये	..
डिगोग्जीन 'Digoxin' .	मूल्य	६२,००० रुपये	७१,००० रुपये

केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्था, लखनऊ ने 'कार्डियोएक्टिव ग्लाइकोसाइड्स ऑफ डिगीटालिस' तैयार करने की एक प्रक्रिया निकाली है जो भारतीय पेटेन्ट के अन्तर्गत आती है। की गई जांच के आधार पर विकास कार्य किया जा रहा है और काम पूरे होने पर ही यह कहा जा सकता है कि क्या वाणिज्यिक पैमाने पर देश में उत्पादन किया जा सकता है। उसी अवस्था में यह बताया जा सकेगा कि कितना धन व्यय होगा।

उनके निर्माण के लिए कोई प्रार्थनापत्र प्राप्त नहीं हुआ है। यह विचार है कि सोवियत सहयोग से सरकारी क्षेत्र में प्रति वर्ष १०० किलोग्राम 'ग्लाकोसाइड्स ऑफ डिगीटालिस' बनाया जाये।

क्लोरिन युक्त तारपीन का तेल

†१६२२. श्री प्र० के० देव : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५८-५९ और १९५९-६० में भारत में क्लोरीन युक्त तारपीन का कितना तेल बाहर से मंगाया गया तथा उस पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय हुई;

(ख) देश में यह किस काम में लाया जाता है;

(ग) क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद में किये गये अनुसंधान के परिणामस्वरूप क्या देश में वाणिज्यिक पैमाने पर क्लोरीन युक्त तारपीन के तेल का उत्पादन किया जा सकता है;

(घ) इसके उत्पादन के लिए उद्योग की स्थापना करने में कितना धन लगेगा; और

(ङ) देश में इसके उत्पादन के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के हेतु क्या कोई प्रार्थनापत्र प्राप्त हुआ है अथवा क्या सरकार इसका उत्पादन सरकारी क्षेत्र में करना चाहती है?

†मूल अंग्रेजी में

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : तारपीन के बारे में जानकारी नीचे दी जाती है :—

विवरण	आयातित मात्रा		मूल्य	
	१९५८–५९	१९५९–६० (अप्रैल-नवम्बर)	१९५८–५९	१९५९–६० (अप्रैल-नवम्बर)
			रुपये	रुपये
खनिज तारपीन (तारपीन के तेल के स्थान पर प्रयोग होने वाला दूसरा पदार्थ हंडरवेटों में)	१,९७,०००	१,३२,०००	२०,७४,०००	११,८०,०००
तारपीन के तेल की स्प्रिट (ताड़ का तेल गैलनों में)	३७,४२०	३०,१७५	३,५३,०००	२,९०,०००

(ख) इसका प्रयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है।

(ग) जी हां, क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद में क्लोरीन युक्त तारपीन का तेल बनाने की प्रक्रिया निकाली गई है और भारतीय पेटेन्ट संख्या ५२३३८ के अन्तर्गत आती है।

(घ) क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद के अनुसार एक संयंत्र की कुल पूंजीगत लागत (कार्यवहन पूंजी को मिलाकर), जिसमें प्रति दिन ३९६ क्लोरीन युक्त तारपीन के तेल का उत्पादन हो सकेगा, लगभग ३९,००० रुपये आयेगी।

(ङ) पेटेन्ट प्रक्रिया के अन्तर्गत क्लोरीन युक्त तारपीन का तेल बनाने के लिए लाइसेंस के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम को अभी तक कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। सरकारी क्षेत्र में इसका उत्पादन करने का अभी कोई विचार नहीं है।

तरल रबड़

†१९२३. श्री प्र० के० देव : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५८-५९ और वर्ष १९५९-६० में भारत में कितना तरल रबड़ बाहर से मंगाया गया तथा उस पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय हुई;

(ख) देश में यह किस काम में लाया जाता है;

(ग) क्या राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, पूना में किये गये अनुसंधान के परिणामस्वरूप देश में वाणिज्यिक आधार पर तरल रबड़ का उत्पादन किया जा सकता है;

(घ) इसके निर्माण के लिए उद्योग की स्थापना में कितना धन लगेगा; और

(ङ) क्या देश में इसके उत्पादन के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के हेतु कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है अथवा क्या सरकार इसका उत्पादन सरकारी क्षेत्र में करना चाहती है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) क्योंकि इस को व्यापार वर्गीकरण में अलग नहीं दिखाया जाता, अतः इसके आयात के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) तरल रबड़ अभी हाल में बनाया गया है और यह किस काम में लाया जा सकता है, इस पर अभी प्रयोग किया जा रहा है। तथापि यह प्रिन्टर रोलरों तथा लचीले बड़े सांचों आदि के बनाने के काम में लाया जा सकता है।

(ग) राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, पूना में निकाली गई प्रक्रिया का ठेका १४ वर्ष की अवधि के लिये मेसर्स स्वास्टिक रबड़ प्रोडक्ट्स लिमिटेड, पूना को उसका वाणिज्यिक स्तर पर लाभ उठाने के लिये इस आधार पर दे दिया गया है कि केवल वे ही इसका लाभ नहीं उठा सकेंगे। फर्म ने अभी उत्पादन कार्य प्रारम्भ नहीं किया है।

(घ) संस्था के संचालक इस बात का अनुमान लगा रहे हैं कि कितना धन आवश्यक होगा। मोटे तौर पर प्रति दिन ५०० पौंड तरल रबड़ का उत्पादन करने के लिये १५,००० रुपये की पूंजी तथा तीन महीने के आधार पर ५०,००० रुपये से ८०,००० रुपये तक की कार्यवहन पूंजी की आवश्यकता होगी।

(ङ) कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है और न सरकार इस का उत्पादन सरकारी क्षेत्र में कराना चाहती है।

हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक कर्मचारी

१६२४. { श्री पद्म देव
श्री भक्त दर्शन :

क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक कर्मचारियों के आवास के लिये सहायता-प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत कोई व्यवस्था की है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) : (क) और (ख) सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना से लाभ पाने योग्य औद्योगिक कामगरों के लिये सरकार द्वारा मकान बनाने के लिये दूसरी पंचवर्षीय योजना में ३·६० लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी। परन्तु हिमाचल प्रदेश प्रशासन ने यह रकम छोड़ दी है, क्योंकि उनका विचार है कि इस अवधि में उस राज्य क्षेत्र में इस योजना को क्रियान्वित करने की कोई गुंजाइश नहीं है।

इस योजना के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश में मालिकों को भी मजदूरों के लिये मकान बनाने के लिये वित्तीय सहायता उपलब्ध है। परन्तु, केवल एक फैक्टरी ऐसी है, जिसे इस योजना के अन्तर्गत सहायता मिल सकती है और वह वित्तीय कठिनाइयों के कारण मकान बनाने का काम शुरू करने की इच्छुक नहीं है।

बम्बई में लघु हथकरघा उद्योग

†१६२५. **श्री पांगरकर** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १६५६ में बम्बई में सहकारिता के आधार पर जिलेवार कितने लघु हथकरघा उद्योग चालू किये गये ; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) इन उद्योगों के विकास के लिये ऋणों तथा अनुदानों के रूप में कुल कितनी धनराशि स्वीकार की गई ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

(ख) १९५९-६० के लिये ८,८७,९०० का अनुदान स्वीकार किया गया है ; शेष १०,६६,१०० रुपये यथासमय मंजूर किये जायेंगे । कोई ऋण मंजर नहीं किया गया क्योंकि १९५८-५९ में वास्तविक आवश्यकता से ऋण अधिक मंजूर कर दिया गया था ; जो अधिक धन दे दिया गया था वह चालू वर्ष में देय धन में लगा दिया गया ।

व्यास नदी के तास में वन-उद्योग

१६२६. **श्री पद्म देव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १३ फरवरी, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या २३२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यास नदी के तास में वन-उद्योग आरम्भ करने के बारे में इस बीच कोई निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह काम सम्भवतः कब तक आरम्भ होगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग). अखबारी कागज़ का उद्योग स्थापित करने के लिये वन्य साधन पर्याप्त नहीं हैं । वन्य उत्पादनों पर आधारित अन्य उद्योग, जैसे रेजिन, टरपनटाइन आदि स्थापित हो गये हैं और विभिन्न फर्मों द्वारा स्थापित किये जाते रहेंगे ।

हिमाचल प्रदेश में कुटीर उद्योग

†१६२७. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९-६० के दौरान हिमाचल प्रदेश में कुटीर उद्योगों के विकास के हेतु कितनी वित्तीय सहायता दी गई थी ; और

(ख) किन उद्योगों का विकास किया जा रहा है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) हिमाचल प्रदेश में कुटीर और छोटे उद्योगों के विकास के लिये १९५९ के पुनरीक्षित प्राक्कलन १०·९१ लाख रुपये के हैं। इस के अतिरिक्त २·६७ लाख रुपये की सहायता १९५९-६० में हिमाचल प्रदेश में खादी और ग्रामोद्योग के विकास के लिये खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा अनुमोदित की गई है ।

(ख) हिमाचल प्रदेश में निम्न उद्योगों का विकास किया जा रहा है :

१. खादी तथा ग्रामोद्योग :

१. परम्परागत खादी

---

†मूल अंग्रेजी में

२. अम्बर खादी
३. अनाज और दालों का प्रोसेसिंग
४. ग्राम तेल
५. ग्राम चमड़ा
६. गुड़ तथा खंडसारी
७. हाथ का बनाया कागज
८. मधुमक्खी पालन
९. मिट्टी के बर्तन बनाना

२. **छोटे पैमाने के उद्योग :**

१. हौज़री (जुराब, बुनियान आदि बनाने का उद्योग)
२. लकड़ी का काम करने का उद्योग
३. लोहारगीरी और बर्तन बनाना
४. लकड़ी पक्की करना
५. सिलाई
६. चमड़ा कमाना

३. **दस्तकारी :**

१. टोकरियां और बांस का सामान आदि बनाना
२. हाथ की छपाई
३. चमड़े की कढाई
४. रेशम के कीड़े पालने का उद्योग
५. हथकरघा

पंजाब के पहाड़ी इलाकों का विकास

†१६२८. **श्री हेम राज :**
श्री भक्त दर्शन :
श्री दलजीत सिंह :

क्या **योजना** मंत्री १५ दिसम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४८७ और १२ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ९१ के उत्तरों के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब पहाड़ियों के बारे में योजना आयोग के परामर्शदाता का प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या प्रतिवेदन की प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

†मूल अंग्रेजी में

†योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) चूंकि प्रतिवेदन गोपनीय है, इसलिये इसे जनहित में सभा-पटल पर नहीं रखा जा सकता ।

इजराइल के साथ व्यापार

†१६२९. श्री रामेश्वर टांटिया : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारा इजराइल के साथ कुछ व्यापार नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उस देश को हमारा निर्यात बढ़ाने के लिये क्या कार्रवाई की गई है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने का क्षेत्र निश्चय ही अत्यधिक सीमित है और कोई विशेष कार्रवाई करने का न तो विचार किया गया है और न ही करने की आवश्यकता है ।

कटक में औद्योगिक बस्ती

†१६३०. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री २७ नवम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५८५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कटक की औद्योगिक बस्ती में स्थापित किन उद्योगों ने अब तक भण्डार क्रय कार्यक्रम के अन्तर्गत संभरण महानिदेशक को अपना माल दिया है ; और

(ख) अब तक कितनी लागत का माल भेजा गया है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख). कटक की औद्योगिक बस्ती में स्थापित मैसर्स स्पार्क बैटरी मैनुफैक्चरिंग कम्पनी और मसर्स मधुसूदन कैमिकल इंडस्ट्रीज के नाम अनुमोदित संभरणकर्ता के रूप में संभरण तथा निपटान महानिदेशक के पास पंजीबद्ध किये गये हैं किन्तु अभी उन्हों ने अपना माल नहीं भेजा है ।

विस्थापित व्यक्तियों के कब्जे में सरकार द्वारा बनाई सम्पत्ति का विनियमन

†१६३१. श्री हेम राज: क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पुनर्वास मंत्रालय की सरकारी नीति के अन्तर्गत जो अधिक उदार बनाई गई है, ३१ दिसम्बर, १९५७ से पूर्व विस्थापित व्यक्तियों के कब्जे में सरकार द्वारा बनाई गई सम्पत्ति का विनियमन कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक विनियमित सम्पत्ति में क्वार्टरों की संख्या कितनी है और वे किन बस्तियों में है, तथा पुनर्वास मंत्रालय के द्वारा विनियमन के लिए कितनी सम्पत्ति बाकी है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) जी, हां ।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

सिन्दरी फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड

†१६३२. श्री न० रा० मुनिस्वामी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिन्दरी फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स (प्राइवेट) लि० ने १९५८-५९ और १९५९-६० में कितना लाभ कमाया है;

(ख) फैक्टरी से निकलते समय उर्वरक की प्रति टन उत्पादन लागत क्या है; और

(ग) किन दामों पर यह कृषकों को दिया गया था ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) १९५८-५९ में जो लाभ विनियोजन लेखा में डाला गया था, वह १,५९,१९,१८३ रुपये था । १९५९-६० के लेखे अभी बन्द करने और अन्तिम रूप से तैयार करने हैं ।

(ख) सिन्दरी फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि० द्वारा तैयार अमोनियम सल्फेट का फैक्टरी से निकलते समय का मूल्य १९५८-५९ में २९० रुपये प्रति टन था ।

(ग) अमोनिया का सल्फेट, देशी या आयात किया गया, समूचे देश में एकरूप दामों पर उर्वरक पुंज द्वारा वितरित किया जाता है । ३५० रुपये प्रति टन पुंज मूल्य में वितरकों का ३० रुपये का लाभ मिलाने के पश्चात् ३८० रुपये प्रति टन पर उर्वरक कृषकों को दिया गया था ।

मानव अधिकार आयोग

†१६३३. श्री शिवनंजप्पा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धार्मिक भेदभाव सम्बन्धी मानव अधिकार आयोग के उप-आयोग ने, जिस में एक भारतीय है, मानव अधिकार आयोग को अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ख) क्या भारत सरकार ने इस प्रतिवेदन के सब नियमों और सिद्धान्तों का अनुमोदन कर दिया है ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जी, हां । धार्मिक अधिकारों और रिवाजों के मामले में भेदभाव के बारे में प्रतिवेदन डा० ए० कृष्णस्वामी द्वारा तैयार किया गया था । इस प्रतिवेदन पर मानव अधिकार आयोग के १६वें सत्र में, जो २९ फरवरी, १९६० को जैनेवा में हुआ था, विचार होना था । इस विषय में मानव अधिकार आयोग की कार्रवाई अभी तक भारत सरकार को उपलब्ध नहीं की गई है । इसलिए यह मालूम नहीं हुआ है कि आयोग ने क्या निर्णय किये है ।

(ख) भारत सरकार प्रतिवेदन के प्रस्तुतकर्ता के सामान्य दृष्टिकोण से, जो उनके प्रतिवेदन में प्रकट है, सहमत है, किन्तु इस प्रतिवेदन के नियमों और सिद्धान्तों के बारे में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है ।

†मूल अंग्रेजी में

हथकरघे के कपड़े का निर्यात

†१६३४. श्री रघुनाथ सिंह : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष विदेशी बाजारों विशेषकर अफ्रीकी और एशियाई देशों में हथकरघा कपड़े का विक्रय बढ़ाने के लिए कितने शिष्टमण्डल भेजे जा रहे हैं ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : पूर्वी और पश्चिमी अफ्रीकी देशों को एक शिष्टमण्डल शीघ्र ही भेजा जायेगा। लंका को भी एक शिष्टमण्डल भेजने का प्रस्ताव था, किन्तु इस समय वह स्थगित कर दिया गया है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

†१६३५. श्री अ० मु० तारिक : क्या निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सर्कलों, डिवीजनों और सब डिवीजनों में स्थायी पदों पर विभिन्न श्रेणियों के कितने अफसर स्थायी बनाये गये हैं;

(ख) उनके वेतन-क्रम क्या हैं; और

(ग) स्थायी पदों पर उनके स्थायीकरण के लिए क्या नियम है ?

†निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) : (क) से (ग). सभा पटल पर विवरण रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३२]

"काश्मीर" संबंधी पुस्तक

†१६३६. { श्री नेक राम नेगी :
श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह तथ्य विदित है कि उज़बैकिस्तान विज्ञान अकादमी ने काश्मीर के सम्बन्ध में एक पुस्तक प्रकाशित करना स्वीकार कर लिया है;

(ख) क्या अकादमी ने भारत सरकार से पुस्तक के लिए कोई मूल तथ्यों की मांग की थी;

(ग) क्या अकादमी का कोई अनुसंधान कार्यकर्ता काश्मीर या भारत के किसी अन्य भाग में आया; और

(घ) यदि हां, तो वह कब आया ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) सरकार ने इस विषय में एक समाचार देखा है;

(ख) तथा (ग). जी, नहीं, सरकार को मालूम नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

अल्प आय वर्ग के लिये गृह निर्माण योजना

†१६३७. श्री वाजपेयी : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्प आय वर्ग के लिए गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत केन्द्र द्वारा प्रशासित राज्य क्षेत्रों में तीसरे पक्षों को दिये गये ऋणों पर चक्रवृद्धि ब्याज दर लगाई जाती है;

(ख) यदि हां, तो बन्धक-पत्र में यह बात स्पष्ट रूप से क्यों नहीं लिखी जाती;

(ग) क्या इस विषय में ऋण लेने वालों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

†निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) अल्प आय वर्ग के लिये गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत, संघ राज्य-क्षेत्रों और केन्द्र द्वारा प्रशासित अन्य क्षेत्रों में, ऋण लेने वालों को जो बंधक पत्र भरना पड़ता है उसमें यह लिखा होता है कि ऋण की ब्याज समेत अदायगी उल्लिखित 'वार्षिक समानित किस्तों' में की जायेगी। 'वार्षिक समानित किस्त' शब्द भली भांति समझे जाते हैं और इन में यह होता है कि अदायगी की वार्षिक किस्त पहले ब्याज की तरफ लगाई जाती है और शेष मूलधन की ओर।

(ग) जी, हां।

(घ) अभ्यावेदकों को बता दिया गया है कि बन्धक-पत्र के निबंधन बिल्कुल स्पष्ट हैं और अस्पष्टता के लिए कोई कारण नहीं है।

सरकार द्वारा बनाये गये क्वार्टरों की नीलामी

†१६३८. श्री शिबदत्त उपाध्याय : क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रेम नगर देहरादून में विस्थापित व्यक्तियों के लिए सरकार द्वारा बनाये गये कितने क्वार्टरों की नीलामी की जा चुकी है;

(ख) निलामी में कितने क्वार्टरों का स्वामित्व खरीदने वालों के पक्ष में बदला जा चुका है; और

(ग) यदि उपरोक्त (ख) का उत्तर नकारात्मक है, तो विलम्ब के क्या कारण हैं?

†पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) ९९.

(ख) कोई नहीं।

(ग) सम्पत्तियों की लाइन प्लान हस्तांतरण पत्रों के साथ लगानी पड़ती है। ये तैयार की जा रही है।

तीसरी पंचवर्षीय योजना में हथकरघा उद्योग

†१६३९. श्री तंगामणि : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तीसरी पंचवर्षीय योजना में हथकरघा उद्योग की स्थिति के बारे में मद्रास राज्य हथकरघा बुनकर सहकारी समिति लि० से ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) यदि हां, तो सरकार ने क्या उत्तर दिया है; और

(ग) क्या सरकार ने अगली योजना की रूपरेखा तैयार करने के लिए कोई कार्रवाई की है ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी, हां;

(ख) समिति को सूचित कर दिया गया है कि उनके सुझाव रख लिये गये हैं;

(ग) जी, हां ।

किंग्जवे कैम्प में विस्थापित व्यक्ति

†१६४०. श्री हेम बरुग्रा : क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि दिल्ली के किंग्जवे कैम्प में विस्थापित व्यक्ति पूर्णतया असंतोषजनक स्थिति में रह रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो कैम्प में हालात को सुधारने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

†पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) से (ग). किंग्ज़वे बस्ती की सेवाएं १५ जुलाई, १९५६ को दिल्ली की भूतपूर्व नोटिफाइड एरिया कमिटी को दे दी गई थीं । बस्ती में नागरिक सुविधाएं सुधारने के लिए दिल्ली नगरपालिका निगम को ६,८२,१०३ रुपये की राशि मंजूर की गई है ।

खानों में सुरक्षा सम्बन्धी सम्मेलन

†१६४१. श्री त० ब० विट्ठल राव : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खानों में सुरक्षा सम्बन्धी सम्मेलन की सिफारिशों के परिणामस्वरूप कितनी समिति बनाई गई हैं;

(ख) प्रत्येक समिति की कार्य की आधुनिकतम प्रगति क्या है; और

(ग) प्रतिवेदन कब प्राप्त होने की संभावना है ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली): (क) छः ;

(ख) तथा (ग). १. स्थायी सुरक्षा सलाहकार समिति की बैठक २९ फरवरी, १९६० को हुई थी । समिति ने प्रति तीन महीने बाद मिलने का निर्णय किया ।

२. खान रोशनदान, प्रकाश और खान योजनाओं सम्बन्धी प्रविधिक समिति—जून १९६० के अन्त तक विभिन्न स्तरों सम्बन्धी सिफारिशें अन्तिम रूप से तैयार होने की संभावना है ।

†मूल अंग्रेजी में

३. खान श्रमिकों में थकान सम्बन्धी समिति—इस की सिफारिशें कब तक प्राप्त होंगी, इस समय इस का अनुमान लगाना कठिन है ।

४. सुरक्षा सज्जा समिति—इस की कार्रवाई पूरी होने में छः महीने से अधिक समय की आवश्यकता थी ।

५. खानों में धूल की समस्याओं सम्बन्धी प्रविधिक समिति—प्रयोगशाला क्षेत्र में, और प्रयोग कक्षों में विभिन्न अन्वेषण करने के लिये अपनाये जाने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जा चुकी है । इस के अन्तरिम प्रतिवेदन समय समय पर प्रस्तुत किये जायेंगे ।

६. सुरक्षा शिक्षा और प्रचार सम्बन्धी समिति—प्रतिवेदन कब तक प्राप्त होगा, इस की तिथि बताना सम्भव नहीं है ।

फैक्टरी श्रमिकों की आय का देशनांक

†१६४२. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेतन भुगतान अधिनियम में आने वाले फैक्टरी श्रमिकों की वास्तविक आय के देशनांक में १९५८ की तुलना में १९५९ में गिरावट आ गई है ;

(ख) यदि हां, तो १९५९ के आंकड़े क्या हैं (मूल १००—१९३९);

(ग) वास्तविक आय को सुरक्षित रखने के लिये क्या कोई कार्रवाई की जायेगी ; और

(घ) यदि हां, तो क्या कार्रवाई की जायेगी ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) १९५९ सम्बन्धी सूचना अभी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

गोआ को निर्यात पर प्रतिबन्ध

†१६४३. **श्री आचार** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अदन, मुम्बासा और सिंगापुर की ब्रिटिश और अन्य युरोपीय व्यापार फर्में, पहले भारत से माल का आयात कर के और तब अदन और अन्य स्थानों से उस माल को गोआ भेज कर गोआ को हमारे निर्यात पर लगाये गये प्रतिबन्ध का उल्लंघन करते हैं, ;

(ख) क्या इस प्रक्रिया के कारण भारतीय नाकेबन्दी असफल हो गई है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या कार्रवाई करना चाहती है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) अदन आदि से विभिन्न फर्मों द्वारा गोआ को भारत माल के पुनर्निर्यात के बारे में कोई विशिष्ट जानकारी सरकार को नहीं है । साधारणतया, जिन पत्तनों का उल्लेख किया गया ह, वहां पुनर्निर्यात स्वतंत्रतापूर्वक किया जा सकता है, इसलिय यह निर्धारित करना कि आया ऐसा माल भारत स्थित पुर्तगाली बस्तियों में भेजा जाता है, कठिन है ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हाथ-घड़ियों का आयात

१६४४. श्री म० ला० द्विवेदी: क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार ने ६ जनवरी, १९६० को हाथ-घड़ियों के आयात पर लगे निर्बन्ध शिथिल करने के बारे में जो आदेश जारी किया है उस के बाद भारत में कितने मूल्य की हाथ-घड़ियों के आयात की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : लगभग ५ लाख रु० की ।

आन्ध्र प्रदेश को केन्द्रीय सहायता

†**१६४५. श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश की सरकार ने वित्तीय वर्ष १९५९-६० में योजना परियोजनाओं के लिये सहायता में वृद्धि करने की प्रार्थना की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वृद्धि की मंजूरी दे दी गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) इस प्रकार की कोई विशिष्ट प्रार्थना राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुई ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पत्रकारों के लिये मकान

१६४६. श्रीमती मिनीमाता : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के पत्रकारों के समक्ष अब भी मकान की समस्या है ;

(ख) सरकार इस समस्या को सुलझाने के लिये क्या कर रही है ; और

(ग) दिल्ली में कितन पत्रकार सरकारी मकानों में रहते हैं ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) :(क) से (ग). दिल्ली में रहने वाले पत्रकारों के सम्मुख आवास की समस्या बहुत कुछ वैसी ही है, जेसी उन के समान आय-वर्गों के अन्य लोगों के सम्मुख है ; और विभिन्न आवास योजनाओं से वे भी लाभ उठा सकते हैं ।

इस के अलावा, सरकार ने सामान्य समूह में से ५४ निवास स्थान पत्रकारों को रहने के लिये दिये हैं ।

सरकारी दफ्तरों में प्रयोग में आने वाला स्टेशनरी का सामान

†**१६४७. श्री राम गरीब** : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत सा स्टेशनरी का सामान अर्थात पैंसिलें, डी० ओ० कागज, पेपर वेट, जो प्रिंटिंग तथा स्टेशनरी कंट्रोलर द्वारा सरकारी दफ्तरों को प्रयोग के लिये दिया जाता

---

†मूल अंग्रेजी में

है, बाहर से मंगवाया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि देश में ऐसे सामान का उत्पादन कम होता हैं ;

(ग) क्या यह भी सच ह कि बहुत सा सजावट का माल, अर्थात पर्दों का कपड़ा, अफसरों के प्रयोग के लिये कीमती टेबल लैम्प, और कुर्सियों की गद्दियां सरकारी दफ्तरों द्वारा विदेशों में बना हुआ खरीदा जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने विदेशी माल के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने और देशी माल को खरीदने के बारे में कोई आदेश जारी किये हैं ?

†निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) : (क) नहीं। प्रायः सब स्टेशनरी माल, जो दैनिक दफ्तरी उपयोग के लिये दिया जाता है जिस में पैंसिलें (कुछ विशेष प्रकार की ड्राइंग पैंसिलों को छोड़ कर), डी० ओ० कागज, और पेपर वेट देशी होते हैं। टैक्निकल और ड्राइंग के काम आदि के लिय केवल कुछ एक आयात की गई वस्तुयें दी जाती हैं। इन में भी आयात किया गया माल तभी मंगवाया और दिया जाता है यदि उस के स्थान पर कोई उपयुक्त देशी माल उपलब्ध न हो।

(ख) देशी कागज और स्टेशनरी उद्योग अभी विकसित हो रहा है और टैक्निकल, ड्राइंग और चार्ट के काम के लिये कुछ वस्तुओं का आयात आवश्यक हो जाता है। तथापि यह आयात बहुत कम होता है और केवल तभी किया जाता है जब वह माल देश में तैयार न होता हो अथवा किसी विशेष टैक्निकल काम के लिये आवश्यक न्यूनतम मान्य स्तर से नीचे के गुण प्रकार का हो।

(ग) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और विभिन्न मंत्रालयों (विभागों से सूचना मिलने के उपरान्त विवरण सभा पटल पर रख दिया जायगा।

(घ) सब प्रकार के कपड़े अर्थात पर्दा, झाड़न, तौलिये आदि की खरीद के बारे में सरकारी दफ्तरों को ये हिदायतें दी गई हैं कि क्रय केवल खादी का किया जाये। यह भी निर्धारित किया गया है कि जब खादी उपलब्ध न हो, तो हथकरघा का कपड़ा खरीदा जाना चाहिये।

विनय नगर में पैदल चलने वाले लोगों के लिए पुल

†१६४८. श्री राम गरीब : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ईस्ट विनय नगर को विनय नगर के साथ मिलाने वाले नाले के ऊपर पैदल चलने वाले लोगों के लिये एक छोटा पुल बनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पुल बनाने पर कितनी लागत आई ;

(ग) क्या इन दो बस्तियों को मिलाने के लिय कई स्थानों पर इस नाले के ऊपर पैदल चलने वाले लोगों के लिये कई और ऐसे छोटे पुल बनाने का प्रस्ताव है ;

(घ) क्या वेस्ट विनय नगर को मोतीबाग की ओर रिंग रोड से मिलाने के लिये कई स्थानों पर छोटी पक्की लिंक सड़कें बनाने का भी विचार है ; और

(ङ) यदि हां, तो कब ?

†मूल अंग्रेजी में

†निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) ६,७२५ रुपये;

(ग) तथा (घ). इस समय ऐसे कोई प्रस्ताव नहीं हैं ; और

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दण्डकारण्य प्राधिकार के कर्मचारी

†१६४६. { श्री मोहन नायक :
डा० सामन्तसिंहार :

क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दण्डकारण्य प्राधिकार के अधीन तीसरी और चौथी श्रेणियों के कितने कर्मचारी काम करते हैं ; और

(ख) प्रत्येक श्रेणी में कितने विस्थापित व्यक्ति और उड़िया लोग हैं?

†पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) तीसरी श्रेणी १४१५

चौथी श्रणी ६९५

जोड़ २११०

(ख) श्रेणी	विस्थापित व्यक्ति	उड़िया वाले
तीसरी . .	४३०	१५५
चौथी . .	१९८	१७९

नागा नेता का आसाम भाग जाना

†१६५१. { श्री रघुनाथ सिंह :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री जगदीश अवस्थी:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि नागा जन सम्मेलन (नागा पीपल्स कन्वेंशन) की कार्यकारिणी में सेम नागा आदिम जाति के प्रतिनिधी सर ईसा, नागाओं के गुप्त आन्दोलन के लिये शस्त्र और वित्तीय सहायता लेने के लिये बर्मा भाग गये हैं ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): नागा पीपल्स कन्वेंशन की कार्यकारिणी के सदस्य इसाक चिशि सेम (सर ईसा नहीं) की कथित बर्मा यात्रा के बारे में हमें सूचना नहीं है ।

†मूल अंग्रेजी में

सभा पटल पर रखे गये पत्र

मितव्ययता उपायों के परिणामों को दिखाने वाला विवरण

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैं ३० सितम्बर, १९५९ को समाप्त होने वाली तिमाही में किये गये मितव्ययता उपायों के परिणाम (और २० जून, १९५९ को समाप्त होने वाली तिमारी के बारे में अनुपूरक जानकारी) बताने वाले विवरण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई; देखिये संख्या एल० टी०—२०५४/६०]

†अशोक होटल्स लिमिटेड का प्रतिवेदन तथा उसके कार्य संचालन के बारे में सरकार की समीक्षा

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत १ अक्तूबर, १९५८ से ३१ मार्च, १९५९ तक की अवधि के लिये अशोक होटल्स लिमिटेड का प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(२) अशोक होटल्स लिमिटेड के कार्य संचालन के बारे में सरकार की समीक्षा ।

[पुस्तकालय में रखी गई; देखिये संख्या एल० टी०—२०५५/६०]

समवाय (अंश प्रमाण पत्रों का जारी करना) नियम

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : मैं समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६४२ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक १९ मार्च, १९६० की अधसूचना संख्या जी० एस० आर० ३३३ में प्रकाशित समवाय (अंश प्रमाण-पत्रों का जारी करना) नियम, १९६० की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई; देखिये संख्या एल० टी०—२०५६/६०]

राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम प्राइवेट लिमिटेड का प्रतिवेदन तथा उसके कार्यसंचालन के बारे में सरकार की समीक्षा

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा, ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत ३१ दिसम्बर, १९५८ को समाप्त होने वाली अवधि के लिये राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम प्राइवेट लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक के टिप्पणों सहित ।

(दो) उपरोक्त निगम के कार्य तथा अन्य बातों की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[पुस्तकालय में रखी गई; देखिये संख्या एल० टी०—२०५७/६०]

---

†मूल अंग्रेजी में

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

†सचिव : श्रीमान्, मैं चालू सत्र में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा १४ मार्च, १९६० को लोक-सभा में दी गई अन्तिम सूचना के बाद राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्राप्त निम्नलिखित चार विधेयकों को सभा-पटल पर रखता हूं :—

१. मोटरगाड़ी (संशोधन) विधेयक, १९६०

२. विनियोग (रेलवे), विधेयक, १९६०

३. विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक, १९६०

४. विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६०

श्रीमान्, मैं चालू सत्र में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा १४ मार्च १९६० को लोक-सभा में दी गई अन्तिम सूचना के बाद राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्राप्त निम्नलिखित तीन विधेयकों की प्रतियां राज्य-सभा के सचिव द्वारा विधिवत् प्रमाणित रूप में, सभा पटल पर रखता हूं :—

१. निष्क्रान्त सम्पत्ति का प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, १९६०

२. विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) संशोधन विधेयक, १९६०

३. जनेवा अभिसमय विधेयक, १९६०

लोक लेखा समिति

छब्बीसवां प्रतिवेदन

†**श्री बर्मन** (कूच-बिहार—रक्षित-अनुसूचित जातियां) : मैं लोहा तथा इस्पात नियंत्रक के संगठन के कार्य संचालन के बारे में लोक-लेखा समिति का छब्बीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

प्राक्कलन समिति

चौहत्तरवां प्रतिवेदन

†**श्री दासप्पा** (बंगलौर) : मैं रेलवे मंत्रालय—महत्वपूर्ण परियोजनाओं के बारे में प्राक्कलन समिति (पहली लोक-सभा) के बत्तीसवें प्रतिवेदन में की गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में प्राक्कलन समिति का चौहत्तरवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

उन्नीसवां प्रतिवेदन

†**श्री मूल चन्द दुबे** (फ़र्रुखाबाद) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति का उन्नीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

बोकारो में इस्पात का कारखाना

†**श्री विभूति मिश्र** (बगहा) : नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर इस्पात, खान और ईंधन मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उस के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"बोकारो में एक लोहे तथा इस्पात के कारखाने की स्थापना ।"

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : श्रीमान्, मेरा एक औचित्य प्रश्न है । क्या बोकारो में लोहा और इस्पात कारखाने की स्थापना का प्रश्न इतना अविलम्बनीय है कि उस के लिये ध्यान दिलाने की पूर्वसूचना दी जाये और उसे स्वीकार किया जाये । मैं आप की राय जानना चाहता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे प्रसन्नता है कि श्री स० मो० बनर्जी ने यह प्रश्न पूछा । कुछ मामले ऐसे होते हैं जिन को स्थगन प्रस्ताव अथवा ध्यान दिलाने का प्रस्ताव नहीं बनाया जा सकता है लेकिन फिर भी उन्हें बार-बार उठाये जाने का प्रयत्न किया जाता रहा है । इस विषय में माननीय सदस्य बार-बार जोर डालते रहे हैं और आखिर में मुझे उसे यहां लाना ही पड़ता है । मुझे विश्वास है कि श्री स० मो० बनर्जी की इस बात का माननीय सदस्य ध्यान रखेंगे ।

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : चूंकि वक्तव्य लम्बा है अतः मैं आप की अनुमति से उसे सभापटल पर रखता हूं । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३३]**

अनुदानों की मांगें

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा में अब वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा होगी । माननीय मंत्री महोदय ।

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : कल जो चर्चा हुई, वह बड़ी रचनात्मक थी और मैं इस बात के लिये सदन के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करना चाहता हूं ।

सब से पहले मैं श्री प्र० के० देव द्वारा 'उड़ीसा टैक्सटाइल्स' के सम्बन्ध में कही गई बातों को लूंगा । मुझे खेद है कि उन्हों ने इस सम्बन्ध में जो कुछ कहा है उस से इस विषय में गलत धारणा सी बन गई है । यह एक पुराना मामला है और समवाय् विधि विभाग ने इस बारे में पूरी तहकीकात की है । इस मामले की जांच एक इंस्पैक्टर द्वारा की गई थी और उस ने अपनी रिपोर्ट समवाय विधि विभाग को प्रस्तुत की थी । उड़ीसा सरकार द्वारा मांगे जाने पर यह रिपोर्ट उन्हें भेजी गई थी ।

विधि के अनुसार यह रिपोर्ट केवल अंशधारियों (शेयर होल्डर्स) को उन के मांगने पर भेजी जाती है, वर्ना नहीं । उड़ीसा सरकार का पत्र हमें सितम्बर, १९५९ में प्राप्त हुआ और उस के तुरन्त पश्चात् रिपोर्ट भेज दी गयी । यह कहना ग़लत है, जैसाकि शायद श्री प्र० के० देव ने कहा कि हमें इस सम्बन्ध में कई स्मरण पत्र भेज गये । पहला पत्र प्राप्त होते ही उड़ीसा सरकार को रिपोर्ट भेज दी गई थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

'उड़ीसा टैक्सटाइल्स' के विरुद्ध दो प्रकार के आरोप हैं। पहला यह कि उन्हों ने समवाय विधि का उल्लंघन किया। जहां तक इस बात का सम्बन्ध है समवाय विधि विभाग ने इन्सपैक्टर द्वारा बताई गई प्रत्येक बात की अच्छी तरह से जांच की और उड़ीसा टैक्सटाइल्स ने, उन के विरुद्ध कोई कार्रवाई किये जाने से पहले ही, रिपोर्ट में उल्लिखित सभी त्रुटियों को सुधार लिया। समवाय विधि विभाग किसी के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने से पहले सामान्यत: उन्हें अपनी ग़ल्ती सुधारने का अवसर देता है और इस के पश्चात् ही मामले को न्यायालय में ले जाया जाता है। इस मामले में इस प्रकार का कदम उठाने का कोई कारण नहीं था क्योंकि गल्तियों को दूर कर दिया गया था।

अब मैं दूसरी प्रकार के आरोपों में से उदाहरण के तौर पर दो का ज़िकर करूंगा। एक आरोप कम्पनी के निदेशकों और उन कम्पनियों को, जिन में निदेशकों की दिलचस्पी थी ब्याज की दर बताये बिना, ऋण देने सम्बन्धी है। कुछ व्यक्तियों के नाम ब्याज की १२,५०६ रुपये की राशि बाकी थी। ये बातें १९१३ के अधिनियम की धारा ८६घ का उल्लंघन थी। किन्तु इंस्पैक्टर की रिपोर्ट पर की जाने वाली अन्तिम कार्रवाई का फैसला करने से पहले ही निदेशकों ने १२,५०६ रु० अदा कर दिये। इसलिये इस टेक्निकल ग़ल्ती के सम्बन्ध में और कार्रवाई करना उचित नहीं समझा गया।

दूसरा आरोप कम्पनी द्वारा कर्मचारियों की भविष्यनिधि के उपयोग किये जाने के बारे में है। ब्योरे में जाये बिना, मैं सदन को यह सूचित करना चाहता हूं कि ३१ मार्च, १९५५ को कर्मचारियों की भविष्य निधि में १,०८,९६० रुपये जमा थे। भविष्य निधि सम्बन्धी देनदारियों को कम्पनी ने न्यास-पत्र के अनुसार विनियोजन कर के चुका दिया था।

ये इस बात के दो स्पष्ट उदाहरण हैं, जिनसे यह पता चलता है कि गल्तियों तथा त्रुटियों को सुधार लिया गया था और इसलिए इस बारे में कोई कार्रवाई करना आवश्यक नहीं था। दूसरे प्रकार के मामले ऐसे हैं जो रुपये के लेन देन से सम्बन्धित हैं। भारत सरकार और समवाय विधि विभाग दीवानी मुकदमे लड़ना वांछनीय नहीं समझता। दीवानी मुकदमा दायर करने का मुख्य उत्तरदायित्व अंशधारियों पर होता है। मेरे पास अधिक समय नहीं है क्योंकि मुझे बहुत सी अन्य बातों के बारे में भी बताना है। किन्तु यदि माननीय सदस्य ब्रिटेन की प्रथा को देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि वहां की सरकार भी इस प्रकार की गयी जांच के सम्बन्ध में मुकद्दमे बाज़ी को प्रोत्साहन नहीं देती। यह बात अंशधारियों के ऊपर छोड़ दी जाती है कि वे जैसा उचित समझें वैसा कदम उठायें।

उड़ीसा सरकार के इस कम्पनी में बहुत से हिस्से हैं और यदि वह ठीक समझती तो वह 'उड़ीसा टैक्सटाइल्स' के विरुद्ध दीवानी मुकदमा दायर कर सकती थी।

एक अन्य मामले में, समवाय विधि विभाग ने श्री बी० पटनायक के विरुद्ध कार्रवाई की। माननीय सदस्य के कहने से यह गलतफ़हमी पैदा होती है कि श्री बी० पटनायक को संरक्षण दिया जा रहा है। यह बिल्कुल ग़लत बात है। समवाय विधि विभाग ने तो श्री पटनायक के विरुद्ध मुकदमा दायर किया था।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : उड़ीसा सरकार उन्हें बचा रही है।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : उड़ीसा विधान सभा के सदस्य यदि चाहें तो इस प्रश्न को सभा में उठा सकते हैं। मैं श्री प्र० के० देव को बताना चाहता हूं कि मैं अब भी इस सारे मामले पर दुबारा गौर करने को तैयार हूं। सचिव स्तर पर इस मामले को निपटाया गया है। मैंने सारे

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री लाल बहादुर शास्त्री]

कागज तो नहीं देखे किन्तु जितना अध्ययन मैंने इस मामले का किया है उससे मुझे यकीन हो गया है कि समवाय विधि के अधीन कोई कार्रवाई करनी आवश्यक नहीं थी। मैंने अपने मंत्रालय के अनुभवी पदाधिकारियों से इस बात की चर्चा की है और उनका कहना है कि उन्होंने इस मामले की जो जांच और समीक्षा की है उसकी पड़ताल कोई भी कर सकता है। उनकी यह दृढ़ मान्यता है कि समवाय विधि के अन्तर्गत दीवानी मुकदमा दायर करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हां, हिस्सेदार यदि चाहते तो कोई कार्रवाई कर सकते थे, हालांकि इस सम्बन्ध में भी उनके अपने विचार हैं, जिन्हें मैं जाहिर नहीं करना चाहता। मैं श्री प्र० के० देव को आमंत्रित करने को तैयार हूं कि वे समवाय विधि विभाग के पदाधिकारियों से इस विषय पर चर्चा कर लें। मैं उन से केवल यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि जब तक हम से चर्चा करके उन्हें यह विश्वास न हो जाये कि स्थिति सन्तोषजनक नहीं है, वे इस प्रकार के मामलों को इतने विस्तार से सभा में न उठाया करें।

†**श्री प्र० के० देव** (कालाहांडी) : मैं एक औचित्य प्रश्न उठाना चाहता हूं। यह पाबन्दी हमारे विशेषाधिकारों को भंग करती है। इसका अर्थ यह हुआ कि पदाधिकारियों से बातचीत किये बिना हम अपने विचारों को प्रकट नहीं कर सकते।

†**श्री च० द० पांडे** (नैनीताल) : यह तो एक अनुरोध है। मैं समझता हूं कि जिस भावना से यह बात कही गयी थी उन्होंने इसे समझा नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति। कल श्री नागी रेड्डी ने इस प्रश्न को उठाया था। श्री पटनायक ने, जो यहां उपस्थित थे, उनसे पूरा नाम लेने को कहा ताकि किसी को यह भ्रम न हो जाये कि उनका नाम लिया जा रहा है। तब मैंने यह कहा कि हमें यह विशेषाधिकार प्राप्त है। किन्तु यदि बाहर के लोग यह समझ रहे हैं कि हम अपने विशेषाधिकारों का अनुचित उपयोग कर रहे हैं तो इससे सदन की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। मैंने एक नियम का उल्लेख भी किया था कि यदि कोई सदस्य किसी मंत्री के अधीन कार्य कर रहे किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध कोई आरोप लगाना चाहता हो तो उसे इसकी पूर्वसूचना मुझे दे देनी चाहिए। मैं इसे मंत्री तक पहुंचा दूंगा ताकि इस मामले को जब सभा में उठाया जाये तो मंत्री के पास इस सम्बन्ध में तथ्य हों जिससे वह इसका प्रतिवाद कर सके अथवा स्थिति स्पष्ट कर सके। इस नियम का पालन किया जाता है।

किन्तु उन लोगों की प्रतिष्ठा और सम्मान, जिनकी ओर से और जिनके प्रतिनिधि बन कर हम यहां आते हैं, का ध्यान भी हमें उतना ही होना चाहिए जितना कि अपनी प्रतिष्ठा और विशेषाधिकारों का। इसीलिए जब श्री नागी रेड्डी बोल रहे थे तो मैंने उनसे कहा था कि पूरी तरह जानकारी प्राप्त करने के बाद और यह सन्तोष हो जाने पर कि यह सूचना विश्वस्त सूत्रों से मिली है, हमें इस प्रकार की बातें कहनी चाहिएं। सभा में एक बार कुछ कह दिया जाये तो उसका प्रभाव अवश्य होता है और यदि बाद में इसका संशोधन कर भी दिया जाये तब भी इससे नुक्सान तो हो ही जाता है। इस सीमा के अन्तर्गत ही हमें स्वतन्त्रता प्राप्त है। कोई भी व्यक्ति किसी माननीय सदस्य को रोक नहीं सकता, चाहे यह मान लिया जाये कि वह सदस्य सीमा से बाहर जा रहा है। यह मेरा कार्य है कि मैं उसे रोकूं। निःसन्देह कोई व्यक्ति इस पर आपत्ति नहीं कर सकता। माननीय सदस्य निःसन्देह किसी भी महत्वपूर्ण बात को बिना किसी डर और पक्षपात के सभा के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, उन्हें किसी का भी भय नहीं होना चाहिए। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि वे

†मूल अंग्रेजी में

उचित सीमाओं का उल्लंघन करके हर प्रकार के आ ोप लगायें। यह उन की जिम्मेवारी है। मैं इस विषय पर और अधिक नहीं कहना चाहता। प्रत्येक माननीय सदस्य को किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के सम्बन्ध में, जो कि सभा में उपस्थित न हो, कुछ कहने से पहले उस बात पर अच्छी तरह सोच विचार कर लेना चाहिए और अपने आप को उस व्यक्ति की स्थिति में रख कर सोचना चाहिए। हो सकता है कि अगली बार वह यहां सदस्य चुन कर न आ सकें और कोई अन्य सदस्य उनके बारे में कोई आरोप लगाये तो उन्हें कैसा लगेगा ?

अतः इन स्थितियों में सदस्यों को उपरोक्त सीमाओं में रह कर अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करना चाहिए। उन्हें, बेशक वे सब छूटें और उन्मुक्तियां प्राप्त हैं जो संविधान द्वारा प्रदान की गयी हैं।

†**श्री प्र० के० देव :** मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने जो बातें कही थीं उनका समर्थन रिपोटों में दिये गये तथ्यों और अन्य दस्तावेजों से होता है। मैंने किसी की नीयत पर शक नहीं किया। मैं यह बात अध्यक्ष पर छोड़ता हूं कि इन बातों से क्या निष्कर्ष निकलता है।

†**अध्यक्ष महोदय :** मेरा कार्य निष्कर्ष निकालना नहीं है। मुझे तथ्यों की जानकारी नहीं है। मैं यह बात सदस्यों पर छोड़ता हूं कि उन्हें इस प्रकार के वक्तव्य देने चाहिएं अथवा नहीं। प्रत्येक माननीय सदस्य इस बात का निर्णय स्वयं कर सकता है। वह ८ लाख लोगों का प्रतिनिधि होता है। वह बहुत बड़े उत्तरदायित्वपूर्ण पद पर आसीन होता है। केवल इस कारण कि उसे विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त हैं, उसे इनका उपयोग नहीं करना चाहिए। इसमें कोई सन्देह नहीं कि सदस्य यहां पर वही बातें कहेंगे जिन्हें बाहर कहते हुए वे नहीं डरेंगे। यही कसौटी होनी चाहिए। अपवादजनक मामलों में सीमा रेखा को पार किया जा सकता है।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** अब मैं दूसरी बात पर आऊंगा। श्री नागी रेड्डी ने कुछ उन महत्वपूर्ण कम्पनियों के बारे में कुछ कहा है, जिन में हमारे हिस्से कम हैं और विदेशियों के अधिक। मैं आंकड़ों की जांच करना चाहता था किन्तु मुझे खेद है कि मुझे आंकड़े नहीं मिल सके। किन्तु यदि आवश्यक हो तो मैं श्री नागी रेड्डी को यह सूचना पृथक् रूप से दे सकता हूं और सभा को भी। इस में कोई भेद की बात नहीं है। सामान्य रूप से हमारी नीति यह है कि प्रत्येक संस्था में भारतीयों के हिस्से अधिक हों और प्रबन्ध भी मुख्यतः भारतीयों के हाथ में होना चाहिए।

किसी समझौते को करते हुए इन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखा जाता है। किन्तु हमेशा और हर मामले में इस बात का पालन नहीं किया जा सकता। हमें कई रूपभेद करने पड़ते हैं और कई मामलों में कुछ शर्तें माननी पड़ती हैं। यदि हमारे पास आवश्यक विदेशी मुद्रा अथवा रुपया न हो तो हम किसी उद्योग के किसी विशेष दिशा की ओर विकास को पूर्णतया अवरुद्ध नहीं कर सकते। इसलिए इन परिस्थितियों में कुछ बातें अपवादस्वरूप करनी पड़ती हैं और मैं समझता हूं कि मैं आपको यह आश्वासन देने की स्थिति में नहीं हूं कि भविष्य में किसी भी जगह अधिक हिस्से विदेशियों के पास नहीं रहेंगे। किन्तु हमारी सामान्य नीति यही है और हम निरन्तर इसी नीति का अनुसरण करने का भरसक प्रयत्न करते आये हैं।

मुझे यह सुन कर कुछ आश्चर्य हुआ कि कोई भी भारतीय इस्पात संयंत्र का डिजाइन तैयार नहीं कर सकता। उहोंने कहा कि किसी भी भारतीय के लिए इस्पात का संयंत्र स्थापित करना सम्भव नहीं है। मैं यह सुन कर दंग रह गया। मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता। किन्तु यदि

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री लाल बहादुर शास्त्री]

स्थिति यही है, तब तो भारत के तीन इस्पात संयंत्रों में कार्य करने वाले भारतीयों को दोषमुक्त नहीं माना जा सकता।

†श्री नागी रेड्डी (अनन्तपुर): मेरे कहने का यह अभिप्राय नहीं था। मैं तो गैर-सरकारी क्षेत्र का उल्लेख कर रहा था। मुझे विश्वास है कि आज भारत में ऐसे लोग पैदा हो गये हैं जो यह कार्य कर सकते हैं। मेरा आशय यही था कि गैर-सरकारी क्षेत्र के पिछले पचास वर्षों में हमें वह प्रविधिक ज्ञान प्राप्त नहीं हो सका जो हमें आजकल सरकारी उद्योगक्षेत्र से प्राप्त हो रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि हमें आज यह ज्ञान प्राप्त है।

†श्री लाल बहादुर शास्त्री : तब यह ठीक है। मैं कुछ और ही समझा था। अभी कुछ दिन पहले इस्पात मंत्री यह बता रहे थे कि चौथे इस्पात संयंत्र के लिए एक भारतीय इंजीनियर और बहुत से भारतीय परामर्शदाताओं द्वारा एक प्रारम्भिक रिपोर्ट पेश की गयी है और उन्होंने यह भी कहा था कि हो सकता है कि यह संयंत्र भारतीय इंजीनियरों की सहायता से स्थापित किया जाये। उनका विचार है कि उच्च अधिकारियों और इंजीनियरों में ८० प्रतिशत भारतीय होंगे। मैं समझता हूं कि यह एक बहुत बड़ी सफलता है और मुझे आशा है कि इससे श्री नागी रेड्डी को इस सम्बन्ध में सन्तोष होना चाहिए।

अब मैं जो श्री बिमल घोष और डा० कृष्णस्वामी द्वारा निर्यात के सम्बन्ध में कही गयी बातों का उल्लेख करूंगा। मुझे दुःख है कि मैं हमारे निर्यात के सम्बन्ध में हुए सुधार के बारे में श्री घोष द्वारा प्रकट की गई निराशा का भागीदार नहीं बन सकता। मुझे उन से यह सुन कर आश्चर्य हुआ कि पिछले तीन वर्षों में हमारे निर्यात व्यापार में अवनति हो रही है। किन्तु आंकड़े तो कुछ और ही कहते हैं। इस वर्ष १९५९ में हमारा निर्यात ६२३ करोड़ रुपये तक पहुंच गया।

†श्री बिमल घोष (बैरकपुर) : मैं तो १९५६-५७, १९५७-५८ और १९५८-५९ का जिक्र कर रहा था।

†श्री लाल बहादुर शास्त्री : १९५७ में यह ६१० करोड़ रु० था, १९५८ में यह कुछ कम हो कर . . . . .

†श्री बिमल घोष : १९५७-५८ में ?

†श्री लाल बहादुर शास्त्री : मैं १९५७, १९५८ और १९५९ के आंकड़े दे रहा हूं। पिछले वर्ष अर्थात् १९५९ के आंकड़े ६२३ रु० के हैं। हमारे निर्यात व्यापार के पिछले दस वर्षों में यह राशि सब से ऊंची है। मैं श्री बिमल घोष से इस बात में सहमत हूं कि आने वाले वर्ष में हमें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। संसार की मंडियों में प्रतियोगिता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। किन्तु फिर भी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हो रही है और इस के साथ भारतीय व्यापार में भी वृद्धि होनी चाहिये। इसलिये मुझे आशा है कि हमारा निर्यात कम होने के स्थान पर बढ़ेगा। जैसाकि मैं ने उल्लेख किया, जहां तक पश्चिम यूरोप के देशों का सम्बन्ध है, 'यूरोपीयन कामन मार्केट' के बनने से हमें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि यह प्रतिबन्धात्मक दृष्टिकोण है और अन्ततोगत्वा वे देश यह अनुभव करेंगे कि यह योजना उन्हीं के हितों के लिये ठीक नहीं। किन्तु अभी तक हमारे व्यापार निर्यात व्यापार पर इस का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। किन्तु

†मूल अंग्रेजी में

हमें काफी सावधान रहना होगा और हम उन उपायों के बारे में सोच विचार कर रहे हैं जिन से हम आने वाली कठिनाइयों को हल कर सकेंगे । मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हमारा विचार राज्य व्यापार निगम द्वारा अपने निर्यात व्यापार में विशाल वृद्धि करने का है । प्रायः यह कहा जाता है कि राज्य व्यापार निगम अधिकांशतः आयात व्यापार के क्षेत्र में काम कर रही है और निर्यात व्यापार में उस का भाग बिल्कुल नगण्य है । मैं इन कथनों के महत्व को पूर्णतया समझता हूं और हम प्रयत्न कर रहे हैं कि निगम निर्यात व्यापार में अधिकाधिक भाग ले । पिछले वर्ष निगम ने २१ करोड़ रुपये के सामान का निर्यात किया है और इस की चेष्टा चालू वर्ष १९६० में इस राशि को दुगना करने की है ।

जैसा कि डा० कृष्णस्वामी ने कहा, अधिक निर्यात के लिये यह आवश्यक है कि उत्पादन में वृद्धि की जाय । अभी ऐसे बहुत से मूल-उत्पाद हैं जिन को निर्यात करने का काफी क्षेत्र है । तिलहन मिर्चें, प्याज, गर्म मसाला, रूई, पटसन, तेल और खली आदि वस्तुओं का निर्यात काफी बढ़ाया जा सकता है । यह ठीक है कि इन का सम्बन्ध कृषि क्षेत्र से है क्योंकि वस्तुतः ये कृषि-उत्पाद हैं । इसलिये यह आवश्यक है कि इन वस्तुओं के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि की जानी चाहिये । मैं खाद्यान्नों के उत्पादन के बढ़ाने को पूरा महत्व देता हूं किन्तु मेरा यह मत नहीं कि कपास, पटसन और तिलहन आदि व्यापारिक फसलों के उत्पादन में वृद्धि खाद्यान्नों के उत्पादन के साथ साथ नहीं की जा सकती । अन्यथा यदि उत्पादन नहीं बढ़ेगा तो इन की कीमतें बढ़ जायेंगी । इन में से कुछ चीजें ऐसी हैं जिन की खपत देश के अन्दर होती है । जब मुझे बताया गया कि दक्षिण भारत के कुछ लोग मिर्चों के निर्यात का विरोध करते हैं तो मुझे बड़ा विचित्र सा लगा । इसी प्रकार पंजाब, मेरठ और अन्य स्थानों के लोग प्याज के निर्यात पर बुरा मनायेंगे । हमें कुछ न कुछ कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी । यदि हम उत्पादन अधिक करेंगे तो हम मूल्यों के स्तर को भी ठीक बनाये रख सकेंगे और बची हुई चीज़ों का निर्यात भी कर सकेंगे । मैं अपने अन्य मंत्रालयों से कहना चाहता हूं कि वे निर्यात की आवश्यकता और महत्व को समझें । वे ऐसा करते हैं किन्तु इस बात की ओर सम्भवतः और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है । सरकार को सामूहिक रूप से इस सम्बन्ध में साहसपूर्ण पग उठाना पड़ेगा ।

डा० कृष्णस्वामी ने कहा है कि अफ्रीका और मध्यपूर्व के देशों के साथ व्यापार बढ़ाना चाहिये । मैं इस बात के लिये कोई विशेष श्रेय नहीं लेना चाहता किन्तु यदि डा० कृष्णस्वामी अफ्रीका के देशों के सम्बन्ध में मेरे नोट को और निर्यात में वृद्धि करने के हमारे प्रयत्नों को देखेंगे तो उन्हें सम्भवतः यह तसल्ली हो जायेगी कि मंत्रालय इस समस्या की ओर ध्यान दे रहा है । मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि अभी हाल ही में पूर्वी अफ्रीका में मोम्बासा, दारेस्लाम, पेम्बा और नैरोबी में चार भारतीय प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया था । ये दिसम्बर १९५९ से फरवरी १९६० के बीच आयोजित की गयी थीं । १९६० में काहिरा और आक्करा में दो प्रदर्शनियों को आयोजित करने की मंजूरी दे दी गयी है । काहिरा में भारत का एक प्रदर्शन-कक्ष (शो रूम) है जो १९५७ में स्थापित किया गया था । १९६० में बेरूत और नैरोबी में दो और प्रदर्शन कक्ष खोलने की मंजूरी दी जा चुकी है । इन दोनों को यथाशीघ्र चालू किया जायेगा ।

जहां तक दक्षिण पूर्व एशिया का सम्बन्ध है हमारा एक छोटा प्रदर्शन-कक्ष जकार्ता में है और दूसरा बैंकाक में स्थित है । रंगून में हमारे मिशन के अन्दर एक कक्ष खोलने की योजना पर विचार किया जा रहा है । सिंगापुर के बारे में भी विचार किया गया था किन्तु उस का विचार छोड़ दिया गया है । इस के अतिरिक्त भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल ने प्रादेशिक परिषदें स्थापित

[श्री लाल बहादुर शास्त्री]

की हैं जिन में विशेष प्रदेशों में रुचि रखने वाले निर्यातक शामिल हैं और जिन का उद्देश्य सरकारी और ग़ैर-सरकारी संगठनों की सहायता से विशेष विशेष प्रदेशों में निर्यात को प्रोत्साहन देना है ।

यह भी कहा गया है कि हमें विदेशों में अपने व्यापारिक प्रतिनिधि संगठनों को दृढ़ बनाना चाहिये । इस समय हमारे व्यापारिक पदाधिकारियों की संख्या ३६ है और हम प्रतिवर्ष उन पर ५८.७९ लाख रुपया व्यय करते हैं । हम समय समय पर अपने व्यापार कार्यालयों की स्थिति की समीक्षा करते रहते हैं और विदेशों में व्यापारिक प्रतिनिधित्व को और मज़बूत बनाने के विषय पर विचार किया जा रहा है । किन्तु बहुत से स्थानों पर कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना सम्भव नहीं है क्योंकि मितव्ययता की आवश्यकता सर्वोपरि है । हमारे राजदूतावासों के व्यापार कार्यालयों के कर्मचारियों के बारे में विचार करने के लिये एक समिति नियुक्त की गयी है और यह प्रत्येक दूतावास की स्थिति का अध्ययन कर रही है तथा ऐसा हल निकालने का प्रयत्न कर रही है जिस से कार्य-क्षमता में वृद्धि भी हो और मितव्ययता की नीति से इसका विरोध भी न हो । डा० कृष्णस्वामी ने यह कहा है कि इन प्रोत्साहनों अथवा निर्यात संवर्द्धन योजनाओं से कोई विशेष लाभ नहीं होने वाला । मुझे दुख है कि मैं इस बात पर उन से सहमत नहीं हूं और मैं समझता हूं कि हमारे लिये इन कदमों का उठाना आवश्यक है, जैसे प्रचार करना, विदेशों में व्यापारिक संगठनों को मजबूत बनाना और उत्पादन को बढ़ाना आदि । किन्तु निर्यात को प्रोत्साहन देने के उपाय भी नितान्त आवश्यक हैं ।

निर्यात करने वालों को धन की वापसी में बड़ी कठिनाई होती है । आप जानते हैं कि कुछ कर राज्य सरकारों के हैं और कुछ केन्द्रीय सरकार के । मैं इस बात पर विचार कर रहा था कि निर्यात करने वालों को एक ही स्थान से धन वापस किया जाये और बाद में केन्द्र तथा राज्य सरकारें आपस में हिसाब-किताब का समायोजन कर लें । यदि किसी निर्यात करने वाले को राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार तथा स्थानीय निकायों से वापसी लेनी हो और उसे एक ही स्थान से सारी अदायगी कर दी जाये, तो इस से उसे बड़ी सुविधा हो जायेगी और बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा । हम ऐसा करने के लिये विचार कर रहे हैं, पर हमें आर्थिक कार्य विभाग से परामर्श करना होगा ।

इसी के साथ आयात के सम्बन्ध में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं । यदि हमें निर्यात बढ़ाना है तो आयात भी कुछ हद तक खुल कर करना होगा । हमें अनेक उद्योगों की पुरानी मशीनों के स्थान पर नई मशीनें लगानी पड़ती हैं, अतः उन का आयात करना ही होगा । अतः आगामी कुछ वर्षों में हमें अधिकाधिक आयात करना ही होगा । साथ ही कच्चे माल की समस्या भी बड़ी महत्वपूर्ण है । हमारा उत्पादन बहुत बढ़ गया होता, यदि हम निर्माताओं को काफी कच्चा माल दे सके होते । अतः इन दोनों बातों का परस्पर घनिष्ट सम्बन्ध है । कुछ परिवहन संस्थाओं के कुछ कार्यकर्ताओं ने हमें बताया कि उन्हें अलग पुर्जे नहीं मिलते । इन के मिलने पर रोक लगाना झूठी किफायतशारी है । अतः आयात पर रोक लगाते समय हमें इस बात पर भी ध्यान रखना आवश्यक है ।

पूंजीगत सामान तथा मशीनों आदि के लिये हमें विदेशी ऋण मिल जाता है, पर कच्चे माल के लिये हमें ऋण नहीं मिलता । जब राष्ट्र संघ के तीनों विशेषज्ञ यहां थे, तो मैं ने उन से कहा था कि वह

कोई उपाय बतायें, जिस से हम अपने उद्योगों के विकास के लिये कच्चा माल विदेशों से आयात कर सकें। अतः मैं समझता हूं कि जहां हमें पूंजीगत सामान के लिये मदद लेनी चाहिये वहां कच्चे माल के लिये भी ऋण व सहायता लेने के लिये प्रयत्न करना चाहिये।

इस सम्बन्ध में मैं श्री घोष को बताना चाहता हूं कि आयात पर होने वाली इन रुकावटों के बावजूद भी हमारा औद्योगिक उत्पादन बढ़ा है। गत वर्ष की तुलना में लगभग १० प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह सब इसलिये संभव हो सका कि आयात की वस्तुओं की प्राथमिकता निर्धारित करने में हम ने बड़ी सावधानी से काम लिया है। हम ने मशीनों, पुर्जों तथा कच्चे माल के आयात को प्राथमिकता दी है। इस प्रकार हमारा मार्ग लाभप्रद है और हमारा उत्पादन बढ़ा है।

आयात कर्त्ताओं की कठिनाइयां दूर करने के लिये भी हम कुछ महत्वपूर्ण उपाय करने जा रहे हैं। एक उपाय हम ने यह किया है कि आवेदन-पत्र प्राप्त होने के २–६ दिनों में ही लाइसेंस दे दिये जाते हैं। इस से उद्योग को बड़ा लाभ हुआ है। शीघ्र ही हम कुछ स्थायी आयात कर्ताओं तथा कुछ उपभोक्ताओं को अनेक चीजों के लाइसेंस देंगे। इस नये उपाय से अनुसूचित क्षेत्र के तथा छोटे पैमाने के उद्योगों को बड़ा लाभ होगा। इस से आयात कर्त्ताओं को लाइसेंस लेने में सुविधा होगी और साथ ही वे विदेश के संभरणकर्त्ताओं से सम्बन्ध बनाये रख सकेंगे और अपने उत्पादन कार्यक्रम के लिये कच्चा माल आसानी से प्राप्त करते रह सकेंगे। इस से एक लाभ और भी होगा कि वे मूल्य स्थिति का लाभ उठा सकेंगे और उतनी ही विदेशी मुद्रा में अधिक से अधिक मूल्य का सामान प्राप्त कर सकेंगे।

वस्त्र उद्योग एक महत्वपूर्ण उपभोक्ता उद्योग है तथा काफी विदेशी मुद्रा कमाता है। कपास का मूल्य बढ़ गया है और वस्त्र उद्योग मजूरी बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार अब वेतन व महंगाई भत्ता भी बढ़ जायेगा। सब से बड़ी कठिनाई कपास की कमी की है।

फसल खराब होने के कारण हमारा कपास उत्पादन ५१ लाख गांठों से कम हो कर ४२ लाख गांठें रह गया है। अभी हाल में हमें यह भी बताया गया है कि उत्पादन में और भी कमी होगी और उत्पादन ३८ लाख गांठों से अधिक नहीं होगा। अतः हमारे सामने व उद्योग के सामने एक बहुत बड़ा संकट आ गया है। फिर वस्त्र एक महत्वपूर्ण चीज है। अतः हमने बाहर से कपास आयात करने का निश्चय किया है। लगभग १२–१४ लाख गांठों की कमी है, पर हमने अभी तक ८.८ लाख गांठों के आयात के लिये अनुमति दी है। पी० एल० ४८० के अधीन भी हम लगभग ४ लाख गांठें प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे कपास की स्थिति काफी सुधर जायेगी। वस्त्र मिलों द्वारा उत्पादन किया जाना आवश्यक है और यदि कपास का संभरण होता रहा, तो कपड़े का मूल्य भी बढ़ेगा नहीं।

प्रश्न काल में कपड़े की कुछ बन्द मिलों का भी जिक्र किया गया था। ३९ मिलें बन्द हैं। वस्त्र उद्योग के आयुक्त ने उनके बारे में छानबीन की है। आशा है कि अगले महीने के अन्त तक उनके बारे में प्रतिवेदन आ जायेगा। आयुक्त का विचार है कि इन ३९ में से १९ मिलें ऐसी हैं, जिन्हें मशीन पुराने होने के कारण या कुप्रबन्ध या खराब वित्तीय स्थिति के कारण बन्द ही करना पड़ेगा। अतः शेष १९ के मामलों पर विचार किया जायेगा। उन मामलों में वस्त्र उद्योग कार्यकारी दल छान-बीन कर रहा है। माननीय सदस्य कह सकते हैं कि १९ या २० मिलों के बन्द होने से उनमें काम करने वाले कर्मचारियों की समस्या भी पैदा होगी। इस संबंध में मेरा निवेदन है कि इन पुरानी मिलों को बन्द कर देना ही अच्छा है। वे आज के प्रतियोगितात्मक जगत में टिक नहीं सकतीं। उनके स्थान पर नई मिलें, नये साधनों से सम्पन्न मिलें, खोली जानी चाहियें, इनके लिये मैं लाइसेंस देने को

[श्री लाल बहादुर शास्त्री]

तैयार हूं। इससे उन बेकार हुये कर्मचारियों को वहीं काम मिल जायेगा। इसके लिये हम तैयार हैं।

इसके अलावा शेष १९ मिलें फिर से चालू की जायेंगी। इनके संबंध में हम ये कदम उठायेंगे—(१) अधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति; (२) राज्य सरकार सरकारी आदाता द्वारा मिलों को पट्टे पर लेगी, (३) कुप्रबन्ध की स्थिति में प्रबन्धक से कहा जायेगा कि वह अपना काम ठीक करें; (४) वित्तीय कठिनाई के कारण बन्द हुई मिलों को अधिक वित्त उपलब्ध कराने की स्थिति पैदा करना; (५) आवश्यक मशीनों के बदलाव के लिये सुविधायें देना; (६) विद्यमान मशीन की त्रुटियों को दूर करना।

माननीय सदस्य देखेंगे कि सरकार इस मामले पर विचार कर रही है और हम इन मिलों को पुनः चालू करने तथा नई मिलों को खोलने के लिये लाइसेंस देकर विभिन्न उपाय करने जा रहे हैं।

कपड़े की मिलों को आधुनिक बनाने का सवाल भी बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि हम कपड़े का निर्यात जारी रखना चाहते हैं, तो हमारे सामने एक ही रास्ता है कि हम इन मिलों को आधुनिक बनायें। राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के पास इतना धन नहीं है क्योंकि मशीनों के आधुनिकीकरण में ७०, ८० या १०० करोड़ रु० तक लग सकता है। अतः आधुनिकीकरण का काम धीरे धीरे ही किया जायेगा। वस्त्र उद्योग को भी प्रयत्नशील रहना चाहिये। उन्हें बैंकों से ऋण द्वारा या अन्य साधनों से धन इकट्ठा करके अपनी मिलों को आधुनिक बनाने का प्रयत्न करना चाहिये। राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम या सरकार उनके ऋण की प्रतिभूति ले सकती है या उन्हें ऋण दिलाने में मदद कर सकती है।

श्री विमल घोष व श्री अ० चं० गुह ने जूट उद्योग का जिक्र किया था। इस समय इस उद्योग की स्थिति काफी मजबूत है और इसकी मिलों का काफी आधुनिकीकरण भी हो गया है। यह इस उद्योग के लिये श्रेय की बात है। इस उद्योग के लिए जूट कटिंग की भी बड़ी जरूरत है। इसके बिना अच्छा जूट तैयार नहीं हो सकता। अतः जूट कटिंग का आयात हम पाकिस्तान से करने जा रहे हैं। अतः हमें भय करने की आवश्यकता नहीं है कि हमारा जूट का निर्यात कम हो जायेगा। सरकार इस संबंध में सावधान है।

आप को मालूम होना चाहिये कि इस उद्योग में १० प्रतिशत करघे अभी भी बन्द पड़े हैं। पहले १४ प्रतिशत करघे बन्द थे। अतः ठीक दिशा में प्रगति हो रही है।

चाय के संबंध में मुझे यह बताना है कि गत वर्ष चाय के निर्यात में बहुत कमी हो गयी थी। चालू वर्ष में हम संभवतः इस कमी को पूरा कर लेंगे। यदि यह कमी पूरी न हो सकी, तो भी इस वर्ष निर्यात काफी बढ़ जायेगा। उत्पादन बढ़ाने के लिये हमने अनेक उपाय किये हैं। कचार तथा त्रिपुरा क्षेत्र में जहां चाय के अच्छे बागान नहीं हैं, हमने उर्वरक तथा परिवहन आदि के संबंध में उनकी सहायता की है। उनको किराया-क्रय आधार पर मशीन देने की दो योजनायें मैंने अभी शुरू की हैं। जो बाग अच्छे नहीं हैं, वहां यह योजना नहीं लागू की जा सकी, क्योंकि वे आवश्यक प्रतिभूति नहीं दे सकते। चाय बोर्ड ने इसके लिये धन की व्यवस्था की है और योजना चल रही है। कचार व त्रिपुरा में प्रत्येक बाग वाले को ७५,००० रु० दिये जायेंगे अन्य स्थानों के बागानों को अधिक-से-अधिक २ लाख रु० तक दिया जायेगा ताकि वे किराया-क्रय आधार पर मशीनें लेकर पुरानी मशीनों को बदल सकें। पुरानी मशीनों के बदल जाने के बाद बागानों की हालत अच्छी हो जायेगी।

माननीय वित्त मंत्री अपने भाषण में बता चुके हैं कि चाय उद्योग को आसाम व बंगाल के स्थानीय-कर से बचाने के लिये, चाय पर उत्पादन शुल्क बढ़ा दिया गया है, ताकि राज्य सरकारें स्थानीय कर उठा दें और उन्हें कुछ क्षतिपूर्ति दे दी जाये। आसाम व बंगाल के बागानों के लिये यह एक बड़ी समस्या थी। आशा है कि माननीय वित्त मंत्री के इस उपाय से बागानों को काफी सहायता मिल जायेगी।

भारतीय चाय के प्रचार के संबंध में अभी हाल में हमने ब्रिटेन में प्रचार करने का निश्चय किया है। पर हमें सामान्य प्रचार, चाय परिषदों के प्रचार, को उपेक्षित नहीं करना चाहिये। सामान्य प्रचार भी आवश्यक है क्योंकि उससे चाय की खपत बढ़ती है। अतः हम सामान्य प्रचार भी करेंगे। हमने भारतीय चाय का बाजार ब्रिटेन में बनाने के लिये वहां एक पदाधिकारी नियुक्त करने का निश्चय किया है। इसी तरह न्यूयार्क में भारतीय वाणिज्य दूतावास में भी एक चाय मत्रंणा-दाता नियुक्त कर दिया गया है। वह अमरीका व कनाडा में भारतीय चाय को लोकप्रिय बनाने के लिये प्रचार करेगा। पश्चिमी जर्मनी तथा अन्य यूरोपीय देशों में स्थानीय चाय व्यापार के साथ संबंध बनाये रखने के लिये एक पदाधिकारी नियुक्त करने का प्रश्न विचाराधीन है।

काफी के संबंध में हमारा निर्यात सीमित है। हम अधिक निर्यात करना चाहते हैं। आशा है कि दूसरी योजना के अन्त तक हमारी काफी का उत्पादन दोगुना हो जायेगा। इससे देश के भीतर की जरूरत व निर्यात की जरूरत भी पूरी हो जायेगी। कम उत्पादन वाले क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ा कर तथा नये क्षेत्रों में काफी की खेती करके हम उत्पादन बढ़ायेंगे। आंध्र, उड़ीसा और आसाम में ऐसे क्षेत्र हैं।

रबर का उत्पादन भी हमें बढ़ाना है। हम लगभग १४,००० टन रबर का आयात करते हैं। हम लगभग ७०,००० एकड़ निचली भूमि में रबर की खेती करने का विचार कर रहे हैं। हम उत्पादकों को प्रति एकड़ २५० से ४०० रु० तक की सहायता भी दे रहे हैं। हम इस सहायता को बढ़ाने के प्रश्न पर भी विचार कर रहे हैं। अन्डमान व निकोबर द्वीप समूह में रबर की खेती के लिये काफी गुंजाइश है। निकोबर रबर की खेती के लिये बहुत उपयुक्त है। हम इन द्वीप समूहों का सर्वेक्षण करा रहे हैं। सर्वेक्षण प्रतिवेदन आने पर हम विचार करेंगे कि आगे क्या कार्यवाही की जाये।

श्री विनायक राव ने कल वायदा बाजार व वायदे के सौदों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वायदा व्यापार बन्द कर दिया जाये। इससे लाभ भी है और हानि भी। गत वर्षों में हमने देखा है कि वायदा बाजार संस्थाओं के लोग कुछ अवैधानिक कार्य करते हैं। वर्तमान अधिनियम में जो उपबन्ध हैं, वे इन कार्यों को रोकने के लिये अपर्याप्त हैं। अतः हम अनेक विनियमों द्वारा इन कार्यों को रोकने का प्रबन्ध करने जा रहे हैं। बाजार बन्द होने के बाद होने वाले सौदों की दरों के प्रकाशन को हम अवैध बनाने जा रहे हैं तथा इस प्रकार का कार्य करने वाली संस्थाओं के पंजीयन का प्रबन्ध करने जा रहे हैं। विद्यमान वायदा बाजार (विनियमन) अधिनियम को संशोधित करने के लिये हम एक विधान सभा में प्रस्तुत करेंगे।

विद्यमान पेटेंट एंड डिजाइन ऐक्ट १९११ में पारित हुआ था। उसके बाद देश की राजनैतिक व सामाजिक स्थिति में बड़ा अन्तर आ गया है। १९५७ में सरकार ने श्री राजगोपाल आयंगर से इस विधान में संशोधन करने के लिये राय मांगी थी। उन्होंने इस संबंध में एक विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन में उन्होंने कहा कि देश की बदली हुई राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति को देखते हुये विद्यमान एकस्व कानून में संशोधन करने की बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा कि एकस्व एकाधिकार का दुरुपयोग रोकने के लिये तथा एकस्व प्रणाली की सुव्यवस्था के लिये कानून बनाने की बड़ी आवश्यकता है। उनकी सिफारिशें विचाराधीन हैं और आशा है कि इस वर्ष

[श्री लाल बहादुर शास्त्री]

हम एक व्यापक संशोधन विधेयक सभा में प्रस्तुत करेंगे। श्री आयंगर ने इस संबंध में जो काम किया है, उसके लिये मैं उन्हें बधाई का पात्र समझता हूं।

मैं सभा को यह भी बताना चाहता हूं कि १ अप्रैल अर्थात् कल से देश में नाप तोल की मीट्रिक प्रणाली लागू होने जा रही है। इस संबंध में हमने राज्य सरकारों से भी परामर्श कर लिया है। सिक्कों का दशमलवीकरण हो चुका है और नाप-तोल की मीट्रिक प्रणाली का काम सम्पन्न करना है।

उद्योगों के संबंध में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। भारी उद्योगों के संबंध में श्री मनुभाई शाह बहुत कुछ बता चुके हैं। उन्होंने सरकार के पास उपलब्ध सभी जानकारी सभा को दी और यह भी बताया कि तीसरी योजना में इस संबंध में सरकार क्या करने जा रही है।

मैं उद्योगों के विकेन्द्रीकरण तथा रोजगार के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। हमने विचार किया कि हम जनता को अधिक रोजगार कैसे दे सकते हैं। मेरा कहना है कि जब तक भारी उद्योगों के साथ हम सहायक उद्योगों का विकास नहीं करेंगे, तब तक न उद्योगों का विकेन्द्रीकरण होगा और न ही अधिक रोजगार की व्यवस्था होगी। अभी तक हम इस संबंध में कोई कदम नहीं उठा पाये हैं। लाइसेंस देते समय इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि सहायक उद्योग कौन से हैं और उन्हें बड़ी परियोजनाओं से बाहर स्थापित किया जाये। उदाहरण के लिये मोटर गाड़ी उद्योग को लीजिये। हम जानते हैं कि अनेक पुर्जे वगैरह उन कारखानों के बाहर बनाये जा सकते हैं, जहां पुर्जों को जोड़ कर पूरी गाड़ियां बनाई जाती हैं। कुछ पुर्जे वगैरह इस समय बाहर अवश्य बनाये जाते हैं। मेरा मतलब यह है कि किसी बड़े उद्योग के लिये लाइसेंस देने से पहले हम उसके सहायक उद्योगों की स्थापना के बारे में भी तै कर लेंगे।

अमरीका में जनरल मोटर्स नामक कारखाने के साथ लगभग २०,००० सहायक कारखाने हैं। इसी तरह अन्य उद्योगों के साथ भी ४०,००० या ५५,००० तक कारखाने हैं, जो उनकी सहायक आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं। अतः हमें भी ऐसे ही सहायक उद्योग स्थापित करने हैं और उस के लिए कार्यवाही करनी है। मुझे आशा है कि हम इस काम पर अच्छी तरह ध्यान देंगे और योजनायें बनाने में सफल होंगे।

मैं सोच रहा हूं कि छोटे पैमाने के उद्योगों के संगठन में काफी परिवर्तन करना आवश्यक है। मैं समझता हूं कि इस संगठन का काम तीन अलग भागों में बांट दिया जाये। एक भाग केवल सहायक उद्योगों की देखभाल के लिए हो। यह संगठन ही यह तय करेगा कि इन सहायक उद्योगों में कौन-कौन से उद्योग रखे जायें और उन के लिए धन तथा कच्चे माल की व्यवस्था कैसे की जाये। यदि विदेशी सहायता की आवश्यकता हो, तो सरकार को चाहिए कि वह उनको विदेशी मुद्रा प्राप्त कराने में मदद करें। सरकारी सहयोग का फल यह होगा कि उन संस्थाओं को विदेशी ऋण व सहायता आसानी से मिल जायेगी। मेरे सामने ऐसे एक दो मामले हैं, जिन में इसी आधार पर बात चीत हो रही है। अतः एक भाग केवल सहायक उद्योगों का काम करेगा।

दूसरा भाग मध्यम पैमाने के उद्योगों की स्थापना के संबंध में अपनी राय दे। वैसे मध्यम पैमाने का उद्योग भी सहायक उद्योग हो सकता है। पर मैं कुछ विशेष उद्योगों का जिक्र करूंगा जिन्हें मध्यम पैमाने का उद्योग माना जाना चाहिए। उदाहरण के लिए कागज का मामला लीजिए। हमारे देश में कागज की बहुत कमी है। हम कागज का आयात कर रहे हैं। १९६३ तक १,४३,००० टन कागज की कमी हमारे देश में हो जायेगी। मैं समझता हूं कि यदि ५—६

बड़े कारखाने खोल दिये जायें, तो कागज की यह कमी पूरी हो सकती है। श्री मनुभाई शाह ने कहा कि यदि लाभप्रद ढंग से चल सके, तो छोटे कारखाने खोलना उचित होगा। इस संबंध में एक विशेषज्ञ ने छानबीन की है और उसका प्रतिवेदन मुझे प्राप्त हो चुका है। उसने प्रतिवेदन में बताया है कि ३,६०० टन क्षमता का कारखाना स्थापित करने के लिए २६ लाख रु० की आवश्यकता होगी। वह कारखाना १८ प्रतिशत लाभ देगा। उस प्रतिवेदन में अन्य बातें भी पूर्ण ब्योरे के साथ दी हुई हैं। १८ परसेंट का लाभ भी कुछ कम नहीं है। इस प्रकार लगभग ५० कारखाने हमें खोलने होंगे। हर राज्य में हम ३–४ कारखाने खोल सकेंगे और उन के लिए कच्चा माल भी वहां आसानी से मिल सकेगा। यदि बड़े कारखाने स्थापित किये गये, तो शायद हम उनके लिए पर्याप्त कच्चा माल (बांस) उपलब्ध नहीं कर सकेंगे। छोटे कारखानों में रद्दी कागज, चिथड़ों तथा खोई आदि का भी प्रयोग हो सकता है।

उन्होंने कहा कि कागज की लुग्दी बनाने वाले छोटे कारखाने भी स्थापित किये जा सकते हैं। अभी तक विचार था कि कागज की लुग्दी का एक बड़ा कारखाना खोला जाये। पर अब उनका विचार है कि कागज की लुग्दी बनाने के कारखाने भी मध्यम पैमाने के उद्योगों में खोले जायें। छोटे-छोटे कारखानों को मशीनें देना भी आसान व सस्ता होगा। हम ऐसी मशीनें यहां बना भी सकते हैं।

मशीनी औजारों के निर्माण के लिए भी हम छोटे कारखाने खोल सकते हैं। युद्ध काल में मशीनी औजार बनाने वाले छोटे-छोटे कई कारखाने खुल गये थे पर बाद में वे नष्ट हो गये क्योंकि उस समय की सरकार ने उस में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। पर हमारे देश में बहुत से कारीगर हैं जो इस काम को पुनः आरम्भ कर सकते हैं। इस संबंध में भी छानबीन की जा चुकी है पर अभी उसका परीक्षण नहीं किया गया है।

३० लाख रु० की लागत से खोले गये कारखाने में ३० लाख रु० की लागत के मशीनी औजार बन सकते हैं। ५० लाख की लागत पर ५० लाख के मशीनी औजार बन सकते हैं। हमें बड़ी मात्रा में लगभग ३० करोड़ रु० के मशीनी औजारों की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है कि ५० करोड़ रु० के मशीनी औजारों की भी जरूरत पड़ जाये। इस समय हम १५ करोड़ रु० की लागत के मशीनी औजारों का आयात कर रहे हैं। मशीनी औजारों के लिए हम बड़े कारखाने भी खोल सकते हैं। हिन्दुस्तान मशीन टूल्स कारखाने की क्षमता को हम दूना करने जा रहे हैं। एक नया कारखाना भी खोलने जा रहे हैं। साथ ही यदि हम इस काम को मध्यम श्रेणी के उद्योगों में सम्मिलित कर लें, तो उद्योगों का विकेन्द्रीकरण भी हो जायेगा और अधिकाधिक लोगों को रोजगार भी मिल जायेगा। मेरा सुझाव है कि छोटे पैमाने के उद्योगों का मार्ग दर्शन कराने के लिए एक अलग भाग होना चाहिए। मैंने कुछ राज्यों को सुझाव दिया है कि यदि अन्य लोग तैयार न हों, तो उन्हें ही कुछ कारखाने खोलने चाहिए। इन में कुछ अधिक धन व्यय नहीं होगा। मेरा सुझाव है कि केन्द्रीय सरकार ऐसे कुछ उद्योग स्थापित कर के दूसरों के सामने नमूना रखे, ताकि दूसरे राज्य उसका अनुकरण करें।

तीसरा भाग छोटे उद्योगों तथा औद्योगिक बस्तियों, जो ५ लाख से अधिक लागत की न हों की देख भाल करे। इस संबंध में श्री मनुभाई शाह बहुत कुछ कह चुके हैं, अतः मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि ये औद्योगिक बस्तियां शहरों में न स्थापित की जायें। इन्हें शहरों में भी स्थापित किया जाये, क्योंकि शहरों में भी बहुत ज्यादा बेरोजगारी है। हमने सिंचाई और विद्युत् विभाग से पूछ ताछ कर के पता लगाया है कि १०,००० से २०,००० तक की आबादी के ६०० से ६८० गांव हैं। इन में से ३०० से अधिक गांव ऐसे हैं, जहां बिजली

[श्री लाल बहादुर शास्त्री]

पहुंच चुकी है । मैं समझता हूं कि यहां बिजली केवल प्रकाश के लिए ही न इस्तेमाल की जाये, बल्कि वहां छोटे उद्योग स्थापित करने या औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने के लिए बिजली का इस्तेमाल किया जाये । इन बड़े बड़े कस्बों में औद्योगिक बस्तियां खोली जा सकती हैं । इन से उत्पादन भी बढ़ेगा और अधिकाधिक लोगों को रोजगार भी मिलेगा ।

इस समय हमारे देश में लगभग ६,००० गांवों में बिजली पहुंच गई है और आगामी ४–५ वर्षों में ४६,००० या ५०,००० गांवों में बिजली पहुंच जायेगी । ऐसे गांवों में छोटे-छोटे शेड बना कर उन में उत्पादन–प्रशिक्षण केन्द्र खोले जायें । इस प्रकार हम वहां के स्थानीय बौद्धिक वर्ग का लाभ उठा सकते हैं । हम गांव की जरूरत का सामान वहां बना सकते हैं । छोटे-छोटे खेती के औजार, लालटेन आदि चीजें हम बना सकते हैं । इन में खर्च भी अधिक नहीं लगेगा । ऐसे शेड गांवों में ही बनाये जायें ताकि गांवों की जनता को उस से लाभ मिले ।

अन्त में मेरा कहना है कि हमने सहायक उद्योगों, मध्यम श्रेणी के उद्योगों, छोटे पैमाने के उद्योगों या शेड में चलाये जाने वाले उद्योगों के संबंध में जो सुझाव दिये हैं, उनका मतलब यही है कि भौतिक तथा बौद्धिक दोनों दृष्टियों से देश का औद्योगीकरण किया जाये । आवश्यकता इस बात की है कि देश का प्रत्येक नागरिक यह महसूस करे कि यदि वह काम करने के लिये तैयार है, तो उस के लिए काम भी तैयार है । मैं जानता हूं कि इस में समय लगेगा पर हमें इस दिशा में आगे बढ़ना है ताकि हम देश का औद्योगीकरण कर सकें, क्योंकि कृषि तथा उद्योगों को साथ-साथ ही प्रगति करना है । इसका एक और भी उद्देश्य है—सम्पत्ति का विकेन्द्रीकरण । हमारा वास्तविक उद्देश्य है —नई सामाजिक स्थिति पैदा करना । और सम्पत्ति के विकेन्द्रीकरण द्वारा ही नई सामाजिक स्थिति पैदा हो सकती है ।

जिन बातों का मैंने उल्लेख किया है, उन्हीं के आधार पर उद्योगों के विकास की प्रगति करने से ही सम्पत्ति का विकेन्द्रीकरण होगा ।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या किसी विशेष कटौती प्रस्ताव को मतदान के लिए अलग से रखना है ? नहीं; तो मैं सभी कटौती प्रस्तावों को एक साथ मतदान के लिए रखता हूं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गयीं तथा स्वीकृत हुई :—

मांग संख्या	शीर्षक	मांग की राशि
		रुपये
१	वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय	७०,३३,०००
२	उद्योग	२३,६४,८३,०००
३	नमक	४८,०४,०००
४	वाणिज्यिक सूचना और आंकड़े . . .	७७,०३,०००
५	वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अधीन विविध विभाग और व्यय	२,२५,७७,०००
१०६	वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय . . .	२३,४७,६२,०००

†मूल अंग्रेजी में

नियम का निलम्बन

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा श्री गो० ब० पन्त द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्ताव पर विचार करेगी ।

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ७४ के प्रथम परन्तुक को, बम्बई पुनर्गठन विधेयक, १९६० को दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर लागू होने से निलम्बित कर दिया जाये ।"

प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के अधीन वित्तीय कार्य सम्बन्धी नियमों के अनुसरण में यह आवश्यक होता है कि संयुक्त समिति में केवल इसी सभा के सदस्य हों — जब तक कि इस नियम को निलम्बित न किया जाये । यह एक महत्वपूर्ण विधान है और हम इसे जल्दी-से-जल्दी पारित करना चाहते हैं । अतः दोनों सभाओं का समय बचाने के उद्देश्य से तथा दोनों सभाओं के प्रतिनिधियों की राय का लाभ उठाने के लिये मेरा निवेदन है कि इस परन्तुक को निलम्बित कर दिया जाये ।

यद्यपि इस विधेयक का सूक्ष्म रूप से कोई वित्तीय सम्बन्ध नहीं है, पर चूंकि इसमें आस्तियों तथा दायित्वों के वितरण का भी प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है, अतः यह एक विशेष प्रकार का विधान है । मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं कि राज्य पुनर्गठन विधेयक पर चर्चा करते समय सारी बातों पर यहां चर्चा हो चुकी है । मैंने उस समय ऐसा ही एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। सारी बातों पर चर्चा होने के बाद आपने कहा था कि इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाय मद्रास—आंध्र विधेयक के सम्बन्ध में भी ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था ।

†**श्री बा० चं० कामले** (कोपरगांव) : एक औचित्य प्रश्न है । माननीय मंत्री के प्रस्ताव को स्वीकृत करने का अर्थ होगा संविधान के अनुच्छेद १०९ का निलम्बन। अनुच्छेद १०९ में कहा गया है कि यह सभा विधेयक पर विचार करने के बाद उसे राज्य सभा को भेज देगी । राज्य सभा उसे अपनी सिफारिशों के साथ इस सभा को लौटा देगी । यह सभा राज्य सभा की सिफारिशों को चाहे स्वीकार करे या न करे। अतः मेरा कहना है कि संविधान में इस सम्बन्ध में प्रक्रिया का उल्लेख है । अतः मेरा कहना है कि उस प्रक्रिया का उल्लंघन न किया जाये। मेरा विश्वास है कि इसमें कुछ अधिक विलम्ब नहीं होगा । अतः इस प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिये । सभा अनुच्छेद १०९ का निलम्बन नहीं कर सकती ।

†**श्री गो० ब० पन्त** : अनुच्छेद १०९ धन विधेयक के सम्बन्ध में हैं। अतः वह इस मामले में लागू नहीं होता । यह राज्य के पुनर्गठन सम्बन्धी विधेयक है। ऐसे विधेयक समय-समय पर सभा में प्रस्तुत होते रहे हैं। मैं बता चुका हूं कि राज्य पुनर्गठन विधेयक सम्बन्धी वाद-विवाद के दौरान इन सभी बातों पर चर्चा हो चुकी है । आप देखेंगे कि अनुच्छेद ११० में कहा गया है :—

"......कोई विधेयक धन विधेयक समझा जायेगा यदि उसमें निम्नलिखित विषयों में से सब अथवा किसी एक से सम्बन्ध रखने वाले उपबन्ध अन्तर्विष्ट हैं, अर्थात् ....."

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री गो० ब० पन्त]

ये विषय (क) से (छ) तक दिये हुए हैं।

आगे यह भी कहा गया है :—

"कोई विधेयक केवल इस कारण धन विधेयक न समझा जायेगा कि वह जुर्मानों या अन्य अर्थ-दण्डों के आरोपण का, अथवा अनुज्ञप्तियों के लिये फीसों आदि का उपबन्ध करता है।"

(क) से (छ) तक में वर्णित विषयों सम्बन्धी विधेयक को ही धन विधेयक कहा जा सकता है। अतः यह धन विधेयक नहीं है और ऐसी आपत्ति उठाने की कोई गुंजाइश नहीं है। संभवतः अप्रैल, १६५६ था, जब सम्पूर्ण मामले पर सभा में विचार हो चुका है, और आप ने उस पर अपना विनिर्णय भी दिया था। यदि माननीय सदस्य ने उस समय का वाद-विवाद पढ़ा होता, तो वह ऐसी आपत्ति न उठाते।

†**श्री बा० चं० कामले** : इस परन्तुक में कहा गया है कि

"परन्तुक खण्ड (३) में निर्दिष्ट कोई ऐसा प्रस्ताव किसी ऐसे विधेयक के सम्बन्ध में नहीं किया जायेगा जिसमें संविधान के अनुच्छेद ११० के खण्ड (१) के उपखण्ड (क) से (च) में उल्लिखित विषयों में से किसी एक के लिये उपबन्ध हो।"

इसका मतलब यह है कि यह परन्तुक अनुच्छेद ११० से सम्बद्ध है जिसमें धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। चूंकि सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकृत कराना चाहती है, अतः यह धन-विधेयक को स्वीकृत करने के समान ही हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वित्तीय विधेयकों के सम्बन्ध में उस सभा को भी अधिकार है। खण्ड ६४ के अधीन दी गयी परिभाषा के अनुसरण में यह एक वित्तीय विधेयक है, धन विधेयक नहीं है। अतः राज्य सभा को भी इसमें संशोधन या परिवर्तन करने का अधिकार है। माननीय सदस्य शायद समझते थे कि उस सभा को इस में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। अतः इस समय इस प्रस्ताव द्वारा हम चाहते हैं कि दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति इस पर विचार कर ले —बजाय इसके कि बाद में राज्य सभा अपनी अलग समिति बनाये व इस पर विचार करे। अतः मैं औचित्य प्रश्न से सहमत नहीं हूं।

माननीय सदस्य की यह आपत्ति गलत है कि इस नियम को निलम्बित करने से संविधान के अनुच्छेद का उल्लंघन होगा।

प्रश्न यह है

"कि लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ७४ के प्रथम परन्तुक को, बम्बई पुनर्गठन विधेयक, १६६० के दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर लागू होने से निलम्बित कर दिया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

---

†मूल अंग्रेजी में

बम्बई पुनर्गठन विधेयक

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि बम्बई राज्य के पुनर्गठन तथा तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की ४५ सदस्यों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाय, जिसमें ३० सदस्य, अर्थात्, श्री श्रीपाद् अमृत डांगे, श्री ब० ना० दातार, श्री भाऊ राव कृष्णराव गायकवाड़, श्री माणिक लाल मगनलाल गांधी, श्री नारायण गणेश गोरे, श्री अरुण चन्द्र गुह, श्री हजरनवीस, श्री हेडा, श्री अजित प्रसाद जैन, श्री गुलाबराव केशवराव जैधे, डा० गोपालराव खेडकर, श्री भवनजी खीमजी, श्री बलवन्तराय गोपालजी मेहता, श्री नरेन्द्र भाई नथवानी, श्री घनश्याम लाल ओझा, श्री शामराव विष्णु परुलकर, कुमारी मणिबेन वल्लभ-भाई पटेल, श्री ना० नि० पटेल, श्री पुरूषोत्तम दास र० पटेल, श्री उत्तमराव ल० पाटिल, श्री शिवराम रंगो राने, श्री अजित सिंह सरहदी, श्री शंकरैया, श्री विद्याचरण शुक्ल, श्री दिग्विजय नारायण सिंह, श्री सुगन्धि, श्री न० रा० स्वामी, स्वामी रामानन्द तीर्थ, श्री बालकृष्ण वासनिक और श्री इन्दुलाल कन्हैयालाल याज्ञिक इस सभा के हों और १५ सदस्य राज्य सभा के हों ;

"कि संयुक्त समिति की बैठक के गठित करने के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति के कुल सदस्यों की संख्या की एक-तिहाई होगी ;

कि समिति इस सभा को १४ अप्रैल, १९६० तक प्रतिवेदन देगी ;

कि अन्य मामलों में संसदीय समितियों से सम्बन्धित इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूप-भेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष द्वारा किये जायें ; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य सभा अपने द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को बताये ।"

यह प्रस्ताव अत्यन्त साधारण है । बम्बई की समस्या का अभी तक कोई ऐसा हल नहीं निकाला जा सका है जिससे सभी सम्बन्धित लोग संतुष्ट हो सकें । मैं सम्बन्धित पक्षों की सहर्ष स्वीकृति को बहुत महत्व देता हूं क्योंकि एकता में ही दृढ़ता का निवास रहता है । हम कितना भी अच्छा हल निकालें परन्तु जनता की सहर्ष स्वीकृति के बिना वह सफल नहीं हो सकेगा । जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, उसे बम्बई विधान मण्डल का अनुमोदन प्राप्त है । उस पर पांच दिन बम्बई की विधान-सभा में चर्चा हुई थी और संभवतः चार दिन विधान-परिषद् में । दोनों सभाओं ने इस आशय का संकल्प पास किया था कि यह सभा बम्बई राज्य पुनर्गठन विधेयक, १९६० के प्रारूप पर विचार करके यह मत प्रकट करती है कि उसे पारित संशोधनों सहित मंजूर किया जाये ।

इस समय मैं उन संशोधनों के सम्बन्ध में अधिक नहीं कहूंगा ? हां, इतना अवश्य कह देना चाहता हूं कि सभा को नये राज्य के लिये बम्बई के बजाय महाराष्ट्र नाम स्वीकार कर लेना चाहिये जैसा कि वहां के विधान-मण्डल ने इच्छा प्रकट की है । मैं संयुक्त समिति से भी यह कहना चाहता हूं कि विधेयक में उच्च न्यायालय की एक स्थायी बेंच नागपुर में स्थापित किये

†मूल अंग्रेजी में

[श्री गो० ब० पन्त]

जाने के लिये उपबन्ध रखा जाये । अन्य संशोधनों के प्रति भी मुझे सहानुभूति है । उन्हे विधेयक में कहां तक स्थान दिया जा सकता है, इसका विचार स्वयं संयुक्त समिति ही करेगी। मैं उन समस्त संशोधनों को उसके विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं ।

मैं इस विधेयक को सहयोग की भावना का प्रतीक मानता हूं । जो यह बताता है कि हम एक दूसरे की भावनाओं और कठिनाइयों को समझते हैं और एक दूसरे से अलग होते समय भी सद्भावना बनाये रखना चाहते हैं ताकि हमारे संबंध पुश्तों तक कायम रह सकें । इस विधेयक को महाराष्ट्र और गुजरात के समस्त लोगों की सद्भावना प्राप्त है अतः उसे उपस्थित करते हुए मुझे गर्व हो रहा है ।

इस विधेयक से हमारे देश के राज्यों की संख्या १४ से १५ हो जायगी । राज्यों के पुनर्गठन के इस सिद्धान्त में कुछ खामियां होने के बावजूद उसे इसलिये स्वीकार किया गया था कि यह आशा की गई थी कि उसके परिणामस्वरूप देश में एकता बढ़ेगी । मुझे आशा है कि आज जो कदम हम उठा रहे हैं उससे राज्यों के पुनर्गठन का यह उच्चतम उद्देश्य अवश्य पूरा होगा ।

भूतकाल में हम बम्बई राज्य की समस्याओं को भली प्रकार नहीं समझ सके थे । इसीलिए उसका सही हल नहीं निकाला जा सका था । राज्य पुनर्गठन आयोग के सुझावों के क्रियान्वयन के प्रारम्भिक दिनों में हमें कई अवस्थाओं से गुजरना पड़ा था । आयोग ने यह सिफारिश की थी कि बम्बई राज्य अपने वर्तमान स्वरूप में कायम रहे, केवल विदर्भ का क्षेत्र अलग इकाई बना दिया जाय । आयोग के इस सुझाव को लोगों ने पसन्द नहीं किया और उसे ठुकरा दिया गया । इसलिए हमने कोई अन्य तरीका निकालने का प्रयत्न किया और तीन इकाई का फार्मूला निकाला जिसके अन्तर्गत बम्बई को एक इकाई रखा जाना था और पांच वर्षों के बाद स्थिति पर पुनर्विचार किया जाना था । परन्तु इस हल का भी हार्दिक स्वागत नहीं हुआ ।

फिर जब १८० संसद्-सदस्यों ने प्रधान मंत्री को पत्र लिखा तो हमने सोचा कि हमें बम्बई का द्विभाषी राज्य बनाना चाहिए ताकि बम्बई राज्य और बम्बई नगर का महत्व कायम रह सके । भाग्यवश इस सुझाव का बहुत स्वागत हुआ और सभा ने उसे तुरन्त स्वीकृति दे दी । हमने उसे इसी आशा के साथ स्वीकार किया था कि उससे राज्य में एकता बढ़ेगी और देश को बल मिलेगा ।

बम्बई का द्विभाषी राज्य अच्छी तरह चलता रहा है । बम्बई के मुख्य मंत्री ने अपने उदार दृष्टिकोण से बम्बई राज्य के शासन के स्तर को कायम ही नहीं रखा वरन् उसे ऊंचा भी उठाया है । इससे बम्बई का सम्मान बढ़ गया है । प्रशासन, उद्योग और संस्कृति सभी क्षेत्रों में बम्बई राज्य ने प्रगति की है । इन सब सफलताओं के लिये हम बम्बई के मुख्य मंत्री और उनके सहयोगियों के आभारी हैं । परन्तु इन समस्त सफलताओं के बावजूद मुख्य मंत्री ने यह अनुभव किया कि उस एकता में कोई वृद्धि नहीं हुई है जिसके लिये बम्बई का पुनर्गठन किया गया था । इसलिए उन्होंने सुझाव रखा कि इस प्रश्न पर पुनः विचार किया जाना चाहिए । हम इसके लिए राजी हो गये । कांग्रेस भी इस समस्या पर विचार करने के लिये तैयार हो गई । अतः उस मामले पर विचार करने के लिए नौ सदस्यों की एक समिति नियुक्त की गई । मैं भी उस समिति से सम्बद्ध रहा हूं । बम्बई राज्य के प्रत्येक क्षेत्र को उस समिति में प्रतिनिधित्व दिया गया था ।

इस समिति ने उन समस्याओं पर विचार किया । पहली समस्या यह थी कि क्या बम्बई राज्य का पुनर्गठन किया जाना वास्तव में आवश्यक है । इसके सम्बन्ध में समिति ने सर्वसम्मति से यह निर्णय किया कि पुनर्गठन वांछनीय है । यह निर्णय कर लेने के बाद समिति ने उससे उत्पन्न होने

वाले अन्य मामलों पर विचार किया। विदर्भ के कुछ लोग एक स्वतंत्र राज्य का निर्माण करना चाहते थे। हमारे कुछ सम्मानित नेता भी उसके पक्ष में थे। और भी बहुत सी समस्यायें थीं जैसे मराठवाड़ा और बम्बई नगर की समस्यायें। इन सब का सामना हमें करना पड़ा।

अतः इन सब बातों पर विचार किया गया। हमने अनेक लोगों से परामर्श किया। अनेक संगठनों के प्रतिनिधियों ने हमें सहयोग दिया। भली प्रकार विचार करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुचे कि विदर्भ को महाराष्ट्र से अलग करना न तो विदर्भ के हित में अच्छा होगा और न देश के हित में। इसलिए हमने विदर्भ को महाराष्ट्र का अंग बनाने का निर्णय किया। मुझे इसका दुःख अवश्य है परन्तु अन्य बातों के विचार से वैसा करना आवश्यक हो गया। लेकिन इसके साथ ही हम विदर्भ की प्रगति के लिए प्रत्येक सहायता देने को तैयार हैं। पहले इसके सम्बन्ध में नागपुर समझौता हुआ था। श्री चाह्वाण तथा अन्य सदस्य उससे भी आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए।

इसी प्रकार बम्बई नगर का प्रश्न है जिसके सम्बन्ध में विचार किया जाना आवश्यक था। उनके सम्बन्ध में भी भली प्रकार विचार किया गया। और जैसा कि माननीय सदस्य जानते होंगे विदर्भ, बम्बई नगर और मराठवाड़ा के सम्बन्ध में नीति सम्बन्धी वक्तव्य बम्बई की विधान सभा और परिषद् के पटल पर रखा गया था। यह वक्तव्य लोक सभा के समस्त सदस्यों को परिचालित किया जा चुका है इसलिए उसके सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश करना आवश्यक नहीं है। फिर भी मैं अपने मंत्रालय से उसकी कुछ प्रतियां पुस्तकालय में रखने के लिए कहूंगा।

इसी प्रकार मैंने उन संशोधनों की प्रति रखने तथा उन्हें परिचालित करने का विचार भी किया था जो उन्होंने किए हैं। परन्तु फिर मैंने सोचा कि वे कार्यवाही के विवरण में दिये हुए हैं और ऐसे संलेख की प्रति पुस्तकालय में रखने से कोई लाभ नहीं होगा जो सभा-पटल पर रखा जा चुका है। इस प्रकार विदर्भ, बम्बई नगर और मराठवाड़ा की कठिनाइयां दूर हो गई हैं।

फिर गुजरात तथा महाराष्ट्र सम्बन्धी अन्य जटिल समस्याओं पर विचार किया गया। मुझे खुशी है कि नौ सदस्यों की समिति ने न केवल मूलभूत सिद्धान्तों को ही स्वीकार किया वरन् अन्य बातों को भी और समिति के प्रतिवेदन का कांग्रेस की कार्य कारिणी समिति ने भी समर्थन किया था।

फिर सरकार ने उस मामले को अपने हाथ में लिया और वह दोनों राज्यों के नेताओं के बीच हुए समझौते के आधार पर आगे बढ़ी। उन्होंने भाईचारे की भावना से ही इस प्रश्न पर विचार किया है। बम्बई विधान मण्डल में यह अनेक बार कहा गया है कि यह भाइयों के बीच आपसी समझौता है। सभी ने एक दूसरे को आवश्यक सहायता देने का प्रयत्न किया है। अभी तक बम्बई राज्य में जो लोग रहे हैं उन सभी के सम्मिलित प्रयत्न से बम्बई ने उन्नति की है। इसलिये अब अलग होते समय उन्होंने उन सम्बन्धों को कायम रखना आवश्यक समझा जो कई पीढ़ियों में बने थे। इस प्रकार जो हल निकाले गये हैं वे भाईचारे और पारस्परिक सहयोग की भावना से ओतप्रोत हैं।

मैं यह नहीं कहता कि जो हल निकाला गया है वह आदर्श हल है क्योंकि मानवीय मामलों में वैसी पूर्णता संभव नहीं है। हमारे देश ने जो प्रगति की है और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में स्थान बनाया है उसका कारण यही है कि सांस्कृतिक विभिन्नताओं के बावजूद हमारी एकता की भावना सुरक्षित रही आई है। सहयोग, सहनशीलता और सद्भावना हमें परम्परा की देन के रूप में मिले

[श्री गो० ब० पन्त]

हैं। हम अपने भाई की खातिर प्रत्येक त्याग कर सकते हैं। यह समस्या इसी भावना से हल हुई है और मैं आशा करता हूं कि यह हल स्थायी और सन्तोषजनक होगा।

जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, यह विधेयक इस समस्या के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित है। मैं समझता हूं कि उनके सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश आवश्यक नहीं हैं। जैसा कि वे जानते हैं इस राज्य की वर्तमान जनसंख्या लगभग साढ़े चार करोड़ है। अब महाराष्ट्र की जनसंख्या गुजरात की जनसंख्या से लगभग दुगुनी होगी। महाराष्ट्र का क्षेत्रफल भी गुजरात से बड़ा होगा। एक का क्षेत्रफल ७३,००० वर्ग मील होगा और दूसरे का १,२०,००० वर्ग मील। यह स्वाभाविक है क्योंकि महाराष्ट्र बहुत प्राचीन समय से ही विभिन्न कार्यवाहियों का केन्द्र रहा है। गुजरात भी अनेक बातों में प्रसिद्ध रहा है। आज हमारे देश में जो प्रगति हो सकी है उसका बहुत कुछ श्रेय इन दोनों राज्यों में उत्पन्न हुए नेताओं को है। जब चारों ओर अन्धकार छाया हुआ था तब उन्होंने हमें प्रकाश दिया। इसलिए हम उनके अत्यन्त कृतज्ञ हैं और यदि हमारे हल से महाराष्ट्र और गुजरात की अधिक उन्नति हो सकी तो यह हमारे लिए बड़े गर्व की बात होगी।

दोनों राज्यों की जनसंख्या तो मैं बता ही चुका हूं। जहां तक क्षेत्रफल का सम्बन्ध है, गुजरात में १७ जिले होंगे जिनमें डांग, अम्बेरगांव के ५० गांव और वर्तमान खानदेश जिले के १२७ गांव भी सम्मिलित होंगे। मैं जानता हूं कि इनके सम्बन्ध में कुछ मतभेद है परन्तु मैं चाहता हूं कि हम उसके सम्बन्ध में भी सहयोग से काम लें जैसा कि अभी तक करते आए हैं। यदि यह सहयोग की भावना कायम रखी जाए तो कोई कठिनाई उपस्थित नहीं होगी।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

बम्बई राज्य में द्विभाजी राज्य का शेष क्षेत्र रहेगा और जैसा कि मैं कह चुका हूं वह आबादी और क्षेत्रफल दोनों में बड़ा होगा। उसमें जिलों की संख्या अधिक है और विदर्भ का राज्य भी सम्मिलित है।

इसके बाद मैं वित्तीय व्यवस्था का उल्लेख करना चाहता हूं। सिद्धान्ततः उसके सम्बन्ध में कोई मतभेद नहीं है। हमारी यह इच्छा रही है कि पुनर्गठन के पश्चात् दोनों राज्य अपनी टांगों पर खड़े हो सकें और एक दूसरे की सहायता करें। समिति ने केवल सिद्धान्त स्वीकार किया था और विस्तृत ब्यौरा श्री चाह्वाण और डा० जीवराज मेहता ने तैयार किया था। उन्होंने यह निर्णय किया कि गुजरात का घाटा ६ वर्षों तक पूरा किया जाएगा और उसके बाद वह कम होता जाएगा ताकि दस वर्षों की समाप्ति पर महाराष्ट्र को गुजरात को कुछ भी भुगतान न करना पड़े।

घाटे की वास्तविक राशि के सम्बन्ध में कुछ समय पहले कुछ मतभेद था। इसके लिए श्री भट्टाचार्य के सभापतित्व में विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की गई थी। समिति ने इस मामले पर विचार किया। मतभेद होने के कारण सभापति ने कोई मत नहीं व्यक्त किया क्योंकि वह उस विवाद में नहीं पड़ना चाहते थे। कुछ सदस्यों के अनुसार घाटा लगभग ९ करोड़ रुपये के होता था जब कि कुछ अन्य सदस्यों के अनुसार वह केवल ४.३५ करोड़ रुपये ही होता था। चूंकि वे कोई निर्णय नहीं कर सके इसलिए मैंने भूतपूर्व वित्त सचिव श्री रंगाचारी से भी उस मामले की जांच करवाई।

जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं मुख्य मतभेद दो मदों के सम्बन्ध में था : परिशोधन प्रभार और सड़क कोष। श्री रंगाचारी ने समस्त मामले की जांच की और कहा कि समस्त परिशोधन प्रभार को राजस्व के घाटे में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है वरन् केवल वही भाग सम्मिलित किया जा सकता है जिसके सम्बन्ध में ऋणों की शर्तों के अन्तर्गत अंशदान आवश्यक हो।

उन्होंने यह भी कहा कि सड़क कोष में से जितनी राशि प्रति वर्ष खर्च की जाय वही राजस्व व्यय समझा जाय और शेष का विचार नहीं किया जाना चाहिए। इस आधार पर आंकड़ों का पुनरीक्षण किया गया और आकलनों के अनुसार वे राशियां इस प्रकार हैं: १९६०–६१ के ग्यारह महीनों के लिए ६०१ लाख रुपए और १९६१–६२ के लिए ६१३ लाख रुपए। १९६३–६४ से यह राशि कम होने लगती है और ५८५ लाख रुपए रह जाती है। १९६४–६५ में ५६१ लाख रुपये हो जाती है, १९६५–६६ में ५२६ लाख रुपए, १९६६–६७ में ४३२ लाख रुपए, १९६७–६८ में ३३९ लाख रुपये, १९६८-६९ में २०८ लाख रुपए और १९६९-७० में ११३.८ लाख रुपए। इस प्रकार पहले वर्ष के ग्यारह महीनों और अगले वर्ष की राशि लगभग १२.१६ करोड़ रुपए होती है और शेष अवधि की ३३.८० करोड़ रुपए। परन्तु यह तय हुआ कि पहले दो वर्षों की राशि का भुगतान उस राशि में से किया जाएगा जो महाराष्ट्र को आयकर, सीमा शुल्क आदि से प्राप्त होगी और शेष अवधि के लिए वह राशि दो भागों में विभाजित की जाएगी जिनमें से एक भाग का भुगतान प्रत्याभूतियों के रूप में किया जाएगा और दूसरे का गुजरात के दायित्वों की कटौती द्वारा। इस सब का निर्धारण निश्चित तारीख को किया जाना था। इसलिए नये आकलन किए गए ताकि आगे देय होने वाली राशियों में से ब्याज कम कर दिया जाय और यह राशि ३३.८० करोड़ रुपए से घट कर २८.३९ करोड़ रुपए रह गई। इस प्रकार कुल देय राशि ४०.५५ करोड़ रुपए निकलती है।

ये आंकड़े विशेषज्ञों के आकलनों पर आधारित थे और सम्बन्धित पक्षों ने उन्हें स्वीकार कर लिया। फिर यह भी तय किया गया कि गुजरात को नई राजधानी बनाने के सम्बन्ध में भी सहायता दी जानी चाहिए। इसके लिए लगभग दस करोड़ रुपए दिए जायेंगे।

जहां तक आस्तियों और दायित्वों का सम्बन्ध है, दोनों राज्यों ने उस व्यवस्था को स्वीकार किया जो वार्धाचारियर समिति ने की थी और जहां तक इस भुगतान का सम्बन्ध है वह आस्तियों में से किया जाएगा। जहां तक दायित्वों का सम्बन्ध है, यद्यपि वास्तविक आकलन नहीं किये गए है मेरा विचार है कि लगभग ४० प्रतिशत का भार गुजरात को वहन करना होगा और ६० प्रतिशत महाराष्ट्र को। वित्तीय व्यवस्था की मोटी रूपरेखा इस प्रकार है।

इसके अतिरिक्त कुछ और भी कार्य इस प्रकार के परिवर्तन के समय किए जाते हैं जैसे नए विधान मण्डलों की स्थापना तथा लोक सभा और राज्य सभा में उनके प्रतिनिधियों का उपबन्ध। महाराष्ट्र के १८ सदस्य राज्य सभा में होंगे और गुजरात के ११ सदस्य। महाराष्ट्र में दो सभाओं का विधान मण्डल होगा जब कि गुजरात में केवल एक ही सभा होगी। जहां तक विधायकों की संख्या का सम्बन्ध है, महाराष्ट्र विधान सभा में २६४ सदस्य होंगे और गुजरात विधान सभा में १३२ सदस्य।

गुजरात के उच्च न्यायालय की स्थापना नए राज्य के निर्माण के तुरन्त बाद ही की जाएगी और उस प्रयोजन के लिए बम्बई के वर्तमान उच्च न्यायालय से न्यायाधीश लिए जायेंगे। जहां तक लोक सेवा आयोग का सम्बन्ध है बम्बई में तो वर्तमान आयोग ही रहेगा और गुजरात में नया आयोग बनाया जाएगा।

अन्य छोटी-छोटी बातों का निर्देश करना मैं आवश्यक नहीं समझता हूं। समस्त विधेयक माननीय सदस्यों के हाथ में है अतः वे स्वयं उसमें सन्निहित प्रत्येक प्रस्ताव की जांच कर सकते हैं। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि जहां तक हमारा सम्बन्ध है हम बम्बई सरकार द्वारा स्वीकृत नीति सम्बन्धी वक्तव्य के उपबन्धों को क्रियान्वित करने का प्रयत्न करेंगे।

[श्री गो० ब० पन्त]

मैं माननीय सदस्यों से पुनः अपील करता हूं कि वे इस प्रश्न के सम्बन्ध में भाईचारे की भावना से विचार करें। वे सब सदियों से साथ-साथ रहते आए हैं और अब भी कोई राज्य केवल महाराष्ट्र अथवा गुजरात वालों का नहीं हो सकता है । अन्ततः हम सब भारत के नागरिक हैं । हमें यह याद रखना चाहिए कि प्रशासकीय व्यवस्था का हमारे मूलभूत सिद्धान्तों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः प्रशासकीय व्यवस्था के सम्बन्ध में विचार करते समय हमें देश के हित को ही सर्वोपरि रखना चाहिए ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री श्री० अ० डांगे** (बम्बई नगर-मध्य): यह बड़ी खुशी की बात है कि महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का निर्माण किया जा रहा है क्योंकि अभी तक द्विभाषी राज्य के संगठन से राज्यों के पुनर्गठन के मूल सिद्धान्त का हनन होता रहा है। जब मैंने १९५७ में सभा में यह कहा था कि महाराष्ट्र और गुजरात का निर्माण क्यों नहीं किया गया तो मुझे यह उत्तर दिया गया था कि संसद् ने जो कुछ किया है उसे चुपचाप स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। तब मैंने यह कहा था कि भाषावार राज्यों के निर्माण के सिद्धान्त को क्रियान्वित किया जाना चाहिए । पिछले चुनावों में महाराष्ट्र के निर्माण को ही आधार माना गया था और यह भली प्रकार सिद्ध हो गया था कि द्विभाषी राज्य किसी को भी पसन्द नहीं आया है। फिर भी तीन साल तक उस गलती को बना रहने दिया गया ।

इन पिछली बातों का उल्लेख मैं इसलिए कर रहा हूं कि कभी कभी भूतकाल का निर्देश भविष्य के लिये सहायक होता है । इस मामले में कांग्रेस दल को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि संसद् की मंजूरी मिल जाने के बावजूद उसके कार्य सर्वथा सही और जनता के हित के अनुकूल नहीं होते हैं। यह विधेयक इस बात का प्रमाण है कि मेरी बात ठीक थी और मैं आशा करता हूं कि सरकार अन्य समस्याओं के सम्बन्ध में भी ऐसा ही आचरण करेगी ।

इस विधेयक को बम्बई पुनर्गठन विधेयक कहना ठीक नहीं है क्योंकि दो नये राज्यों का जन्म हो रहा है, उनकी सीमाओं का समायोजन नहीं किया जा रहा है। यह विधेयक इस सिद्धान्त का समर्थन करता है कि प्रजातंत्र के विकास के लिए लोगों की भाषा को ही प्रशासन का आधार बनाना आवश्यक है। यह भाषा का सिद्धान्त अनेक राज्यों के सम्बन्ध में लागू होता है जैसे उत्तर प्रदेश, बंगाल, केरल और आन्ध्र। परन्तु दुर्भाग्यवश महाराष्ट्र के सम्बन्ध में वैसा नहीं हो सका था क्योंकि बम्बई नगर के कुछ धनी लोग उसमें बाधक हो रहे थे। उन्हें यह भय था कि यदि बम्बई नगर महाराष्ट्र में सम्मिलित हो जाएगा तो उनके व्यापारिक हितों को हानि पहुंचेगी। वे अपने पैसे के जोर से बम्बई को महाराष्ट्र में मिलाए जाने से रोकते रहे हैं। स्वयं राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि कुछ लोगों ने यह आशंका व्यक्त की थी कि यदि बम्बई महाराष्ट्र में चला जाएगा तो उनके वाणिज्यिक हितों को नुकसान पहुंचेगा। खेद है कि उनके पैसे के जोर के कारण संसद् ने भी उनके पक्ष में निर्णय दे दिया ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को ऐसा नहीं कहना चाहिए ।

†**श्री श्री० अ० डांगे** : आपकी आज्ञा शिरोधार्य है । परन्तु यह सर्वथा सही है कि कुछ वाणिज्यिक हितों के विचार से ही वैसा निर्णय किया गया था । मुझे खुशी है कि अब यह आशंका दूर

---

†मूल अंग्रेजी में

हो गई है और महाराष्ट्र तथा गुजरात का निर्माण किया जा रहा है और बम्बई को महाराष्ट्र में ही सम्मिलित किया गया है। यह उस भाषावार राज्यों के सिद्धान्त की विजय है जो पांच वर्षों तक ठुकराया जाता रहा है। यदि यह पहले ही कर दिया गया होता तो गुजरात और महाराष्ट्र की जनता को इतने दिन तक कष्ट न भोगने पड़ते। अब हमें वह संघर्ष भुला देना चाहिए जो इन राज्यों के निर्माण के लिए किया गया था तथा जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। यदि इस सिद्धान्त को पहले ही स्वीकार कर लिया गया होता तो यह खूनखराबी न हुई होती।

जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, उसका मैं स्वागत करता हूं। दोनों राज्यों का निर्माण १ मई को किया जाना सौभाग्य का चिह्न है। गृह-मंत्री ने बम्बई नगर के विगत सम्मान का उल्लेख किया। मैं उसको समझने में सर्वथा असमर्थ हूं। बम्बई का मजदूर वर्ग १९०८ से अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ता आ रहा है। इस नगर के मजदूर वर्ग को मई दिवस का गर्व है और वह कांग्रेस मंत्रि-मण्डल का अत्यन्त आभारी रहेगा यदि इन राज्यों के १ मई को निर्माण का निर्णय बाद में बदल न दिया जाय।

इस विधेयक में कुछ बातें ऐसी हैं जिनके सम्बन्ध में मैं संयुक्त समिति में ही विस्तारपूर्वक निवेदन करूंगा। मुझे इस बात का अत्यन्त दुःख है कि यह शुभ कार्य भी इस प्रकार नहीं किया जा रहा है जिससे पिछले समय की कटुता दूर हो सके। इस सम्बन्ध में मैं तीन चार बातों का निर्देश करना चाहता हूं।

विधेयक में महाराष्ट्र राज्य को बम्बई नाम दिया गया है जो ठीक नहीं है। इसका अर्थ यह लगाया जाएगा कि महाराष्ट्र के ऐतिहासिक महत्व को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। परन्तु मुझे खुशी है कि बम्बई विधान-सभा ने सर्व-सम्मति से महाराष्ट्र नाम स्वीकार किया है और अपने संकल्प में उसकी सिफारिश की है। यदि वैसा नहीं किया जाएगा तो पुनर्गठन के उद्देश्य के सम्बन्ध में गलत धारणायें फैलेंगी।

जहां तक वित्त व्यवस्था का सम्बन्ध है, हम गुजरात को सहायता देने का विरोध नहीं करते हैं परन्तु इतना अवश्य चाहते हैं कि बजट सामान्य हो जिसमें बहुत महत्वाकांक्षी योजनाएं न हों और महाराष्ट्र से पूंजी न निकाली जाए। इस प्रकार की बातें सुनने में आती हैं कि आपने अपना नगर ले लिया, अब हम देखेंगे कि आपको वित्त कहां से मिलेगा। यह ठीक नहीं है और महाराष्ट्र से पूंजी नहीं हटायी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त जहां तक गुजरात की सहायता का प्रश्न है किसी राज्य से यह कहना सिद्धान्ततः ठीक नहीं है कि हम इतने समय तक तुम्हारी सहायता करेंगे क्योंकि उतने समय तक वह स्वावलम्बी बनने का प्रयत्न नहीं करेगा। यदि किसी राज्य से वैसा कह दिया जाएगा तो वह अपने घाटे को कम करने के बजाय वास्तव में बढ़ाने का ही प्रयत्न करेगा ताकि अधिक सहायता प्राप्त कर सके। इस लिए मैं इस व्यवस्था को ठीक नहीं समझता हूं।

फिर कुछ गांवों का प्रश्न है। हम चाहते हैं कि मराठी भाषी गांव महाराष्ट्र में सम्मिलित किए जायें और गुजराती भाषी गांव गुजरात में। इस सिद्धान्त का हनन किया जा रहा है क्योंकि कुछ लोग वन सम्पत्ति, खनिज सम्पत्ति आदि के लिए कुछ क्षेत्र प्राप्त करना चाहते हैं। मेरा तात्पर्य नन्दुरबार ताल्लुक के देव मोगरा-गैबी अम्बर वन क्षेत्र से है। यह क्षेत्र गुजरात को इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि वहां गुजराती लोग रहते हैं वरन् इसलिए कि वह वन सम्पत्ति से पूर्ण है। इस प्रकार का आवण्टन प्रजातांत्रिक नहीं कहा जा सकता। मेरा अनुरोध है कि गांवों का आवण्टन विशुद्ध भाषा के आधार पर ही किया जाना चाहिए। अतः इस प्रश्न के संबंध में पुनर्विचार किया जाना आवश्यक है।

[श्री श्री० अ० डांगे]

फिर एक जिले के सम्बन्ध में यह विवाद है कि वह मराठी है या गुजराती। हम उसे मराठी क्षेत्र समझते हैं और वे लोग गुजराती। पहले श्री खेर और श्री मोरारजी देसाई ने उसे मराठी भाषी करार दिया था। अब यदि आप उसे नहीं मानते तो उसके संबंध में एक आयोग नियुक्त किया जाना चाहिए। वह आयोग ही उसका निर्णय करे और इस के लिए कोई सिद्धान्त निर्धारित किया जाना चाहिए। संभवतः यहां किसी सिद्धान्त का पालन इसलिए नहीं किया गया है कि डांग में वनसम्पत्ति बहुत है जो गुजराती ठेकेदारों के हाथ में है। यह ठीक नहीं है। आप यह कह सकते हैं कि डांग के प्रश्न का निर्णय निर्वाचन के परिणाम के आधार पर किया गया था। परन्तु मेरा विचार है कि यह ठीक नहीं है। अनेक चुनावों में यह सिद्ध हो चुका है कि बेलगाम मराठी क्षेत्र है फिर भी उसको नहीं माना गया है। यदि डांग के संबंध में चुनाव के निर्णय को आधार माना जाता है तो अन्यत्र भी वैसा किया जाना चाहिए।

फिर पश्चिमी खानदेश के कुछ गांवों का दावा करना हमारे प्रति अन्याय है। यह तर्क ठीक नहीं है कि आगे चल कर वे जल मग्न हो जायेंगे। मेरा निवेदन है कि उकई बांध का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है फिर यह मांग क्यों की जा रही है? यही नहीं, उस बांध की आवश्यकता के संबंध में विशेषज्ञ अभी तक एकमत नहीं हो सके हैं। फिर यह जल्दबाजी क्यों? इतना ही नहीं वे झील के आस पास का दो मील का क्षेत्र भी मांग रहे हैं जिस से झील की चौकसी की जा सके। क्या हम दो शत्रु राज्य हैं जो इस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है? यह दो मील का क्षेत्र मराठी भाषी है। इसलिए उसका दूसरे राज्य में मिलाया जाना ठीक नहीं होगा। मैं आशा करता हूं कि संयुक्त समिति और सभा इस प्रश्न के संबंध में भली प्रकार विचार करेगी।

अतः हम देखते हैं कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का निर्माण किया जा रहा है उस से समस्त समस्याएं हल नहीं होतीं वरन् कुछ कठिनाइयां बनी रहेंगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि इन राज्यों का निर्माण इस प्रकार किया जाय कि कोई समस्या शेष न रह जाय। समस्त समस्याओं को निष्पक्ष रूप से हल किया जाना चाहिए। यदि गुजरात के लिए कोई क्षेत्र आवश्यक है तो हम उसे देने को तैयार हैं। परन्तु मैं इतना अवश्य चाहता हूं कि जो कुछ भी किया जाय वह पारस्परिक समझौते से हो।

हम देखते हैं कि जिस प्रकार की कार्यवाही हो रही है वह अविश्वास की द्योतक है क्योंकि छः वर्षों का घाटा पेशगी लिया जा रहा है। ऐसा मालूम होता है कि कांग्रेस मंत्रिमण्डल को यह भय है कि महाराष्ट्र में कांग्रेसी सरकार नहीं बनेगी। इसीलिए वे समस्त अंशदान का भुगतान पहले ही करा लेना चाहते हैं। उन्हें समिति का भय है। परन्तु संभवतः समिति की सरकार नहीं बन सकेगी क्योंकि हमारे प्रजा समाजवादी मित्र उसे कायम नहीं रखना चाहते। वे कहते हैं कि समिति का लक्ष्य पूरा हो गया है इसलिए उसे समाप्त कर दिया जाना चाहिये।

अंत में मेरा निवेदन है कि गुजरात और महाराष्ट्र की समस्या पारस्परिक वैमनस्य की नहीं है वरन् प्रजातंत्र के एक आधारभूत सिद्धान्त के लिए संघर्ष है। वह सिद्धान्त यही है कि जनता के लिये सरकार के साथ किसी अन्य भाषा की अपेक्षा अपनी बोल-चाल की भाषा में बात करना अधिक आसान है। इसीलिए हमने भाषावार राज्यों के लिए संघर्ष किया था। अब वह सिद्धान्त स्वीकार कर लिया गया है। परन्तु केवल भाषावार राज्यों की स्थापना से ही दोनों राज्यों की समस्त समस्याएं हल नहीं हो जायेंगी। उत्तर प्रदेश, बंगाल अथवा केरल किसी की भी समस्याएं केवल भाषावार राज्य बन जाने से हल नहीं हो गई हैं। भाषावार राज्यों

का निर्माण तो प्रजातंत्र की दिशा में पहला कदम मात्र है । भाषावार राज्य बन जाने पर हम अपनी विभिन्न समस्याओं को अधिक शीघ्रता से हल कर सकेंगे । परन्तु यदि पुनर्गठन के परिणाम-स्वरूप भी कुछ कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं तो उस से कोई लाभ नहीं होगा । अतः जो परित्राण रखे गए हैं वे ठीक नहीं हैं ।

उदाहरण के लिए बम्बई के अल्पसंख्यकों के लिए परित्राण क्यों रखे जा रहे हैं ? अल्पसंख्यकों की सुरक्षा तो इसी से स्पष्ट है कि वहां की जनसंख्या में बहुमत मजदूर वर्ग का है । कारखानों में काम करने वाले मजदूर न मराठी हैं और न गुजराती । उन में देश के सभी भागों के लोग हैं । जो विभिन्न भाषायें बोलते हैं । परन्तु वे सब पूंजीवाद के विरुद्ध लड़ रहे हैं और समाजवाद की ओर बढ़ना चाहते हैं । जब कभी कोई मांग की जाती है तो सब मिल कर ही काम करते हैं । क्या मजदूर वर्ग कभी अल्पसंख्यकों की उपेक्षा कर सकता है ? इसलिए इस प्रकार की गारंटियां चालू करना ठीक नहीं है ।

इसके अतिरिक्त मराठी राज्य को क्षेत्रीय असमानता का सामना भी करना पड़ेगा । कुछ भाग तो बहुत उन्नत हैं और कुछ बहुत पिछड़े हुए हैं । मराठवाड़ा क्षेत्र निजाम के राज्य में बहुत उपेक्षित रहा है तथा वहां सिंचाई की सुविधाओं का अभाव है । इसी प्रकार विदर्भ के क्षेत्र का विकास किया जाना भी आवश्यक है । यह असमानता केवल पृथक राज्य बना देने से दूर नहीं हो जाएगी क्योंकि हमारी योजना में ही यह दोष है कि सब क्षेत्रों का विकास एकसा नहीं किया जा रहा है । इसीलिए तामिलनाड से यह आवाज उठ रही है कि वहां इस्पात संयंत्र की स्थापना क्यों नहीं की जाती ? यह असमानता दूर की जानी चाहिए । मैं चाहता हूं कि विदर्भ, मराठवाड़ा और महाराष्ट्र का समानता के आधार पर विकास किया जाय । यह तभी हो सकता है जब कि नए राज्य में अर्थ व्यवस्था के प्रजातांत्रिक सिद्धान्तों का अनुसरण किया जाय । मैं आशा करता हूं कि नया मंत्रिमंडल समस्त क्षेत्रों के समान रूप से विकास का प्रयत्न करेगा और सब समस्याओं का सही हल निकालने में सफल होगा ।

†**श्री गोरे** (पूना): उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक पर विचार करते समय उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करना सर्वथा उचित होगा जिन्होंने गुजरात और महाराष्ट्र के एक भाषी राज्यों की स्थापना के लिए अपने जीवन का बलिदान चढ़ाया है । मेरा विचार है कि यदि यही कार्य आज से तीन वर्ष पहले कर दिया जाता तो कहीं अच्छा होता । संभवतः द्विभाषी राज्य की असफलता को स्वीकार करके ही अब कांग्रेस दल ने यह निर्णय किया है । कुछ समय पहले तक यही कहा जाता था कि द्विभाषी राज्य कायम रहेगा और श्री पाटिल ने तो यहां तक कहा था कि जब तक सूर्य और चन्द्र आकाश में रहेंगे तब तक बम्बई नगर महाराष्ट्र को नहीं दिया जाएगा । मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि भविष्य में हमारी सरकार को अधिक दूरदर्शी बनने और जनता की इच्छा के अनुसार चलने का प्रयत्न करना चाहिये ।

जहां तक इस विधेयक का संबंध है, मैं अपना भाषण केवल कुछ बातों तक सीमित रखूंगा क्योंकि संयुक्त समिति का सदस्य होने के नाते मुझे अपने विचार प्रकट करने का पर्याप्त अवसर मिलेगा ।

महाराष्ट्र नाम कोई नई ईजाद नहीं है । वह पिछले ८०० वर्षों से चला आ रहा है । महानुभाव सम्प्रदाय के संस्थापक चक्रधर ने आज से ८०० वर्ष पूर्व महाराष्ट्र नाम और उस की सीमाओं का उल्लेख किया था । इसलिए यदि हम यह कहते हैं कि समस्त मराठी भाषी क्षेत्र

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री गोरे]

का एक राज्य बनाया जाना चाहिए, विदर्भ को अलग नहीं किया जाना चाहिए और उसे महाराष्ट्र पुकारा जाना चाहिए तो वह कोई नई बात नहीं है।

इस के बाद मैं बम्बई के मुख्य मंत्री द्वारा विदर्भ और मराठवाडा की जनता को दिए गए आश्वासन पर आता हूं। यह आश्वासन पर्याप्त नहीं समझा जाता है। यह कहा जाता है कि उसे अधिनियम में ही सम्मिलित किया जाना चाहिए। मैं नहीं जानता कि वैसा करना संभव है या नहीं परन्तु यदि संभव है तो वैसा अवश्य किया जाना चाहिऐ ताकि विदर्भ और मराठवाडा की जनता को यह विश्वास हो जाय कि जो कुछ आज कहा गया है उसे कल ठुकराया नहीं जाएगा।

जहां तक बम्बई नगर के अल्पसंख्यकों को दिए गए परित्राणों का संबंध है, मैं समझता हूं कि उनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। जब अन्य बड़े नगरों में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है तो फिर यहीं क्या आवश्यकता थी ? मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र में मुसलमान, गुजराती और मारवाड़ी सभी अपना व्यापार करते हैं तथा उनके हित पूर्णतः सुरक्षित हैं। इसलिए इस प्रकार के परित्राण चालू नहीं .कए जाने चाहिएं। हमारे यहां बहुत से बड़े नगर हैं और बहुत से नए स्थापित होते जा रहे हैं जिन में देश के सभी भागों के लोग रहते हैं। यदि एक नगर में इस प्रकार के आश्वासन दिए जायेंगे तो अन्य नगर भी उनकी मांग करेंगे और आपको उन्हें स्वीकार करना होगा।

श्री डांगे ने उन राज्य क्षेत्रों का निर्देश किया जो गुजरात में सम्मिलित किए जा रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह आवण्टन किस आधार पर किया गया है ? बम्बई के मुख्य मंत्री भी उसका औचित्य सिद्ध करने में असफल रहे हैं। जहां तक डांग क्षेत्र का संबंध है, यह कहा जाता है वहां के स्थानीय चुनावों में कांग्रेस हार गई जो उसे महाराष्ट्र में मिलाने के पक्ष में थी। मेरा निवेदन है कि वह चुनाव कांग्रेस के ही दो गुटों के बीच में था। कांग्रेस और समिति के बीच में नहीं। यही नहीं उन में से किसी भी गुट की चुनाव घोषणा में डांग क्षेत्र के महाराष्ट्र अथवा गुजरात में मिलाए जाने का उल्लेख नहीं किया गया था। इसलिए ऐसा कहना ठीक नहीं है कि चूंकि स्थानीय चुनाव का परिणाम आपके विरुद्ध रहा है अतः वह क्षेत्र गुजरात को दिया गया है।

परन्तु अम्बेरगांव तथा अन्य गांव गुजरात को क्यों दिए जा रहे हैं ? यह कहा जाता है कि ग्राम पंचायतों ने उस आशय के संकल्प पारित किए थे। ये गांव थाना जिले के हैं। वहां के स्थानीय चुनावों को न मान कर ग्राम पंचायतों के संकल्पों को आधार बनाया गया है। फिर पश्चिमी खानदेश के संबंध में यह कहा जाता है कि उकई बांध के निर्माण के लिए उन गांवों का गुजरात में मिलाया जाना आवश्यक है क्योंकि वे बांध के जलागम क्षेत्र में आते हैं। मैं चाहता हूं किसी एक सिद्धांत को अपनाया जाय।

इस के अतिरिक्त यह सिद्धान्त बहुत खतरनाक है कि यदि किसी राज्य के बांध का जलागम क्षेत्र किसी अन्य राज्य में आता हो तो समस्त क्षेत्र उस राज्य को मिलना चाहिए जो उस जल का उपयोग करेगा। हम इस प्रकार के अनेक बांध बनाने जा रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस सिद्धान्त के संबंध में पुनर्विचार किया जाय। मैं यह इसलिये नहीं कह रहा हूं कि मैं महाराष्ट्री हूं। यदि कल राजस्थान कोई बांध बनाता है जिसका जलागम क्षेत्र गुजरात में आता है तो क्या वह क्षेत्र राजस्थान को दे दिया जाना चाहिए ? इसलिए मैं चाहता हूं कि जो कुछ भी किया जाय वह भली प्रकार सोचसमझ कर किया जाय ताकि भविष्य में कठिनाइयां न उत्पन्न हों।

जहां तक वित्तीय व्यवस्था का संबंध है, मैं केवल यही संकेत करना चाहता हूं कि वर्तमान बम्बई राज्य के कच्छ क्षेत्र का उत्तरदायित्व केन्द्र ने ले रखा है। सौराष्ट्र के बम्बई में मिलाए जाने के पहले भी केन्द्र उसकी सहायता करता था। फिर अब उस क्षेत्र का भार महाराष्ट्र पर क्यों डाला जा रहा है? आप पारस्परिक लेन-देन की बात करते हैं, परन्तु यहां तो केवल लिया ही जा रहा है दिया कुछ भी नहीं जा रहा है। मैं चाहता हूं कि इस के संबंध में भी एक निश्चित सिद्धान्त का पालन किया जाय।

१ मई को इन राज्यों का जन्म होगा। उस अवसर के संबंध में जो निमंत्रण पत्र छपे हैं उन में संयोजकों में ऐसे लोगों के नाम छपे हैं जिनका संयुक्त महाराष्ट्र से कोई भी संबंध नहीं है हम लोगों में से किसी का भी नाम नहीं है। इस प्रकार का भेदभाव करते हुए भी हम से पिछली बातें भूलने के लिए कहा जा रहा है। यह ठीक नहीं है।

अन्त में मैं श्री डांगे की एक बात का उत्तर देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि प्रजा-समाजवादी दल समिति को समाप्त करना चाहता था। यह ठीक है क्योंकि हम समझते हैं कि समिति का कार्य पूरा हो चुका है। कार्य पूरा हो जाने पर उसको बनाए रखने का क्या तात्पर्य है? संभवत: वह संयुक्त मोर्चा बनाए रखना चाहते हैं क्योंकि साम्यवादी दल हर जगह इस प्रकार के मोर्चों के पक्ष में है। मुझे दुख है कि मैं उनका साथ देने में असमर्थ हूं।

इस विधेयक से गुजरात और महाराष्ट्र का नया जीवन प्रारंभ होगा। यदि हमें भाई-भाई की तरह रहना है तो वैसी भावना उत्पन्न करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। इस के लिए यह आवश्यक है कि बिना किसी प्रकार के भेदभाव के कुछ निश्चित सिद्धान्तों का पालन किया जाय।

†**श्री याज्ञिक** (अहमदाबाद): मुझे बड़ी खुशी है कि इस विधेयक द्वारा महाराष्ट्र और गुजरात के राज्यों का निर्माण किया जा रहा है। मैं भी उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं जिन्होंने इस हेतु अपने जीवन का बलिदान किया है।

मेरा निवेदन है कि महागुजरात राज्य का प्रचार स्वयं कांग्रेस ने ही १९५६ में प्रारम्भ किया था जब कि बम्बई का तीन राज्यों में विभाजन करने वाला विधेयक लोक सभा में रखा गया था। परन्तु वह योजना सफल नहीं हो सकी। तब गुजरात के नवयुवकों ने उस के लिए आन्दोलन प्रारंभ किया। उनका किस प्रकार दमन किया गया यह एक लम्बी कहानी है। परन्तु मुझे खुशी है कि हमारा बलिदान व्यर्थ नहीं गया और आज गुजरात राज्य की स्थापना होने जा रही है।

मेरा निवदन है कि हमें इस बात की खुशी तो अवश्य है परन्तु साथ ही हम पिछले गोली-कांडों के दर्द को अभी तक नही भुला सके हैं। हम १९५६ के गोलीकांडों की न्यायिक जांच की मांग भले ही छोड़ दें परन्तु क्या हम अपने शहीदों का स्मारक भी नहीं बना सकते हैं? सरकार हमें वैसा करने से क्यों रोकती है? क्या गुजरात की सरकार उस रुकावट को दूर कर सकती है जो शहीद स्मारक की स्थापना के मार्ग में उपस्थित की गई है? मेरी समिति ने यह निर्णय किया है कि वह गुजरात राज्य की स्थापना के पश्चात् एक महीने के अन्दर अपने को भंग कर देगी। परन्तु साथ ही उसने मुझ से यह भी कहा है कि मैं सरकार से शहीद स्मारक के मार्ग में उपस्थित की गई बाधा को हटाने की अपील भी करूं। हम केवल अहमदाबाद में ही नहीं वरन् नदियाद, कलोल और डभोई में भी शहीद स्मारक बनाना चाहते हैं जहां हमारे नौजवानों को गोलियों से भूना गया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री याज्ञिक]

सरकार ने शांति और सद्भावना बनाए रखने की अपील है। वैसा करना सर्वथा उचित है यह बात मैं स्वीकार करता हूं। परन्तु मैं यह बता देना चाहता हूं कि गुजरात की जनता का क्रोध अभी तक शांत नहीं हो सका है। सरकार को उसकी शांति के लिए सद्भावना व्यक्त करनी चाहिये ताकि गुजरात की जनता नए राज्य को सफल बनाने में सहयोग कर सके।

यह बड़ी अच्छी बात है कि इस विधेयक को एक संयुक्त समिति को निर्दिष्ट किया जा रहा है। इस मामले में हम से अभी तक कोई परामर्श नहीं किया गया है। कांग्रेस ने जो नौ सदस्यों की समिति इस के संबंध में निर्णय करने के लिए नियुक्त की थी उस में हमें नहीं सम्मिलित किया गया था। अब विधेयक को संयुक्त समिति को निर्दिष्ट किए जाने से द्विभाषी राज्य के विभाजन संबंधी समस्त मतभेद दूर किए जा सकेंगे।

मेरे पूर्व वक्ताओं ने जिन समस्याओं का निर्देश किया है उन के संबंध में मैं आशा करता हूं कि संयुक्त समिति उन पर गंभीरता एवं सद्भावना से विचार करेगी। एक बात यह कही गई है कि विधेयक में जो निर्णय सन्निहित हैं उन के संबंध में किसी सिद्धान्त का पालन नहीं किया गया है। यह ठीक नहीं है। मेरा विचार है कि माननीय गृह मंत्री ने दोनों पक्षों की खाइयों को यथा संभव कम करने का प्रयत्न किया है।

उदाहरण के लिए डांग संबंधी निर्णय को ले लीजिए। वह प्रजातांत्रिक सिद्धांत के आधार पर किया गया है। १९५१ की जनगणना में श्री मोरारजी देसाई और श्री खेर के कहने से मराठी भाषी लोगों की संख्या बढ़ा दी गई थी। इस के अतिरिक्त निर्वाचन के परिणाम भी डांग के गुजरात में मिलाए जाने के पक्ष में हैं। जब महाराष्ट्र समिति वाले बेलगाम में अपनी विजय के कारण बेलगाम को महाराष्ट्र में सम्मिलित कराना चाहते हैं तो फिर डांग के गुजरात में सम्मिलित किए जाने के संबंध में आपत्ति क्यों की जा रही है? जिस समय डांग क्षेत्र में निर्वाचन हुए थे उस समय उस के गुजरात अथवा महाराष्ट्र में मिलाए जाने के संबंध में चर्चा चल रही थी और वे निर्वाचन इसी आधार पर हुए थे। निर्वाचन के परिणाम सर्वथा डांग के गुजरात में सम्मिलित किए जाने के पक्ष में हैं। इस के अतिरिक्त भौगोलिक दृष्टि से भी डांग क्षेत्र गुजरात में ही सम्मिलित किया जाना चाहिए।

जहां तक अम्बेरगांव का संबंध है उसके केवल १६ गांवों के संबंध में मतभेद है। मेरा निवेदन है कि उनका निर्णय पाटस्कर फार्मूला के आधार पर किया गया है अर्थात् लोगों की भाषा के विचार से और गांव को इकाई मानकर। इस क्षेत्र में पारसी और गुजराती ही अधिक हैं, महाराष्ट्री लोग बहुत कम हैं। इस के अतिरिक्त वहां की पंचायतों ने इस आशय के संकल्प पारित किए थे कि इस क्षेत्र को गुजरात में सम्मिलित किया जाना चाहिए। इस प्रकार जो निर्णय किया गया है वह भाषा के विचार से तथा जनता की इच्छा के अनुसार किया गया है। यदि आप स्कूलों में पढ़ने वाले बालकों को देखें तो ज्ञात होगा कि बहुमत गुजराती पढ़ने वालों का ही है। इसीलिए महाराष्ट्र कांग्रेस ने एक समय यह नर्णय किया था कि समस्त अम्बेरगांव तालुक गुजरात को दिया जाना चाहिए। परन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि मैं इस के संबंध में चर्चा न किये जाने के पक्ष में हूं। मेरे कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि जो निर्णय किया गया है वह एक निश्चित सिद्धान्त के आधार पर ही किया गया है।

उकई बांध और नन्दुरबार क्षेत्रों के संबंध में भी बहुत कुछ कहा गया है। नन्दुरबार के ६ ताल्लुकों के लोगों ने गृहमंत्री को एक ज्ञापन भेजा है जिसमें जनमतसंग्रह कराये जाने की इच्छा

प्रकट की गई है। उनका दावा है कि अधिकांश लोग गुजरात से ही आये हैं। संभवतः इन ताल्लुकों के संबंध में कांग्रेस के गुजराती और महाराष्ट्री दलों में मतभेद होने के कारण ही यह समझौता किया गया है कि उकई बांध से जलमग्न होने वाला क्षेत्र गुजरात में सम्मिलित कर दिया जाये।

जहां तक उकई बांध का संबंध है, भारत सरकार द्वारा निर्णय किया जा चुका है और बम्बई सरकार उसे क्रियान्वित कर रही है। अतः अब यह कहना ठीक नहीं है कि वह बांध उपयोगी नहीं है। यह बताया जा चुका है कि गुजरात में जलविद्युत् का यही एकमात्र स्रोत है। बम्बई और महाराष्ट्र दोनों में जलविद्युत् उपलब्ध है। केवल गुजरात ही उससे वंचित रहा है। अतः इस बांध का बनाया जाना बहुत आवश्यक है। चूंकि यह काम निकट भविष्य में ही किया जायेगा इसीलिये जलमग्न होने वाले क्षेत्र के गुजरात में सम्मिलित किये जाने का उपबन्ध विधेयक में किया गया है। इसके अतिरिक्त बांध के निर्माण से अपनी जगह से हटाये जाने वाले लोगों का बसाया जाना भी बहुत आवश्यक है। इसी प्रयोजन के लिये यह दो मील का क्षेत्र लिया जा रहा है। अतः वह सर्वथा उचित है।

जहां तक वित्तीय मामलों का संबंध है, श्री डांगे ने कहा कि समिति और परिषद् ने यह तय किया था कि गुजरात के घाटे की पूर्ति के लिये प्रारम्भिक वर्षों में सहायता की जाये। मेरा निवेदन है कि उसमें ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं था कि ऐसा दो वर्षों तक किया जाय अथवा पांच वर्षों तक। इसके अतिरिक्त घाटे की राशि के संबंध में कोई समझौता नहीं हो सका था। गुजरात और महाराष्ट्र १५० वर्षों से एक साथ रहते आये हैं। अतः अब जब वे अलग हो रहे हैं तो गुजरात की काफी समय तक सहायता की जानी चाहिये क्योंकि वह लगभग २०० करोड़ रुपये की पूंजी बम्बई में छोड़ रहा है। अतः महाराष्ट्र अपने अतिरेक में से जो थोड़ी सी राशि गुजरात को दे रहा है उसके संबंध में आपत्ति नहीं की जानी चाहिये। यह कहना ठीक नहीं है कि ऐसी सहायता मिलने के कारण गुजरात अधिक व्यय करेगा। वास्तव में गुजरात का घाटा उससे कहीं अधिक होगा जितना निर्धारण विधेयक में किया गया है। उसकी पूर्ति करना आवश्यक है। यदि महाराष्ट्र उसकी पूर्ति कर सकता तो ठीक है, अन्यथा केन्द्रीय सरकार को उसकी पूर्ति करनी चाहिये।

इस प्रकार विधेयक में जो उपबन्ध किये गये हैं वे भली प्रकार सोच विचार करके ही रखे गये हैं। वे सर्वथा तर्कसंगत और उचित हैं। मैं आशा करता हूं कि अभी जो मतभेद हैं वे संयुक्त समिति में दूर हो जायेंगे और इस विधेयक को सर्वसम्मति से स्वीकार किया जायेगा।

†**डा० मा० श्री० अणे** (नागपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक से प्रसन्न नहीं हूं। मैं नहीं समझता कि जो लोग प्रसन्न हैं उसका क्या कारण हैं? क्या गुजरात और महाराष्ट्र का अलग होना खुशी की बात है जो १०० वर्षों से भी अधिक समय से एक साथ रहते आये हैं। मैं इस विधेयक को राष्ट्रीयता की पराजय और भाषा संबंधी हठधर्मिता की विजय मानता हूं। अतः हमें शोक मनाना चाहिये, खुशियां नहीं। हमें इस विधेयक के मूल सिद्धांत को समझना चाहिये। वह है भाषा वादिता का सिद्धांत जो एक खतरा बन गया हैं। जब सभा में बम्बई के तीन राज्य बनाने के आशय का विधेयक उपस्थित किया गया था तब स्वयं प्रधान मंत्री ने इस प्रकार का विचार व्यक्त किया था।

[**श्री गोरे** पीठासीन हुए]

यही नहीं, गृहमंत्री ने भी अन्त में भाषण देते हुये यह स्वीकार किया था कि भाषावार राज्यों की भावना इतनी अधिक बढ़ गई है कि राष्ट्रीयता की बात कहानी सी लगने लगी है। इसीलिये श्री फ्रेंक एंथनी ने जो संशोधन उपस्थित किया था उसका सभा ने भारी समर्थन किया था क्योंकि उससे

†मूल अंग्रेजी में

[डा० मा० श्री० अणे]

राष्ट्रीयता के पुनरुत्थान की आशा उत्पन्न हुई थी। परन्तु आज हम क्या देखते हैं ? तीन वर्ष बाद उस राज्य का विभाजन किया जा रहा है। फिर भी गृहमंत्री कहते हैं कि तीन वर्ष तक द्विभाषी प्रशासन भली प्रकार चला। यदि ऐसा है तो फिर यह विधेयक क्यों उपस्थित किया गया हैं ? संभवतः वह अपनी असफलता को स्वीकार नहीं करना चाहते क्योंकि उन्होंने यह आशा व्यक्त की थी कि अन्ततः भाषायी भावना दब जायेगी और बम्बई राज्य देश के लिये एक आदर्श उपस्थित करेगा। हम देखते हैं कि वह भावना उसी प्रकार बनी हुई है।

इसीलिये मैंने राज्य पुनर्गठन आयोग से यह कहा था कि भाषायी राज्य आवश्यक नहीं हैं। राज्य के निर्माण में भाषायी एकता का महत्व अवश्य है परन्तु उसके अतिरिक्त और भी बहुत सी बातें हैं जिनसे लोग एक दूसरे के निकट आते हैं। मैंने आयोग को जो ज्ञापन दिया था उसमें इन सब बातों की व्याख्या की गई हैं।

इसके बाद मैं विदर्भ के प्रश्न पर आता हूं। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपने प्रतिवेदन में विदर्भ को एक पृथक राज्य बनाने की सिफारिश की थी। आयोग ने यह भी सिफारिश की थी कि बम्बई राज्य में महाराष्ट्र, गुजरात, सौराष्ट्र और मराठवाड़ा को सम्मिलित किया जाय। परन्तु बम्बई के लोगों ने इसे स्वीकार नहीं किया। सरकार ने आयोग को अन्य सिफारिशें तो स्वीकार कर लीं परन्तु बम्बई के संबंध में कोई निर्णय नहीं किया जा सका क्योंकि विदर्भ महाराष्ट्र के साथ नहीं मिलना चाहता था। जिसकी मांग संयुक्त महाराष्ट्र समिति कर रही थी।

यहां मैं कुछ शब्द इस समिति के सम्बंध में निवेदन करना चाहता हूं 'संयुक्त महाराष्ट्र' नाम से यह अर्थ निकलता है कि जो दूसरा भाग वे लेना चाहते हैं वह भी महाराष्ट्री है जिसे किसी अज्ञात समय में उससे अलग कर दिया गया था तथा अब वे उनको एक इकाई में बांधना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में उनका यह कहना है कि मराठवाड़ा और विदर्भ किसी समय महाराष्ट्र में ही थे तथा बाद में उन्हें किसी कारण अलग कर दिया गया है। अब वे उन्हें पुनः एक इकाई में लाना चाहते हैं। जो लोग इतिहास नहीं जानते वे इस बात से बहुत प्रभावित हो जाते हैं।

†**सभापति महोदय** : बहुत समय पहले माननीय सदस्य ने भी उनके एकीकरण के पक्ष में लेख लिखे थे।

†**डा० मा० श्री० अणे**: वह १९०५ की बात है जब मैं कालेज से पढ़कर निकला ही था। उस समय बगाल के विभाजन के विरोध में मैंने मराठी भाषी क्षेत्रों के एकीकरण की मांग की थी। परन्तु तब से अब तक मुझ में बहुत अन्तर आ गया है। अब मैं क्या कहता हूं उस पर क्यों नहीं ध्यान दिया जाता है, पुरानी बातों को क्यों लाया जाता है ?

मैं यह बता रहा था कि 'संयुक्त महाराष्ट्र' की कल्पना किस प्रकार की गई है। यदि आप पुराणों, स्मृतियों और ग्रंथों को देखें तो उनमें विदर्भ का उल्लेख तो मिलेगा पर महाराष्ट्र का नहीं। इसलिये यह कहना गलत है कि विदर्भ और मराठवाड़ा महाराष्ट्र से अलग हो गये हैं तथा अब उन्हें फिर से उसमें मिलाने का प्रयत्न किया जा रहा है। समिति के पास कुछ अच्छे लेखक और वक्ता हैं जो अन्य लोगों को बहकाना चाहते हैं मानों उन्हें इतिहास का तनिक भी ज्ञान नहीं हैं।

महाराष्ट्र राज्य की कल्पना हाल के वर्षों में ही की गई है। १९३५ में जब नेहरू समिति नियुक्त हुई थी तब तक महाराष्ट्र के लोग भाषावादिता के विरुद्ध थे। जब कर्नाटक के लोगों ने भाषा

†मूल अंग्रेज़ी में

के आधार अलग राज्य बनाये जाने की मांग की थी तब महाराष्ट्र की ओर से ऐसी कोई मांग नहीं की गई थी। इसके विपरीत मुझे पूना से एक पत्र मिला था जिसमें कर्नाटक के भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाये जाने का विरोध किया गया था। उस समय महाराष्ट्र में रानाडे, गोखले और तिलक जैसी विभूतियां मौजूद थीं। वे सब राष्ट्रीयता के समर्थक थे और भाषावादिता के विरोधी थे। अब उन लोगों की परम्परा समाप्त हो गई है। अब जो नये नेता हुये हैं उन्होंने महाराष्ट्र में भाषावादिता और साम्प्रदायिकता की भावना का संचार किया है।

मेरे कुछ महाराष्ट्री मित्रों ने, जो अभी तक मुझे अपने भाई के समान मानते थे, मेरे विरूद्ध एक पैम्फलेट निकाला है जिसमें मेरी भरसक निन्दा की गई है। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि ईश्वर उनमें सद्भावनाओं का संचार करे।

जहां तक विदर्भ की मांग का संबंध है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने उसकी सिफारिश की थी परन्तु महाराष्ट्री मित्रों के विरोध के कारण वैसा नहीं किया जा सका। तब केन्द्रीय सरकार ने तीन राज्य बनाने के आशय का विधेयक तैयार किया। जब उस विधेयक को मध्य प्रदेश सरकार के पास राय जानने के लिये भेजा गया था तो अधिकांश विधायकों ने विदर्भ के पृथक राज्य के पक्ष में मत दिया था। परन्तु संविधान के अन्तर्गत उनके विचार बाध्य नहीं हैं अतः वैसा नहीं किया गया। फिर वहां के नेताओं को बुलाकर उनसे भारत के हित में त्याग करने को अपील की गई। वह समय ऐसा नाजुक था कि उन्होंने सच्चे कांग्रेसी होने के नाते उस अपील को ठुकराना ठीक नहीं समझा। मेरा विचार है कि वह एक बड़ी भारी गलती हुई है। क्योंकि अब जब भी विदर्भ की मांग की जाती है तो यही उत्तर दिया जाता है कि तुम्हारे नेताओं ने महाराष्ट्र के पक्ष में अपना अधिकार छोड़ दिया है। अब इस प्रश्न के संबंध में पुनर्विचार नहीं किया जा सकता है। यह ठीक नहीं है। क्या आप यह चाहते हैं कि उन लोगों की गलती के लिये विदर्भ की जनता को सदा के लिये वंचित कर दिया जाये। विदर्भ की जनता अपना पृथक राज्य चाहती है और उसके समुचित कारण हैं।

†**सभापति महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण अगले दिन जारी रखें, अब सभा का समय समाप्त हो गया है।

इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, १ अप्रैल, १९६०/१२ चैत्र, १८८२ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

गुरुवार, ३१ मार्च, १९६०
११ चैत्र, १८८२ (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		४११७—४३
तारांकित प्रश्न संख्या		
११८४	तिब्बत से आये गैर-तिब्बती शरणार्थी	४११७—१९
११८५	भारतीय जूट मिल संघ के करघे	४१२०–२१
११८६	उड़ीसा में कागज-मिलें	४१२२–२३
११८८	धान की हाथ से कुटाई	४१२३—२५
११८९	दिल्ली में विस्थापित व्यक्तियों को दूसरी जमीनों का दिया जाना	४१२५—२७
११९०	नाभिकीय क्षेत्र में भारत—डेनमार्क सहकारिता	४१२८–२९
११९१	अखबारों को विज्ञापन	४१२९—३१
११९३	राज्य व्यापार निगम	४१३१—३३
११९४	सिक्किम को सहायता	४१३३—३५
११९५	पुराने आयातक	४१३५—३७
११९६	उड़ीसा में विस्थापित व्यक्ति	४१३८
११९७	हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड	४१३९—४१
१२०४	भारतीय राज्य-क्षेत्र प्रदर्शित करने वाले पाकिस्तानी टिकट	४१४१—४३
प्रश्नों के लिखित उत्तर		४१४३—७३
तारांकित प्रश्न संख्या		
११८७	बम्बई की सैक्सरिया काटन मिल्स	४१४३–४४
११९२	अमरीका से अनाजों का भेजना	४१४४
११९८	राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन	४१४४–४५
११९९	भारतीय खनिज रेत उद्योग	४१४५
१२००	उड़ीसा की हथकरघा सहकारी संस्थायें	४१४५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

	विषय	पृष्ठ
तारांकित प्रश्न संख्या		
१२०१	नांदेड़ की उस्मान शाही मिल्स	४१४६
१२०२	एस्फाल्ट की नालीदार चादरें . . .	४१४६
१२०३	बेतिया के विस्थापित व्यक्तियों का अकर्म-वेतन बन्द करना	४१४६–४७
१२०५	दण्डकारण्य प्राधिकार के कार्यालयों का हटाया जाना .	४१४७
१२०६	पूर्वी पाकिस्तान से प्रव्रजन .	४१४७–४८
१२०७	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की अस्थियां .	४१४८
१२०८	कीनिया में भारतीयों पर आक्रमण	४१४८–४९
१२०९	राष्ट्रपति नासिर की भारत-यात्रा .	४१४९–५०
१२१०	हीराकुद में भारी मशीनों का निर्माण	४१५०–५१
१२११	इंजीनियरिंग उद्योग	४१५१
१२१२	"तैरती प्रदर्शनी" . . .	४१५१–५२
१२१३	कामगार प्रतिकर अधिनियम के अधीन मुआवज़े का भुगतान .	४१५२
१२१४	दण्डकारण्य परियोजना का प्रशासन .	४१५२
१२१५	बेनामी कम्पनियों की रजिस्ट्री . .	४१५३
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१६०५	त्रिपुरा में सहकारी समितियां .	४१५३
१६०६	रोज़गार व्यवस्था का सर्वेक्षण .	४१५३
१६०७	दिल्ली में अंशकालिक काम . .	४१५४
१६०८	होशियारपुर (पंजाब) में छोटे पैमाने के उद्योग	४१५४
१६०९	लोक गीत	४१५४
१६१०	अखबारी कागज का आयात	४१५४–५५
१६११	आंध्र प्रदेश में छोटे पैमाने के उद्योग	४१५५
१६१२	दैनिक पत्रों की कुल बिक्री	४१५५
१६१३	आंध्र प्रदेश में श्रमिक कल्याण	४१५५–५६
१६१४	आंध्र प्रदेश में हथकरघा उद्योग .	४१५६
१६१५	आंध्र प्रदेश में औद्योगिक बस्तियां	४१५६–५७
१६१६	कच्छ और सौराष्ट्र में नमक के कारखाने	४१५७
१६१७	हंगरी के साथ व्यापार	४१५७–५८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१६१८	तेल तथा तिलहन का निर्यात . . .	४१५८
१६१९	पानी में फैलाने योग्य डी० डी० टी० .	४१५८
१६२०	नीम का तेल	४१५९
१६२१	कार्डियोएक्टिव ग्लाइकोसाइड्स फ्रॉम डिर्गीटालिस .	४१५९–६०
१६२२	क्लोरीनयुक्त तारपीन का तेल	४१६०–६१
१६२३	तरल रबड़	४१६१–६२
१६२४	हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक कर्मचारी . . .	४१६२
१६२५	बम्बई में लघु हथकरघा उद्योग .	४१६२–६३
१६२६	ब्यास नदी के तास में वन-उद्योग	४१६३
१६२७	हिमाचल प्रदेश में कुटीर उद्योग . .	४१६३–६४
१६२८	पंजाब के पहाड़ी इलाकों का विकास . . .	४१६४–६५
१६२९	इजराइल के साथ व्यापार . . .	४१६५
१६३०	कटक में औद्योगिक बस्ती . . .	४१६५
१६३१	विस्थापित व्यक्तियों के कस्बे में सरकार द्वारा बनाई सम्पत्ति का विनियमन . . .	४१६५–६६
१६३२	सिन्दरी फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स (प्राईवेट) लिमिटेड	४१६६
१६३३	मानव आधिकार आयोग . .	४१६६
१६३४	हथकरघे के कपड़े का निर्यात	४१६७
१६३५	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	४१६७
१६३६	"काश्मीर" संबंधी पुस्तक .	४१६७
१६३७	अल्प आय वर्ग के लिये गृह निर्माण योजना .	४१६८
१६३८	सरकार द्वारा बनाये गये क्वार्टरों की नीलामी .	४१६८
१६३९	तीसरी पंच वर्षीय योजना में हथकरघा उद्योग .	४१६८–६९
१६४०	किंग्जवे कैम्प में विस्थापित व्यक्ति .	४१६९
१६४१	खानों में सुरक्षा संबंधी सम्मेलन .	४१६९–७०
१६४२	फैक्टरी श्रमिकों की आय का देशनांक	४१७०
१६४३	गोश्रा को निर्यात पर प्रतिबन्ध . .	४१७०
१६४४	हाथ-घड़ियों का आयात .	४१७१
१६४५	आंध्र प्रदेश को केन्द्रीय सहायता .	४१७१
१६४६	पत्रकारों के लिये मकान .	४१७१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

	विषय	पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१६४७	सरकारी दफ्तरों में प्रयोग में आने वाला स्टेशनरी का सामान	४१७१-७२
१६४८	विनय नगर में पैदल चलने वाले लोगों के लिये पुल . .	४१७२-७३
१६४९	दण्डकारण्य प्राधिकार के कर्मचारी . . .	४१७३
१६५१	नागा नेता का आसाम भाग जाना	४१७३

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ४१७४

(१) ३० सितम्बर, १९५९ को समाप्त होने वाली तिमाही में किये गये मितव्ययता उपायों के परिणाम (और २० जून, १९५९ को समाप्त होने वाली तिमाही के बारे में अनुपूरक जानकारी) बताने वाले विवरण की एक प्रति।

(२) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति:—

(१) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत १ अक्तूबर, १९५८ से ३१ मार्च, १९५९ तक की अवधि के लिये अशोक होटल्स लिमिटेड का प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(२) अशोक होटल्स लिमिटेड के कार्य संचालन के बारे में सरकार की समीक्षा।

(३) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६४२ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक १९ मार्च, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ३३३ में प्रकाशित समवाय (अंश प्रमाण-पत्रों का जारी करना) नियम, १९६० की एक प्रति।

(४) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा, ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत ३१ दिसम्बर, १९५८ को समाप्त होने वाली अवधि के लिये राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम प्राइवेट लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणों सहित।

(दो) उपरोक्त निगम के कार्य तथा अन्य बातों की सरकार द्वारा समीक्षा।

विषय पृष्ठ

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ४१७५

(एक) सचिव ने चालू सत्र में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित किये गये और १४ मार्च, १९६० को सभा को दी गई अन्तिम सूचना के बाद राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्न लिखित विधेयकों को सभा पटल पर रखा:—

(१) मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक, १९६०

(२) विनियोग (रेलवे) विधेयक, १९६०

(३) विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक, १९६०

(४) विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६०

(दो) सचिव ने चालू सत्र में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित किये गये और १४ मार्च, १९६० को सभा को दी गई अन्तिम सूचना के बाद राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त तथा राज्य सभा के सचिव द्वारा विधिवत् प्रमाणित रूप में निम्नलिखित विधेयकों की प्रतियां भी सभा पटल पर रखीं :—

(१) निष्क्रांत सम्पत्ति का प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, १९६०

(२) विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) संशोधन विधेयक, १९६०

(३) जनेवा अभिसमय विधेयक, १९६०

लोक-लेखा समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित . ४१७५

छब्बीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित . . ४१७५

चौहत्तरवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित . . ४१७५

उन्नीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ४१७६

श्री विभूति मिश्र ने बोकारो में लोहे और इस्पात का कारखाना खोलने की ओर इस्पात, खान और ईंधन मंत्री का ध्यान दिलाया । इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) ने इस संबंध में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा । .

विषय	पृष्ठ
अनुदानों की मांगें . .	४१७६–८८
वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा समाप्त हुई और मांगें पूरी पूरी स्वीकृत हुईं ।	
नियम का निलम्बन	४१८६–६०
गृह-कार्य मंत्री (श्री गोविन्द बल्लभ पन्त) ने प्रस्ताव किया कि लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम ७४ के प्रथम परन्तुक को बम्बई पुनर्गठन विधेयक, १६६० के बारे में निलम्बित कर दिया जाये । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।	
विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने के लिए प्रस्ताव—विचाराधीन .	४१६१–४२०५
गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) ने प्रस्ताव किया कि बम्बई पुनर्गठन विधेयक, १६६० को एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।	
शुक्रवार, १ अप्रैल, १६६०/१२ चैत्र, १८८२ (शक) के लिए कार्यावलि—	
बम्बई पुनर्गठन विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा और गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर विचार ।	